द्वितीय माला, खण्ड ५५—अंक ५६

शुक्रवार, २८ अप्रैल, १९६१
८ वैशाख १८८३ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(तेरहवां सत्र)

2nd Lok Sabha

(खण्ड ५५ में अंक ५१ से अंक ६१ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में) चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

द्वितीय माला, खंड ५५—अंक ५१ से ६१—२२ अप्रैल से ५ मई, १९६१/२ से १५ वैशाख १८८३ (शक)

पृष्ठ

अंक ५१—शनिवार, २२ अप्रैल, १९६१/२ वैशाख, १८८३ (शक)

वित्त विधेयक

खण्ड २ से १७, १ तथा प्रथम और द्वितीय अनुसूची . ५९९९–६००३

पारित करने का प्रस्ताव . . ५९८३–६००३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

तिरासीवां प्रतिवेदन . . . ६००४

तेलों के जमाये जाने पर रोक विधेयक (श्री झूलन सिंह का)—

विचार करने का प्रस्ताव —अस्वीकृत . . ६००४

हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक (धारा १४ का संशोधन) (श्री सुब्बया अम्बलम का) ६००४

विचार करने का प्रस्ताव

परिचालित करने का संशोधन—स्वीकृत . . . ६००४–६००६

अत्यावश्यक पण्य (मूल्यों का निर्धारण, विनियमन तथा नियंत्रण) विधेयक (श्री नारायणन कुट्टि मेनन का) ६००७-१९

विचार करने का प्रस्ताव —अस्वीकृत . ६००७–१९

अखिल भारतीय घरेलू कर्मचारी विधेयक (श्री बालमीकी का)

विचार करने का प्रस्ताव ६०१९

दैनिक संक्षेपिका . . . ६०२०–२१

अंक—५२ सोमवार, २४ अप्रैल, १९६१
४ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६८४, १६८५, १६८७, १६८९, १६९१, १६९२, १६९५ से १६९८, १७००, १७०२ से १७०५ और १७०७, १७०८, १७१०, १७०९ और १६९० ६०२३–४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६८६, १६८८, १६९३, १६९४, १६९९, १७०१ और १७०६ . . ६०४८–५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३७२६ से ३७५४, ३७५६ से ३७७३ और ३७७५ से ३७८२ . . . ६०५२–७४

विषय — पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव

१. पूर्व कजोरा कोयला खान में दुर्घटना . . . ६०७४–७५

२. रूरकेला में आदिवासी कर्मचारियों की कथित गिरफ्तारी ६०७६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना——

बिलासपुर में चावल के लाने ले जाने के लिए वैगन ६०७७–७८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ६०७८

कलकत्ता क्षेत्र में बिजली के बारे में वक्तव्य ६०७८

आय-कर विधेयक ——पुरस्थापित . ६०७९

तार विधियां (संशोधन) विधेयक——

राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन अस्वीकृत हुए. ६०७९–८०

औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) संशोधन विधेयक——

राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधन स्वीकृत हुए . . ६०८०–८१

दण्ड विधि संशोधन विधेयक . . ६०८१——६०१३

विचार करने का प्रस्ताव . . ६०८१——६१०१

पारित करने का प्रस्ताव . . . . ६१०१——६१०३

भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमों के बारे में प्रस्ताव ६१०३——०८

दैनिक संक्षेपिका . . ६१०९——१४

अंक ५३ मंगलवार, २५ अप्रैल, १९६१/ ५ वैशाख, १८८३ (शाक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या १७११, १७१२, १७१४ से १७१६, १७१९ से १७२१, १७२३ और १७२५ से १७३० . ६११५——३९

प्रश्नों के लिखित उत्तर——

तारांकित प्रश्न संख्या १७१३, १७१७, १७१८, १७२२ और १७२४ ६१३९——४१

अतारांकित प्रश्न संख्या ३७८३ से ३८४५ और ३८४७ से ३८६० ६१४१——७८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ६१७८–७९

भाखड़ा बांध के बिजली घर में दुर्घटना——

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ६१७९–८०

अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (सामान्य) १९५८–५९ के बारे में वक्तव्य——

अतिरिक्त अनुदानों की मांगों (रेलवेज) १९५८–५९ के बारे में वक्तव्य——

लाभ पदों संबंधी संयुक्त समिति ६१८०

तीसरा प्रतिवेदन——

विषय	पृष्ठ
उड़ीसा राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक	६१८०—८५
राज्य-सभा द्वारा पास किया गया विचार के रूप में . .	६१८०—८४
खंड २, ३, और १	६१८४
पारित करने का प्रस्ताव	६१८४—८५
औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) संशोधन विधेयक .	६१८५—९७
विचार प्रस्ताव .	६१८५—९१
खंड २, ३ और १ .	६१९२
पारित करने का प्रस्ताव . .	६१९२—९७
उड़ीसा अनुदानों की मांगें १९६१–६२ . . .	६१९७—६२०८
इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन तथा एयर-इंडिया इंटरनैशनल कारपोरेशन के वार्षिक प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव	६२०८—२१
उड़ीसा की अनुदान की मांगों के बारे में . .	
दैनिक संक्षेपिका	६२२२—२७

अंक ५४—बुधवार, २६ अप्रैल, १९६१/
६ बैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७३१, १७३२, १७३७ से १७४३ और १७४५ से १७५०	६२२९—५४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७३३ से १७३६, १७४४ और १७५१ से १७५३	६२५४—५९
अतारांकित प्रश्न संख्या ३८६१ से ३९६६, ३९६८ से ३९७१ और ३९७३ से ३९७९ . . .	६२६०—६३०८
दिनांक २८–३–१९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २४३७ के उत्तर में शुद्धि	६३०८
स्थगन प्रस्ताव—	
कुछ डाक तथा तार यूनियनों को शिकायतें पेश करने से रोकना	६३०८—११
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	
उड़ीसा में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को नौकरी से निकालना	६३११–१२
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६३१२–१३
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
चौरासीवां प्रतिवेदन	६३१३
समिति के द्वारा द्वारा निर्वाचन .	६३१३–१४

विषय	पृष्ठ
१. भारतीय खान स्कूल की प्रशासक परिषद् . . .	६३१३–१४
२. राष्ट्रीय एटलस और भौगोलिक नामों के लिए सलाहकार समिति बोर्ड	६३१४
उड़ीसा की अनुदानों की मांगें—१९६१–६२ . .	६३१४–१६
अत्यावश्यक पण्य (संशोधन) विधेयक	६३१९–२६
विचार करने के लिये प्रस्ताव . .	६३१९–२५
खण्ड १ और २ .	६३२५
पारित करने का प्रस्ताव .	६३२५–२६
विधि व्यवसायी विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	६३२६–३९
दैनिक संक्षेपिका	६३४०–४७

गुरुवार, २७ अप्रैल, १९६१

अंक ५५—

७ वैशाख, १८८३ (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७५४ से १७५८, १७६० से १७६३ और १७६६ से १७६९ . .	६३४९–७१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७५९, १७६४ और १७७० से १७७६ .	६३७१–७६
अतारांकित प्रश्न संख्या ३९८० से ५०२६ और ४०२८ से ४०४७	६३७६–६४०२
स्थगन प्रस्ताव—	
कलकत्ता में बिजली का बन्द होना	६४०२–०३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६४०३–०४
प्राक्कलन समिति —	
कार्यवाही का सारांश	६४०४
२२ अप्रैल, १९६१ को पूर्व कजोरा कोयला खान में हुई दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	६४०४–०५
सभा का कार्य	६४०५–०६
उड़ीसा विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६१—पुरस्थापित	६४०६
विधि व्यवसाई विधेयक	६४०६–३३
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	६४०६–२०
खंड २, ४ से २३, २५ से २८, ३१ से ५७, ३, २४, २९, ३०, अनुसूची तथा खंड १ .	६४२०–३३
पारित करने का प्रस्ताव .	६४३३–३४

विषय	पृष्ठ
आयकर विधेयक, १९६१ .	६४३४--३९
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव . .	६४३४--३९
अशोक होटल में गो मांस परोसे जाने के बारे में आधे घंटे की चर्चा	६४४०--४६
दैनिक संक्षेपिका	६४४७--५१

अंक ५६--शुक्रवार, २८ अप्रैल, १९६१/८ वैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १७७७, १७७८, १७८३ से १७८७, १७८९ से १७९१, १७९३, १७९४ और १७९६ से १७९८	६४५३--७४
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १७७९ से १७८२, १७८८, १७९२ और १७९५ .	६४७५--७८
अतारांकित प्रश्न संख्या ४०४८ से ४१२९, ४१३१ और ४१३२	६४७८--६५१५
अबिलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
बैसाखी के अवसर पर जमना में डूब कर मरने की घटनायें	६५१५---१६
प्राक्कलन-समिति . .	६५१६--१७
(१) कार्यवाही सारांश	
(२) एक सौ अठतीसवां प्रतिवेदन	
राज्य सभा से संदेश	६५१६
विशेषाधिकार समिति--	
बारहवां प्रतिवेदन .	६५१७
सभा का कार्य . . .	६५१७--१८
कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) संशोधन विधेयक--पुरस्थापित	६५१८
उड़ीसा विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६१--पारित	६५१८--१९
आयकर विधेयक	६५१९--३१
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव .	६ १९--३१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
चौरास्सीवां प्रतिवेदन . .	६५३१
धर्म परिवर्तन कर के बौद्ध धर्म स्वीकार करने वालों के बारे में संकल्प--अस्वीकृत	६५३१--४३
व्यक्तिगत आय के बारे में संकल्प	६५४३--४५
दैनिक संक्षेपिका	६५४६--५१

विषय	पृष्ठ
अंक ५७—सोमवार, १ मई, १९६१/११ वैशाख, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १७९९, १८००, १८०२, १८०३, १८०५ से १८०८, १८१०, १८११, १८१३ और १८२०	६५५३—७५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १८१०, १८०४, १८०९, १८१२, १८१४ से १८१९ और १८२१ से १८३२	६५७६—८५
अतारांकित प्रश्न संख्या ४१३३ से ४२४० और ४२४२ से ४२४९	६५८५—६६३४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
हावड़ा पुरी एक्सप्रेस की दुर्घटना .	६६३४–३५
कलकत्ते में बिजली की कमी के सम्बन्ध में वक्तव्य के बारे में	६६३५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६६३५–३६
राज्य-सभा से सन्देश	६६३६–३७
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	६६३७
व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में	६६३७
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति—	
चौबीसवां प्रतिवेदन	६६३७–३८
विशेषाधिकार समिति—	
बारहवां प्रतिवेदन	६६३८–३९
आयकर विधेयक, १९६१	६६३९—४३
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव	६६३९—४३
दिल्ली नगरीय क्षेत्र काश्तकार सहायता विधेयक	६६४३—६५
विचार करने का प्रस्ताव	६६४३—६२
खंड २ और तीन	६६६३—६५
दैनिक संक्षेपिका	६६६६—७३
अंक ५८—मंगलवार, २ मई, १९६१/१२ वैशाख, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १८३३ से १८३६, १८३८, १८४० से १८४४ और १८४६ से १८५०	६६७५—९७
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १५	६६९८—६७०२

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १८३७, १८३६, १८४५ और १८५१ से १८५६ .	६७०२--०७
अतारांकित प्रश्न संख्या ४२६० से ४३२६	६७०७--४१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
अंगुल परगने के लोगों से "वैद्यकरण शुल्क" की वसूली	६७४१--४२
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में--	
न्यू एज में प्रकाशित कुछ बातें	६७४२-४३
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	६७४३--४५
भारती रेलवे (संशोधन) विधेयक--पुरस्थापित . .	६७४५
दिल्ली (नगरीय-क्षेत्र) काश्तकार सहायता विधेयक	६७४६--४६
खंड ३ से ६ और १	६७४६-४७
पारित करने का प्रस्ताव . .	६७४७--४६
भारतीय बंडलों पर निशान लगाना (संशोधन) विधेयक .	६७४६-५०
विचार करने का प्रस्ताव	६७४६-५०
खंड १ और २ .	६७४६-५०
पारित करने का प्रस्ताव .	६७५०
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) १६५८-५६	६७५०--५८
विनियोग (संख्या ३) विधेयक १६६१--पारित	६७५८-५६
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) १६५८-५६	६७५६-६०
विनियोग (रेलवे) संख्या ३ विधेयक १६६१--पारित	६७६१--६३
कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) संशोधन विधेयक--	
विचार करने का प्रस्ताव . . .	६७६३--६७
भारतीय श्रम सम्मेलन के सत्रवें और अठारहवें अधिवेशन के बारे में प्रस्ताव .	६७६८--७५
दैनिक संक्षेपिका	६७७६--८२

अंक ५६--बुधवार, ३ मई, १६६१/१३ बैशाख, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १८६० से १८६४, १८६६, १८६८, १८७१ से १८७४, १८७६ से १८७६ और १८८२ .	६७८४--६८०७

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १८६५, १८६७, १८६६, १८७०, १८७५, १८८०, १८८१ और १८८३ से १८६८	६८०७—१६
अतारांकित प्रश्न संख्या ४३२७ से ४३३५, ४३३७ से ४४६५, ४४६५-क, ४४६५-ख, ४४६५-ग और ४४६५-घ	६८१७—७८
स्थगन प्रस्ताव—	
भारतीय विमान बल के डकोटा विमान का लापता होना	६८७६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारतीय ब्रिटिश और यूरोपीय नौवहन समवायों के बीच मिल जुल कर काम करने की व्यवस्था	६८७६—८०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६८८०—८४
अनुपस्थिति की अनुमति	६८८४—८५
सदस्य की गिरफ्तारी	६८८५
कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) संशोधन विधेयक	६८८५—६७
विचार करने का प्रस्ताव	६८८५—६३
खंड २ से ५ तथा १	६८६३—६४
पारित करने का प्रस्ताव	६८६४—६७
दिल्ली दुकान तथा संस्थान (संशोधन) विधेयक	६८६७—६६१६
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	६८६७—६६१७
खंड २ से ५ तथा १	६६१७—१६
पारित करने का प्रस्ताव	६६१६
सालारजंग संग्रहालय विधेयक	६६१६—२०
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	
भाखरा नंगल परियोजना के बारे में आधे घंटे की चर्चा	६६२०—२१
दैनिक संक्षेपिका	६६२२—३०

अंक ६० गरुवार, ४ मई, १६६१/१४ बैशाख, १८८३ (शाक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १८६६, १६०४, १६०५, १६०७ से १६११, १६१४ और १६१५	६६३१—५७

विषय | पृष्ठ

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १६ . . . . ६९५७—५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९००, १९०१, १९०३, १९०६, १९१२, १९१३, १९१६, १९१६-क और १९१७ से १९२५ . . ६९५९—६६

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४६६ से ४५७३, ४५७५ से ४५८७, ४५८९ से ४५९२, ४५९४ से ४६०६, ४६०६-क और ४६०६-ख . ६९७६—७०२४

भारतीय विमान बल के डकोटा विमान के लापता होने के बारे में वक्तव्य ७०२४—२५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

यू० पी० के एक गांव में अनुसूचित जाति के लोगों के घरों में आग लगाने की कथित घटना . . ७०२५—२६

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . ७०२६—२८

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

कार्यवाही सारांश . . . ७०२८

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति—

कर्यवाही सारांश ७०२८

सभा की बैठकों से अनुपस्थिति संबंधी समिति—

कार्यवाही सारांश ७०२८

राज्य-सभा से सन्देश . . . ७०२९

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति—

ग्यारहवां प्रतिवेदन ७०२९

सालारजंग संग्रहालय विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ७०२९—५३

खंड २ से २८ और खंड १ ७०४९—५३

पारित करने का प्रस्ताव . ७०५३

सदस्य को सजा ७०५३

मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक—

राज्य-सभा के संशोधनों पर विचार . . . . ७०५४—५६

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव ७०५६—६३

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के बारे में आधे घंटे की चर्चा ७०६३—६५

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ७०६६—७५

विषय	पृष्ठ
अंक ६१—शुक्रवार, ५ मई, १९६१/१५ वैशाख, १८८३ (शाक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १९२६, १९२९, १९३३ से १९४०, १९४२, १९४३ से १९४५, १९४७, १९४६ और १९४६-क १९४२-क, .	७०७७—९७
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या १७ से २१ . . .	७०९८—७१०४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १९२७, १९२८, १९३० से १९३२ और १९४१	७१०४—०७
अतारांकित प्रश्न संख्या ४६०७ से ४६२६, ४६२८ से ४६६४ और ४६९६ से ४७०३	७१०७—४६
स्थगन प्रस्ताव	७१४६—४८
स्वदेशी काटन मिल्स में ताला बन्दी	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	७१४८-४९
१. दिल्ली में मकान बनाने वाले मजदूरों की हड़ताल ।	
२. पाकिस्तानी पानी संसाधन विशेषज्ञों द्वारा कलकत्ता पत्तन की यात्रा ।	
३. रानीगंज की कोयले की पट्टी क्षेत्र की कुछ कोयला खानों की घटनायें ।	
४. व्यापारियों और उत्पादकों के पास रूई का बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाना ।	
५. पूर्वोत्तर सीमांत अभिकरण के सीमांत डिवीज़न में स्थित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के शस्त्रागार से कुछ शस्त्राशत्रों का कथित गायब हो जाना ।	
६. अलीपुर में खंड क्षेत्र में बाढ़ आने का खतरा ।	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	७१४९—५१
राउरकेला में आदिवासी विस्थापित व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में वक्तव्य	७१५१
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	७१५२
कार्यवाही सारांश	
याचिका संबंधी	७१५२
कार्यवाही सारांश	
प्राक्कलन समिति	
कार्यवाही सारांश	७१५२
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . . .	७१५२
प्राक्कलन समिति	७१५२
एक-सौ पैंतीसवां, एक-सौ छतीसवां और एक-सौ सैंतिसवां प्रतिवेदन	

विषय	पृष्ठ
लोक लेखा समिति . .	७१५३
सैंतीसवां प्रतिवेदन ।	
याचिका समिति	७१५३
बारहवां प्रतिवेदन ।	
तारांकित प्रश्न संख्या ७८५ के उत्तर की शुद्धि .	७१५३
पंजीकुन्नू नैमांम, जिला त्रिवेन्द्रम में हुए विस्फोट के बारे में वक्तव्य	७१५३–५४
विधेयक–पुरस्थापित	७१५४
१. काफी (संशोधन) विधेयक	
२. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक	
भारतीय रेलवे संशोधन विधेयक .	७१५४––६०
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव	
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में .	७१५६
संघ राज्य क्षेत्र (स्टाम्प और कोर्ट फीस विधियां) विधेयक १९६१–पुरस्थापित	७१६१
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव .	७१६१––६५
वृद्धावस्था पेंशन विधेयक (श्री अरविन्द घोषाल का)–पुरस्थापित .	७१६५
अखिल भारतीय घरेलू कर्मचारी विधेयक (श्री बाल्मीकी का)–वापिस	
विचार करने का प्रस्ताव	७१६५––९३
संविधान (संशोधन) विधेयक . . .	७१९३
(धारा २२६ का संशोधन) (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् का)	
विचार करने का प्रस्ताव	
पंजाब में सेवाओं के एकीकरण के बारे में आधे घंटे की चर्चा . .	७१९४––९९
बिदाई संबंधी उल्लेख . . .	७१९९
दैनिक संक्षेपिका	७२००––०९
तेरहवां सत्र के कार्यवाही सारांश . . .	७२१०––१२

नोट :–मौखिक उत्तर वाले प्रश्न के किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GMGIPND—LS III—586 (Ai) LSD—8-7 61—125.

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न* संख्या १७७७, १७७८, १७८३ से १७८७, १७८९ से १७९१, १७९३, १७९४ और १७९६ से १७९८ . . ६४५३--७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १७७९ से १७८२, १७८८, १७९२ और १७९५ . ६४७५--७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ४०४८ से ४१२९, ४१३१ और ४१३२ ६४७८--६५१५

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

बैसाखी के अवसर पर जमना में डूब कर मरने की घटनायें . . ६५१५-१६

प्राक्कलन समिति--

(१) कार्यवाही सारांश ६५१६

(२) एक सौ अठतीसवां प्रतिवेदन . . ६५१७

राज्य सभा से संदेश ६५१६

विशेषाधिकार समिति--

बारहवां प्रतिवेदन ६५१७

सभा का कार्य ६५१७-१८

कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) संशोधन विधेयक--पुरस्थापित . . ५५१८

उड़ीसा विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६१--पारित . . ६५१८-१९

आयकर विधेयक ६५१९--३१

प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव ६५१९--३१

श्री हेडा ६५१९-२०

श्री न० रं० मुनिस्वामी ६५२०

श्री दामानी ६५२०-२१

पंडित कृ० चं० शर्मा ६५२१

श्री रामकृष्ण गुप्त ६५२१--२६

श्री तंगामणि ६५२६--२८

श्री बालासाहब पाटिल ६५२८-२९

श्री झुनझुनवाला ६५२९--३१

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

[शेष मुख पृष्ठ तीन पर देखिये

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

शुक्रवार, २८ अप्रैल, १९६१

८ वैशाख, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

भारत-अमरीका विमान वार्ता

+

†*१७ ७. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **परिवहन तथा संचार मंत्री** १८ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या २५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका और भारत के बीच विमान-वार्ता पुनः शुरु हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह पूरी हो चुकी है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) जी हां । भारतीय तथा अमरीकी अधिकारियों के बीच २४ अप्रैल, १९६१ को वाशिंगटन में वार्ता पुनः आरम्भ हो गई है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या प्रस्ताव विचाराधीन है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : बातचीत हो रही है और उनको अभी बताना लोकहित में नहीं होगा ।

†**श्री त्यागी** : यह तो बताया जा सकता है कि यह विमानों के बारे में है अथवा किसी अन्य विषय पर है ?

†मूल अंग्रेजी में

565 (Ai) LSD—1.

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) : यह वार्तायें भारत तथा अमरीका बीच विमानों के कितने बार आने जाने के बारे में हैं ।

दिल्ली में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन

†१७७८. **श्री विभूति मिश्र :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे मंत्री ने सब राज्यों के मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन जनवरी, १९६१ में दिल्ली में बुलाया था ;

(ख) यदि हां, तो उस में कौन-कौन से महत्वपूर्ण निश्चय किये गये ; और

(ग) उन्हें कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) जी हां ।

(ख) और (ग). एक बयान सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

†**श्री विभूति मिश्र :** सभा पटल पर रखे गये पत्र के बारे में राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** कार्यवाही का सारांश सम्बन्धित सचिवों, राज्यों के सचिवों, जनरल मैनेजरों आदि को भेज दिया गया है। वह उसकी जांच कर रहे हैं । अभी परिणामों की जानकारी नहीं है ।

†**श्री विभूति मिश्र :** सम्मेलन जनवरी में आरम्भ हुआ था । अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल चार महीने बीत चुके हैं। राज्यों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है तथा राज्यों ने इन निर्णयों को किस प्रकार क्रियान्वित किया है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** हम कितने ही मामलों पर विचार करते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** इसको ग्राह्य नहीं किया जाना चाहिये था । समय समय पर मंत्री मिलते रहते हैं । सभी बातें सभा को नहीं बताई जा सकती हैं ।

†**श्री विभूति मिश्र :** मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन यहां बुलाया गया था । वह मिले तथा उन्होंने यहां चर्चा की तथा एक निर्णय किया । मैं जानना चाहता हूं कि इन निर्णयों पर राज्यों में क्या प्रतिक्रिया हुई ।

†**अध्यक्ष महोदय:** मैं इस को अपनी अनुमति नहीं देता हूं । विभिन्न विभागों के विभिन्न मंत्रियों के सम्मेलन होते हैं । यह केन्द्र तथा राज्यों की आपसी बातचीत होती है । यदि कोई माननीय सदस्य यह जानना चाहे कि एक मंत्री ने दूसरे को क्या लिखा तो मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं दे सकता हूं ।

†**श्री त्यागी :** सम्मेलन का उद्देश्य बताया जा सकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** : निर्णयों से सन्तोष होना चाहिये ।

†**श्री विभूति मिश्र :** माननीय मंत्री ने विवरण में कुछ निर्णय बताये हैं । मैं जानना चाहता हूं कि इन निर्णयों को किस सीमा तक लागू किया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या माननीय मंत्री महोदय सभा में बताना चाहेंगे ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : शिक्षा सुविधायें, उचित मूल्य की दूकानें, सुरक्षा व्यवस्था, रेल की पटरियों पर चौकीदारी के मामलों पर निर्णय किये गये थे, जिनको लागू किया जा रहा है ।

कुछ माननीय सदस्य उठे--

†**अध्यक्ष महोदय** : संविधान के अधीन सत्ता का विभाजन है । कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें राज्य सरकारों को केन्द्र पर आश्रित रहना पड़ता है । प्रशासनिक तथा अन्य मामलों से सम्बन्धित राज्यों तथा केन्द्र के सम्मेलनों को यहां पर प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिये ।

†**एक माननीय सदस्य** : निर्णय विवरण में बताये जाते हैं ।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव** : मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में रेलवे के स्कूलों, जिनमें फीस ली जाती है तथा नहीं ली जाती है, के बारे में प्रश्न हम पूछते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें किसी एक मामले के बारे में पूछना चाहिये । यदि मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में सामान्य प्रकार की बातों पर चर्चा होती है तो मैं उस पर प्रश्नों की अनुमति नहीं दूंगा ।

पशुओं का जीवन-बीमा

+

†*१७८३. { **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्री श्री नारायण दास :

क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब, महाराष्ट्र, मद्रास और आन्ध्र प्रदेश--इन चार राज्यों की सरकारों ने अपने अपने क्षेत्रों में पशुओं का जीवन बीमा करने की अपनी योजनायें तैयार कर ली हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की किसी योजना के महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं ;

(ग) क्या उन्होंने इसके विकास और विस्तार का कोई कार्यक्रम तैयार किया है ;

(घ) क्या भारत सरकार ने इस कार्य में किसी प्रकार का हिस्सा लिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसका स्वरूप क्या है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) से (ग). सम्बन्धित राज्य सरकारों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है तथा मिलने पर लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) भारत सरकार ने राज्य सरकारों को सुझाव दिया है कि अपनी तीसरी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभिक पशु बीमा योजना शामिल कर लें ।

(ङ) केन्द्रीय सरकार टैक्नीकल पथ-प्रदर्शन तथा प्रारम्भिक योजना लागू हो जाने पर विभिन्न राज्यों के कामों का समन्वय करेगी । योजना आयोग के परामर्श से बनाये गये ढंग पर भारत सरकार वित्तीय सहायता भी देगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या पंजाब सरकार से ऐसी कोई योजना मिली है, तथा यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**डा० पं० शा० देशमुख**: हमें कोई योजना नहीं मिली है यद्यपि हमने समाचारपत्रों में पढ़ा है कि भारत सरकार विचार कर रही है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मन्त्री ने बताया कि यह एक प्रारम्भिक योजना होगी । क्या ऐसी प्रारम्भिक योजना प्रत्येक राज्य में लागू होंगी अथवा केवल एक राज्य में ? इस प्रारंभिक योजना पर कितना धन व्यय होगा ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : हमने सभी राज्यों को इसका सुझाव दिया है । खेद है पिछले वर्ष तक एक राज्य ने भी प्रारंभिक योजना शुरू नहीं की ।

†**श्री विश्वनाथ राय** : क्या उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में योजना लागू की जायेगी ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मैं ने बताया कि हमारी सहायता देने पर भी किसी राज्य ने योजना चालू नहीं की । केवल पजाब इस पर विचार कर रहा है ।

†**श्री लै० अचौ सिंह** : क्या यह योजना सघ राज्य-क्षेत्रों में भी लागू होगी ?

†**डा० पं० शा०देशमुख** : जब हम देखते हैं कि प्रारम्भिक योजना सतोषजनक रूप में काम कर रही है तो हम समस्त भारत में उसको लागू कर देते हैं ।

श्री विभूति मिश्र : क्या मत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किन किन राज्यों ने पशुधन का बीमा कराना स्वीकार कर लिया है और किन किन राज्यों ने अभी इसे स्वीकार नहीं किया ?

डा० पं० शा० देश मुख: पिछले साल तक तो किसी ने भी स्वीकार नहीं किया है ।

†**श्री शिवनंजप्पा** : योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**डा० पं० शा० देशमुख**: अभी योजना लागू नहीं हुई है इसलिये मैं किस प्रकार बता सकता हूं ।

†**श्री श्री नारायण दास** : क्या केन्द्रीय सरकार समस्त देश में पशु बीमा लागू करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : हमने राज्य सरकारों को सुझाव दिए हैं परन्तु एक भी राज्य ने प्रारंभिक योजना लागू नहीं की है । मैं सभा को बताना चाहता हूं कि एक गैर-सरकारी संस्था ने फसल का बीमा तथा पशुओं का बीमा करना शुरू कर दिया है ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : तीसरी योजना में इसके लिये कितना धन निश्चित किया गया है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : ७५,००० रुपये ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : माननीय मंत्री ने बताया एक सहकारी समिति ने योजना आरम्भ कर दी है । क्या इस समिति को कोई वित्तीय सहायता दी गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० पं० शा० देश मुख** : जी नहीं। उन्होंने स्वयं ऐसा किया है।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिए सुपर कान्स्टलेशन विमान

†*१७८४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया इन्टरनेशनल द्वारा बोईंग विमान हासिल करने के परिणामस्वरूप जो सुपर कान्स्टलेशन विमान फालतू हो गये हैं क्या उन्हें भारत के आन्तरिक मार्गों पर चालू करने की कोई प्रस्थापना है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका व्योरा क्या है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) और (ख). प्रश्न विचाराधीन है।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : इस प्रश्न के कौन से पहलू विचाराधीन हैं तथा इसकी जांच में इतना समय क्यों लग रहा है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : श्री दी० चं० शर्मा : द्वारा आरम्भ किये गये विवाद पर सभा में दो दिन पहले विचार किया जा चुका है। हमने उस समय बताया था कि चालन व्यय, चालक प्रशिक्षण, विमान की उपयुक्तता तथा अन्य मामले ऐसे हैं जिन पर आइ० ए० सी० को विचार करना है। मैं आशा करता हूं कि प्रश्न पर शीघ्र ही निर्णय कर लिया जायेगा।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह निर्णय कर लिया गया है कि सुपर कांस्टलेशन विमान आन्तरिक मार्गों लेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि यह विमान किन मार्गों पर तथा कितने चलेंगे ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : पहले पहल एयर इंडिया १९६१–६२ में दो से तीन सुपर कांस्टलेशन विमान चलायेगी। १९६२ के अन्त तक कुछ और चलने लगेंगे। मार्गों आदि पर विचार किया जा रहा है। यह ट्रंक मार्ग होंगे।

†**श्री हेडा** : क्या यह सच है कि बम्बई-कलकत्ता तथा बम्बई-नई-दिल्ली दो मार्गों पर एक सीट लेने के लिये कभी कभी चार दिन तथा कभी कभी कई सप्ताह लग जाते हैं ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : जी हां, ऐसा है।

†**श्री नाथ पाई** : यह विमान कितने दिनों से बेकार पड़े हैं ! क्या जब हमने बोइंग जैट चलाये थे उस समय यह नहीं सोचा था कि यह विमान अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर नहीं चलेंगे तो इनको आन्तरिक मार्गों पर चलाया जायेगा ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : गत छः से आठ महीनों से इनको आन्तरिक मार्गों पर चलाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। उस समय एयर-इंडिया ने हमें बताया था कि वह १९६१–६२ में ही अथवा तीन विमान हमें दे देंगे। माननीय सदस्य जानते हैं कि दो अथवा तीन विमान आन्तरिक मार्गों पर नहीं चलाये जा सकते हैं। ऐसा करने के लिये अधिक विमान चाहिये।

†**श्री नाथ पाई** : माननीय मंत्री ने बताया था कि वह चालकों के प्रशिक्षण, विमानों के रूप भेद आदि के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। जब अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर सुपर कांस्टलेशन के स्थान पर

---

†मूल अंग्रेजी में

बोइंग विमान चलाये जा रहे हैं तो यह सीधा सा मामला था कि सुपर कांस्टेलेशन विमान बेकार हो जायेंगे । इसलिये इसके बारे में तैयारी करने के लिये क्या कदम उठाये गये थे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : यह इतना सीधा सा प्रश्न नहीं है जितना मेरे मित्र समझते हैं क्योंकि आन्तरिक मार्गों पर इतने बड़े विमान नहीं चलाये जा सकते हैं । मामले पर विचार किया जा रहा है ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : बोइंग खरीदने से पहले इस पर विचार क्यों नहीं किया गया था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि बोइंग खरीदने से पहले इस पर विचार क्यों नहीं किया गया था । बोइंग सोच विचार के बाद ही खरीदे गये होंगे तो उस समय यह क्यों नहीं सोचा गया कि इन विमानों का क्या होगा ।

†**श्री मुहीउद्दीन** : तीन बोइंग खरीदे गये थे जो १९६० में हमें मिले । अन्तर्राष्ट्रीय यातायात के विकास के कारण एयर इंडिया ने एक बोइंग और खरीदने का निर्णय किया जिसके लिये आर्डर दे दिया गया । इस प्रकार मई-जून १९६१ तक चार बोइंग हो गये । कुछ विचार के बाद एयर इंडिया ने दो और बोइंग के आर्डर दिये जो बाद में हमें मिलेंगे । इस प्रकार तीन या चार बोइंग होने पर वह दो या तीन सुपर कांस्टेलेशन ही हमें दे सकते थे । सरकार ने पांच अथवा छः महीने पहले मामले पर विचार के लिये एक समिति नियुक्त की थी । समिति का प्रतिवेदन डेढ़ महीने पहले हमें मिला था । इस को इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को विचारार्थ भेज दिया गया । इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन भी सुपर कांस्टेलेशन विमानों को ट्रंक मार्गों पर चलाने के बारे में विचार कर रही है ।

†**श्री नाथ पाई** : यह कितनी अवधि से बेकार पड़े हैं, प्रति मास देखभाल पर कितना धन व्यय होता है तथा यदि उनको उपलब्ध होने पर तुरन्त चलाया जाता तो कितना धन मिल जाता ?

†**डा० प० सुब्बरायन** : कोई भी विमान बेकार नहीं पड़ा है । उन में से दो विमानों को हमने अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर चलने वाले मालवाही विमान बना दिया है ।

†**श्री मुरारका** : क्या इन कांस्टेलेशन तथा सुपर कांस्टेलेशन विमानों को बेचने का कोई प्रस्ताव है ? किन मूल्यों पर बेचने का विचार है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : मैं नहीं जानता कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इनके क्या मूल्य हैं परन्तु यह बताया जा सकता है कि पिस्टन इंजन वाले विमानों के मूल्य बहुत कम हो गये हैं ।

†**श्री मुरारका** : क्या करोड़ों रुपये के मूल्य पर खरीदे गये ये सुपर कांस्टेलेशन विमान अब प्रति विमान २० लाख रुपये में बेचा जा रहा है ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : जी नहीं । इस समय सुपर कांटेलेशन विमान के मूल्य ४५ से ५० लाख रुपये है । यदि इनको कभी बेचा भी गया तो मैं बताना चाहता हूं कि ऊंचे से ऊंचे मूल्यों पर इन को बेचा जायेगा ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : क्या इन सुपर कांस्टेलेशन विमानों को आन्तरिक सेवा में इसलिये नहीं चलाया गया है कि इनको चलाने के लिये विशेष प्रकार का पैट्रोल चाहिये जो महंगा पड़ता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मुहीउद्दीन** : यह भी एक कारण है ।

†**श्री हेडा :** क्या यह सच नहीं है कि माननीय मंत्री द्वारा उल्लिखित समिति ने बताया है कि इन सुपर कांस्टेलेशन विमानों को ग्रान्तरिक मार्गों पर चलाने में टैक्नीकल कठिनाई है, यदि हां, तो वह टैक्नीकल कठिनाइयां क्या हैं ?

†**श्री मुहीउद्दीन** : कोई ऐसी कठिनाई नहीं है जिसको दूर न किया जा सके । मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि सुपर कांस्टलेशन एक बार में लगभग १५०० मील की उड़ान करता है ।

तीसरी योजना म नई रेलवे लाइनें

+

†*१७८५. { **श्री त० ब० विट्ठल राव :**
श्रीमती इला पालचौधरी :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना ग्रायोग ने तीसरी पंचवर्षीय योजना की ग्रवधि में नई रेलवे लाइनों के निर्माण के लिये निर्धारित धन-राशि में ग्रभी हाल में २५ करोड़ रु० की वृद्धि की है ;

(ख) यदि हां, तो इस वृद्धि के परिणामस्वरूप कौन सी ग्रतिरिक्त रेलवे लाइनों का निर्माण किया जायेगा ; ग्रौर

(ग) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान सलेम-बंगलौर रेल लाइन के निर्माण का काम हाथ में लिया जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) ग्रौर (ग). उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव :** योजना में सम्मिलित की गई ग्रतिरिक्त लाइनों में सलेम-बंगलौर रेलवे लाइन को दूसरी ग्रग्रिमता दी गई है । ग्रतः मैं जानना चाहता हूं कि सरकार उसकी स्थिति के सम्बन्ध में ग्रन्तिम निर्णय कब तक कर लेगी ताकि कोई कठिनाई न हो ?

†**श्री शाहनवाज खां :** इस मामले में ग्रंतिम निर्णय ग्रभी किया जाना है ग्रौर ग्रग्रेतर कदम तभी उठाया जायेगा जब समस्त चीज को ग्रंतिम रूप दे दिया जायेगा ग्रौर पक्का निर्णय हो जायेगा ।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव :** पक्का निर्णय कब तक कर लिए जाने की ग्राशा है ?

†**श्री शाहनवाज खां :** इस मामले के सम्बन्ध में रेलवे मंत्रालय ग्रौर योजना ग्रायोग के बीच पत्र-व्यवहार ग्रौर विचार विमर्श हो रहा है ।

†**श्री त० ब० बिट्ठलराव** : क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने रेलवे मंत्री ग्रौर योजना ग्रायोग को नई रेलवे लाइनों के लिये ग्रावण्टन में २५ करोड़ रुपये बढ़ा देने के लिये लिखा था ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** इस मामले पर पिछले काफी समय से विचार किया जा रहा है, हम दक्षिण के लिये ग्रावश्यक रेलवे लाइनों का निर्माण

---

†मूल ग्रंग्रेज़ी में

करना तो चाहते हैं परन्तु कठिनाई रेलवे बजट में वृद्धि करने की है। जैसाकि संभवतः सभा को ज्ञात होगा योजना आयोग ने अभी अपने प्रतिवेदन को अंतिम रूप नहीं दिया है परन्तु हमने ८००० करोड़ रुपये की योजना बनाई है क्योंकि हम समझते हैं कि हम अपने संसाधनों से इतना खर्च कर सकगे। परन्तु वह हमारे संसाधनों तक ही सीमित रहेगी। हमें आशा है कि हम दक्षिण की रेलवे लाइनों के लिये धन का उपबन्ध कर सकेंगे। हां, यह हो सकता है कि वह कार्य तीसरी पंचवर्षीय योजना में पूर्ण न हो और चौथी योजना में भी चले।

†**श्री तंगामणि :** रेलवे मंत्रालय द्वारा आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह तय हुआ था कि राज्य सरकारों द्वारा अग्रिमता के आधार पर की गई प्रार्थनाओं पर भी विचार किया जायेगा। क्या यह सच नहीं है कि मद्रास सरकार सलेम-बंगलौर लाइन और टिन्नेवेली-कन्याकुमारी लाइन को तीसरी योजना में अग्रिमता दिलाना चाहती थी ?

†**श्री शाहनवाज खां :** समस्त राज्य सरकारों ने अपनी अग्रिमतायें भेजी हैं और उन पर विचार किया जायेगा।

डा० गोविन्द दास : क्या यह सही है कि राज्य पुर्निर्माण आयोग ने मध्य प्रदेश सदृश विस्तृत प्रान्त में जहां कि पर यातायात के साधन बहुत कम हैं, यह कहा था कि इस प्रान्त के निर्माण के बाद वहां पर अनेक रेलवे लाइने बनाई जायें, तो क्या इस सम्बन्ध में और खास कर बस्तर के सम्बन्ध में कोई विचार किया जा रहा है ?

रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम) : जी हां उसने ऐसा कहा था। जैसा आपको मालूम है दण्डकारण्य स्कीम के अन्दर एक रेलवे लाइन बनाने की स्कीम है और उसका काम जारी है। वह बस्तर हो करके जायेगी।

†**श्री नरसिंहन् :** प्रधान मंत्री ने जो कुछ कहा है क्या उससे हम यह समझें कि यदि समस्त आवण्टन बढ़ाया जायेगा और रेलवे बोर्ड द्वारा योजना आयोग को बताई गई लाइनों का निर्माण कार्य किया जायेगा तो वह तीसरी और चौथी योजनाओं में प्रावस्थाभाजित होगा ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैंने यह कहा था कि यदि आवश्यक होगा तो चौथी योजना में भी किया जायेगा। वैसे हमारा प्रयत्न यही होगा कि वह तीसरी योजना में ही समाप्त हो जाये।

†**श्री मो० ब० ठाकुर :** क्या हिम्मतनगर को बीजापुर से मिलाने के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय कर लिया गया है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** इस प्रश्न के सम्बन्ध में किसी विशिष्ट लाइन के सम्बन्ध में जानकारी कैसे चाही जा सकती है ?

†**श्री बलराज मधोक :** दिल्ली की रिंग रेलवे का निर्माण कार्य तीसरी योजना में प्रारंभ किया जायेगा या नहीं ?

†**श्री शाहनवाज खां :** इसके लिये पृथक सूचना दी जानी चाहिये।

†**श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या यह सच है कि पंजाब के मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री से चण्डीगढ़-लुधियाना लाइन के निर्माण के लिये व्यक्तिगत अपील की है और यदि हां तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मुझे इस विषय पर अनेक पत्र प्राप्त हुए हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

बेतवा नदी पर नाटघाट में पुल

†*१७८६. **डा० सुशीला नायर :** क्या **परिवहन तथा संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नाटघाट में बेतवा नदी पर पुल बनाने की परियोजना में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस कार्य के लिये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों तथा भारत सरकार ने कितना योगदान किया है ; और

(ग) इस परियोजना के कब तक समाप्त होने की संभावना है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) कार्य के प्राक्कलन को भारत सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है राज्य सरकार द्वारा कार्य के लिये प्राप्त टेंडरों के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय किया जा रहा है और कार्य शीघ्र ही किसी को सौंप दिया जायेगा ।

(ख) कार्य में २६.७० लाख रुपये की लागत लगने का अनुमान है जिसे उत्तर प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार और भारत सरकार बराबर-बराबर मात्रा में वहन करेंगी ।

(ग) १९६३ के अन्त तक ।

†**डा० सुशीला नायर:** क्या यह सच है कि टेंडर के अनुसार प्राक्कलन लगभग ३ लाख रूपए बढ़ा दिया गया है ? यदि हां, तो इस व्यय की पूर्ति किस प्रकार की जायेगी ?

†**श्री राजबहादुर :** यह सच है कि जो टेंडर प्राप्त हुए हैं उनसे यह मालूम हुआ है कि अनुमानित राशि में लगभग ३ लाख रुपए की वृद्धि करनी होगी । उसकी पूर्ति कैसे होगी इसके संबंध में भारत सरकार और संबंधित दोनों राज्यों की सरकारों के बीच बातचीत होगी ।

†**डा० सुशीला नायर :** चूंकि यह लाइन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को मिलाती है और खजुराहो, जो एक पर्यटन केन्द्र है, के लिए मुख्य लाइन है, क्या भारत सरकार उस अतिरिक्त व्यय की पूर्ति पर्यटन के संवर्धन के लिए किए गए आवण्टनों में से करेगी ?

†**श्री राजबहादुर :** इसी कारण से तो हमने इस परियोजना के व्यय में सहभागी बनना स्वीकार किया है । वास्तव में, प्रारंभ में हमने ८ लाख रुपए का प्रस्ताव किया था । परन्तु उसको बढ़ाना पड़ा क्योंकि प्राक्कलन २६.७० लाख रुपए आया । यदि यह समस्त ३ लाख रुपए का अतिरिक्त व्यय--जो अधिक भी हो सकता है--केन्द्र द्वारा भुगतान किए जाने के लिए कहा जा रहा है तो यह असंभव मालूम होता है ।

पोषण विभाग

†*१७८७. **श्री दी० चं० शर्मा :** †
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री खुशवक्त राय :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय खाद्य मंत्रालय की एक स्थायी शाखा के रूप में पोषण विभाग की स्थापना करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका गठन और कृत्य क्या होंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी हां । खाद्य विभाग में पोषण संबंधी समस्याओं के कार्य के लिए एक शाखा (विंग) खोलने का प्रस्ताव है । सामान्य प्रक्रिया के अनुसार इस संगठन के लिए आवश्यक पदों का निर्माण प्रारंभ में अस्थायी आधार पर किया जायेगा । परन्तु बाद में हो सकता है कि उन्हें अनुभव के अनुसार स्थायी बनाना पड़े ।

(ख) संगठन का ब्यौरा अभी तैयार किया जाना है परन्तु प्रारंभिक कदम के रूप में दो गजटेड पद और कुछ नॉन-गजटेड पद मंजूर किए गए हैं ।

मोटे तौर से पोषण शाखा देश के विभिन्न भागों की खाद्य की खपत के रूप का मूल्यांकन करेगी, पोषण के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उपायों के सुझाव देगी, विभिन्न क्षेत्रों के लिए संतुलित आहार का प्रचार करेगी, खाने की उपयुक्त आदतें डालने का प्रयत्न करेगी और पोषण संबंधी कमियों को दूर करने के उपाय निकालने में सामान्य सहायता देगी ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : पोषण के संबंध में भारत का कौन सा राज्य बहुत पिछड़ा हुआ है और कौन सा राज्य बहुत आगे है ?

†**श्री अ० म० थामस** : सबसे आगे तो पंजाब है और सबसे पिछड़े हुए के संबंध में मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यह शाखा केवल गवेषणा कार्य करेगी अथवा वह इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन भी करेगी ?

†**श्री अ० म० थामस** : उसका कार्य केवल गवेषणा संबंधी ही नहीं होगा । खाद्य विभाग में अभी भी एक छोटा सा विभाग है जो अनुपूरक और संरक्षी आहार का कार्य करता है । यह पोषण विभाग या तो उस विभाग की दूसरी शाखा होगी या उसे उसी संगठन में मिला दिया जायेगा । विभाग का मुख्य कार्य क्रियान्वयन संबंधी होगा क्योंकि गवेषणा तो मुख्यतः स्वास्थ्य मंत्रालय का कार्य है । यह तो संचालन संगठन होगा जिसके द्वारा योजनाओं का क्रियान्वयन और प्रचार किया जायेगा ।

डा० गोविन्द दास : अभी शायद मंत्री जी ने यह कहा है कि इस सम्बन्ध में कुछ प्रचार भी किया जाएगा । मैं जानना चाहता हूं कि कौनसी वस्तुयें खानी चाहियें, कौनसी नहीं, कौनसी वस्तुओं में दोष हैं और कौन सी में गुण हैं, इस सम्बन्ध में भी क्या कोई साहित्य प्रकाशित करने का विचार किया गया है और अगर किया गया है तो क्या वह साहित्य सभी भारतीय भाषाओं में प्रकाशित किया जाएगा या किसी खास भाषा में किया जाएगा ?

खाद्य तथा कृषि मन्त्री (श्री स० का० पाटिल) : जरूर इस प्रकार के साहित्य का निर्माण होगा और वह हर एक भाषा में होगा ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : इस योजना में कितना व्यय होगा ?

†**श्री अ० म० थामस** : जैसाकि मैं बता चुका हूं, ब्यौरा अभी तैयार किया जा रहा है । अभी हम दो तीन नियुक्तियां करने जा रहे हैं—प्रविधिक उप-सलाहकार, प्रविधिक सहायक-सलाहकार और कुछ प्रविधिक सहायक ।

†**श्री नंजप्पा** : इस शाखा का हैदराबाद स्थित पोषण प्रयोगशाला से क्या संबंध होगा ?

†**श्री अ० म० थामस** : विभिन्न प्रयोगशालाओं और केन्द्रीय खाद्य तथा प्रौद्योगिक गवेषणा संस्था, मैसूर के साथ निकट सम्पर्क रखा जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दी० चं० शर्मा** : माननीय मंत्री ने कहा कि संतुलित आहार जानने का प्रयत्न किया जायेगा । क्या अभी तक संतुलित आहार जानने के संबंध में कोई प्रयत्न किया गया है ? यदि हमने कुछ किया है तो क्या भारत के लिए संतुलित आहार के संबंध में हमारे पास कोई आंकड़े हैं ?

†**श्री अ० म० थामस** : जी हां, हमारे पास संतुलित आहार की आवश्यकताओं के आंकड़े हैं । परन्तु खाद्य विभाग मुख्यतः खाद्यान्नों के आयात, उत्पादन, वितरण और संग्रह का कार्य करता रहा है तथा उसने केवल पोषण और अन्य संबंधित समस्याओं पर ही ध्यान नहीं दिया है । इसीलिए एक नया विभाग खोलने का विचार किया गया है ।

†**श्री त्यागी** : मैंने बंगलौर की केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक गवेषणा संस्था द्वारा प्रकाशित कुछ सुन्दर पुस्तिकायें देखी हैं । इसलिए मैं समझता हूं इस प्रकार के दोहरे कार्य की कोई आवश्यकता नहीं है । वह संस्था संतुलित आहार के संबंध में गवेषणा कर ही रही है । मैं नहीं समझता कि फिर यह संगठन क्यों बनाया जा रहा है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : अभी हमारे देश में आहार संबंधी प्रश्न अत्यन्त प्रारंभिक अवस्था में है । जहां तक मैसूर की खाद्य प्रौद्योगिक गवेषणा संस्था का संबंध है वहां मुख्यत: गवेषणा कार्य होता है । परन्तु खाद्य संबंधी आदतें बदलने के लिए कुछ प्रचार कार्य भी करना होता हैं । यह बहुत व्यापक विषय है और हम खाद्य तथा कृषि संगठन के साथ भी सहयोग कर रहे हैं जो हमारा पोषण के स्तर के सुधार के संबंध में पथ प्रदर्शन करता है ।

†**डा० सुशीला नायर** : चूंकि स्वास्थ्य सुधार के लिए आहार एक अत्यन्त निवारक उपाय है, क्या खाद्य मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच कोई समन्वय है, और यदि हां, तो क्या ? दूसरे, खाने की आदतें बदलना ऐसा कार्य है जो मुख्यत: जनता द्वारा ही किया जा सकता है । अत: क्या इस कार्य के लिए कोई गैर-सरकारी बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : जहां तक समन्वय का प्रश्न है, स्वास्थ्य मंत्रालय और हमारे मंत्रालय के बीच पूर्ण समन्वय होगा । जहां तक क्रियान्वयन के पहलू का संबंध है, यह कृषि मंत्रालय की शाखा है । इसलिए वह जो भी सुझाव देगा उसे संबंधित विभागों द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा । जहां तक गैर-सरकारी सहयोग का संबंध है, माननीय सदस्य जानते होंगे कि अभी भी हम जो थोड़ा सा कार्य कर रहे हैं उसमें भी हम गैर-सरकारी संगठनों की सहायता ले रहे हैं । भविष्य में ऐसा बड़े पैमाने पर किया जायेगा ।

हिन्दी में वार्षिक रिपोर्टें

\+
१७८६. { **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री ब्रजराज सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन जो विभिन्न सरकारी संस्थायें हैं उनकी वार्षिक रिपोर्टें अभी तक हिन्दी में न निकलने के क्या कारण हैं ; और

(ख) भविष्य में वे रिपोर्टें अंग्रेज़ी के साथ हिन्दी में भी निकालने की क्या व्यवस्था की जा रही है और कब से उस व्यवस्था के अनुसार कार्य होने लगेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा): (क) और (ख). कुछ वार्षिक रिपोर्टें जो कि इस मंत्रालय और इसके अधीन कार्यालयों द्वारा प्रकाशित की जाती हैं, पहले ही से हिन्दी में भी प्रकाशित की जा रही हैं।

उन कार्यालयों को, जो कि अपनी रिपोर्टें केवल अंग्रेज़ी में ही प्रकाशित करते हैं, निदेश दिया जा रहा है कि वे पूर्व हिदायतों के अनुसार, हिन्दी में भी प्रकाशित करें।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि कृषि कार्य से सम्बन्धित जो व्यक्ति भारतवर्ष के अन्दर हैं उन में से अधिकांश संख्या ऐसे व्यक्तियों की है जो अपनी प्रादेशिक भाषाओं से परिचित हैं अथवा हिन्दी भाषा से परिचित हैं, लेकिन इस मंत्रालय की ओर से जो साहित्य प्रकाशित होता है उस में अंग्रेज़ी में प्रकाशित होने वाले साहित्य की मात्रा अधिक है ? और क्या भविष्य में इस बात का ध्यान रक्खा जायेगा कि इस प्रकार के साहित्य को उचित अनुपात से प्रकाशित किया जाय ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री स० का० पाटिल): पूरा ध्यान रक्खा जायेगा क्योंकि वह सब भाषाओं में प्रकाशित होना चाहिये। अंग्रेज़ी में प्रकाशित होना गलत है वह कमी है, और मैं समझता हूं कि उस का पूरा उपयोग नहीं होता है। चूंकि लोग दूसरी भाषायें समझते हैं, जैसे प्रादेशिक भाषायें और हिन्दी, इस लिये उन में इसे प्रकाशित होना चाहिये।

डा० गोविन्द दास: अभी मंत्री जी ने कहा कि पूरा ध्यान रक्खा जायेगा। मैं उन से कहना चाहता हूं कि बहुत समय से इस बात का वचन दिया जा रहा है, लेकिन वह वचन कार्य रूप में परिणत नहीं किया जा रहा है। क्या मैं जान सकता हूं कि कब तक हम यह आशा कर सकते हैं कि उन के मंत्रालय का इस प्रकार का सारा साहित्य हिन्दी में और प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित होगा ?

†**श्री स० का० पाटिल** : समय तो मैं नहीं दे सकता हूं। लेकिन मुझे याद नहीं आता कि पिछले बीस महीनों में मैं ने कभी भी इस प्रकार का वचन दिया था और उसे पूरा नहीं किया।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या डा० पद्म भूषण की बातों को ध्यान में रखते हुए इन सब प्रतिवेदनों को भारतीय भाषाओं में प्रकाशित कराने के लिए कोई प्रयत्न किया गया है ?

†**श्री स० का० पाटिल** : प्रयत्न ही नहीं किया जायेगा वरन् यह आवश्यक भी है क्योंकि उन्हें किसानों तक उन्हीं की भाषा में पहुंचाना चाहिए।

स्नातकोत्तर चिकित्सा-शिक्षा सम्बन्धी रिपोर्ट

+

†*१७९०. { **श्री कुन्हन** :
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्नातकोत्तर चिकित्सा-शिक्षा के प्रश्न की जांच करने के लिए डा० बी० सी० राय के सभापतित्व में नियुक्त की गयी समिति ने इस बीच अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस रिपोर्ट की जांच कर ली है; और

(घ) क्या निश्चय किया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†श्री कुन्हन : समिति की नियुक्ति १९५६में की गई थी फिर अभी तक प्रतिवेदन पेश न किये जा सकने का क्या कारण है ?

†श्री करमरकर : समिति को सामग्री एकत्रित करने में बहुत समय लगा । उस पर विचार करने में भी कुछ समय और लगेगा ।

†श्री बासप्पा : क्या स्नातकोत्तर चिकित्सा विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की सुविधा की व्यवस्था की गई है और क्या १५० रुपये से २०० रुपये तक वजीफा या छात्रवृत्ति देने का कोई प्रस्ताव है ?

†श्री करमरकर : स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा की वर्तमान सुविधाओं के प्रश्न पर विचार करने और सुधारों के सुझाव देने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी । माननीय सदस्य का प्रश्न तो बहुत अच्छा है परन्तु इसके लिए पृथक सूचना की आवश्यकता है ?

†डा० सुशीला नायर : इस समिति की सिफारिशों का क्रियान्वयन कौनसा अभिकरण करेगा ? क्या यह कार्य भारतीय चिकित्सा परिषद् को सौंपा जायेगा जो चिकित्सा शिक्षा की देखभाल करने के लिए सर्वोच्च निकाय है ?

†श्री करमरकर : जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं, भारतीय चिकित्सा परिषद् क्रियान्वित कुछ नहीं करती है । वह समस्त मामलों पर विचार करती है और स्नातक-पूर्व तथा स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए प्रतिमान निर्धारित करती है । क्रियान्वयन सरकारी अथवा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से होगा ।

†श्री त० ब० विट्ठल राव : यह प्रतिवेदन कब तक प्राप्त हो जायेगा? क्या उसमें विलम्ब होने का एक कारण यह है कि समिति के सभापति, जो एक प्रसिद्ध डाक्टर हैं, अत्यन्त व्यस्त व्यक्ति हैं ?

†श्री करमरकर : यह बात भी देर के लिए आंशिक कारण हो सकती है । मुख्य कारण यह है कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और बहुत सी सामग्री एकत्रित की जानी है । मुझे ज्ञात हुआ है कि वह इस मामले पर मई में होने वाली बैठक में विचार करेंगे ।

†डा० सुशीला नायर : क्या भारतीय चिकित्सा परिषद् का एक कार्य यह नहीं है कि उचित प्रतिमान बनाये रखे और यदि हां, तो स्नातकोत्तर चिकित्सा-शिक्षा को इस परिषद् के पर्यालोकन से निकाल देने का क्या कारण है ?

†श्री करमरकर : जो कुछ अधिनियम में दिया हुआ है उसकी चर्चा सभा में नहीं की जानी चाहिए । अधिनियम सभा के पुस्तकालय में मौजूद है । अधिनियम की विषयवस्तु के सम्बन्ध में मतभेद हो सकते हैं । सरकार का मत मैं बता चुका हूं । भारतीय चिकित्सा परिषद् प्रतिमान निर्धारित करेगी तथा उनका क्रियान्वयन अन्य अभिकरणों द्वारा किया जायेगा । वह अपनी सिफ़ारिशों अथवा निर्णयों को स्वयं क्रियान्वित नहीं कर सकती है ।

†श्री कुन्हन : क्या समिति मेडिकल कालेजों में शिक्षा के स्तर में गिरावट के प्रश्न पर भी विचार करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री करमरकर : स्तर गिर नहीं रहा है। यह ठीक है कि बहुत सी संस्थाओं के बनने के कारण अध्यापकों की कमी है। परन्तु स्तर कैसे गिर सकता है जबकि परीक्षायें ली जाती हैं और केवल पास होने वालों को ही डिगरियां प्रदान की जाती हैं। स्तर में तनिक भी गिरावट नहीं आई है। अध्यापकों की कमी के कारण हतोत्साहित नहीं होना चाहिए।

भाखड़ा नहर की दीवार में दरार

†*१७६१. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल में भाखड़ा नहर की दाईं ओर की दीवार में काफी बड़ी दरार पड़ गयी है जिसके कारण बहुत सी जमीन जलमग्न हो गयी है; और

(ख) यदि हां, तो और भूमि के बड़े क्षेत्र को पानी में डूबने से रोकने के लिए और दरार को बन्द करने के लिए इस बीच क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) भाखड़ा की मुख्य नहर में कोई दरार नहीं पड़ी है। परन्तु १२ अप्रैल, १९६१ को बालसमंद सहायक नहर में छोटी सी दरार पड़ गई थी।

(ख) दरार को १४ अप्रैल को बन्द कर दिया गया था।

†**श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या सरकार ने दरार पड़ने के कारण जानने का प्रयत्न किया है और क्या वह दरार अचानक ही पड़ गई थी और अधिकारियों को उसकी पहले से कोई आशंका नहीं थी ? यदि दरार का पता लग गया था तो समय में उचित कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

†**श्री हाथी** : मुख्य नहर की दीवार में कोई दरार नहीं पड़ी थी। वह दरार केवल १५–५४ की थी। उससे केवल १३७ एकड़ क्षेत्र में पानी फैला था। वह दरार बहुत साधारण थी तथा उसके कारण की जांच की जा रही है।

†**श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या यह सच है कि बाढ़ के पानी से बहुत सा क्षेत्र जलमग्न हो गया था और यदि हां तो कितना ?

†**श्री हाथी** : जैसा मैंने कहा था पानी केवल १७३ एकड़ क्षेत्र में फैला था।

†**श्री राधारमण** : क्या भाखड़ा नहर में प्रति वर्ष कहीं न कहीं दरार पड़ती रहती है और क्या सरकार ने इसके कारणों की जांच कराई है ?

†**श्री हाथी** : जैसा मैंने कहा था यह एक छोटी सी सहायक नहर है जिसमें केवल २०० क्यूज़ेक पानी आता है। मुख्य नहर में कोई दरार नहीं आई है। अतः हमें आतंकित नहीं होना चाहिए।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : जो दरारें एक या दो वर्ष पूर्व पड़ी थीं क्या उनके सम्बन्ध में कोई जांच कराई गई है और, यदि हां, तो क्या दरारों के प्रश्न पर विचार करने के लिए कोई समिति नियुक्त की गई है ताकि भविष्य में ऐसा न हो ?

†**श्री हाथी** : मैं समझता हूं कि समय समय पर जो दुर्घटनायें हुई हैं उनकी जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की गई थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या उस दीवार में, जिसमें दरार पड़ी है, लाईनिंग था और, यदि हां, तो वह इकहरा था अथवा दोहरा ?

†**श्री हाथी** : मैं समझता हूं कि उसमें लाईनिंग नहीं होता है।

गंडक सिंचाई और विद्युत् परियोजना

+

†*१७६३. { **श्री विभूति मिश्र** :
श्री आसर :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंडक सिंचाई और विद्युत् परियोजना में कौन से राज्य भाग ले रहे हैं;

(ख) इस परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है और इसमें विभिन्न राज्यों का हिस्सा क्या होगा;

(ग) क्या परियोजना की क्रियान्विति प्रारम्भ हो गयी है;

(घ) केन्द्र द्वारा इस परियोजना को कितनी वित्तीय सहायता दिये जाने का विचार है;

(ङ) क्या इस प्रयोजन के लिए कुछ विदेशी मुद्रा की मंजूरी दी गयी है; और

(च) क्या केन्द्रीय सरकार ने परियोजना के प्राधिकारियों को कोई निदेश दिये हैं कि तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जाये ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) बिहार और उत्तर प्रदेश।

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत ५१४४ लाख रुपये है जिसमें से ४०४७ लाख रुपये बिहार देगा और १०९७ लाख रुपये उत्तर प्रदेश।

(ग) हां, श्रीमान्। परियोजना का निर्माण-कार्य चल रहा है।

(घ) इस प्रयोजन के लिए केन्द्र से कोई पृथक सहायता नहीं दी जा रही है।

(ङ) नहीं, श्रीमान्। भारत सरकार द्वारा परियोजना के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

(च) नहीं, श्रीमान्।

श्री विभूति मिश्र : क्या यह सही है कि आज गंडक प्रोजेक्ट के लिए जो क्लास ३ और क्लास ४ के एम्पलाईज की बहाली होती है वह गंडक कमांडेड एरिया के लोगों में से नहीं होती। क्या केन्द्रीय सरकार ने कोई निर्देश दिया है कि इन जगहों पर बहाली के लिए गंडक कमांडेड एरिया के लोगों को और उनके बच्चों को लिया जाये ?

श्री हाथी : अभी तो वहां कोई एरिया सबमर्ज नहीं हुआ है।

श्री विभूति मिश्र : मैं यह जानना चाहता था कि गंडक प्रोजेक्ट के लिए जो क्लर्कों और पियन्स, यानी क्लास ३ और क्लास ४ के एम्पलाईज की बहाली होती है क्या उसके लिए सरकार ने कोई निर्देश दिया है कि गंडक कमांडेड एरिया के आदमी ही इन जगहों के लिए लिए जायें ?

†**श्री हाथी** : यह मामला बिहार सरकार से सम्बन्धित है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या परियोजना के लिए प्रवीण कर्मचारियों की आवश्यकताओं का निर्धारण किया गया है ?

†**श्री हाथी** : मैं समझता हूं कि राज्य सरकार ने परियोजना प्रतिवेदन दिया है जिसमें आवश्यक प्रवीण और अप्रवीण कर्मचारियों तथा मजदूरों और सामग्री का उल्लेख है ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : इसमें कितनी बिजली पैदा होगी तथा उसका बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल के बीच विभाजन किस प्रकार होगा ?

†**श्री हाथी** : मुख्य परियोजना में तो केवल नेपाल क्षेत्र में लगभग १५,००० किलोवाट बिजली उत्पन्न होगी जो केवल नेपाल के लिए ही होगी ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : इसके लिए कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ?

†**श्री हाथी** : अभी तक की आवश्यकता लगभग ३८ लाख रुपये की हैं ।

†**श्री विभूति मिश्र** : उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल में गंडक कमांडेड एरिया है । फिर आपने बिहार सरकार को रेफर करने के लिये ही क्यों कहा । इन जगहों में क्लास ३ और क्लास ४ के आदमी लिए जाने वाले हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय मंत्रालय ने ऐसा निर्देश दिया है कि इन जगहों के लिए गंडक कमांडेड एरिया के आदमी लिए जाएं ।

†**श्री हाथी** : सामान्यतः हम राज्य सरकारों को कोई निदेश नहीं देते हैं । भरती करना राज्य सरकार के हाथ में है परन्तु जब स्थानीय व्यक्ति उपलब्ध होंगे तो अनिवार्यतः उन्हें ही लिया जायेगा ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : इस कार्य के पूर्ण होने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री हाथी** : आठ वर्ष ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न, श्री दी० चं० शर्मा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : हम डा० गोविन्द दास को पद्म भूषण की उपाधि प्रदान किए जाने के उपलक्ष में बधाई देना चाहते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : बहुत अच्छा । मैं मानता हूं कि डा० गोविन्द दास इस उपाधि के लिए सर्वथा योग्य हैं परन्तु मैं चाहता हूं कि इस प्रकार की चीजें सभा में न लाई जाय । इसका कारण यह है कि हो सकता है कि कुछ माननीय सदस्य उन्हें इस उपाधि का दिया जाना ठीक न समझते हों क्योंकि लोग ईश्वर तक को गाली देने से नहीं चूकते हैं । ऐसी स्थिति में मैं यही चाहूंगा कि सभा में इस प्रकार के निर्देश न किए जायें । माननीय सदस्य बाहर बैठक करके उनको बधाई दे सकते हैं परन्तु सभा में यह मामला नहीं लाना चाहिए ।

शहादरा में कोढियों की बस्ती

†*१७९४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहादरा में कोढ़ियों की एक पृथक बस्ती बनाने की प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) कोढ़ियों को क्या सुविधाएं प्रदान करने का विचार है ?

---

†मल अंग्रेजी में

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) शहादरा के निकट ताहिरपुर में एक पृथक बस्ती के निर्माण के लिए ४·६ एकड़ भूमि का एक टुकड़ा निर्धारित किया गया है । उसमें लगभग ५०० कुष्ठ रोगियों को मकान देने का विचार किया जा रहा है जो अभी जमुना बाजार तथा अन्य स्थानों में रह रहे हैं ।

(ग) उस बस्ती के निवासियों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है :

(क) २०० मकान जिनमें एक १२'+१०' का कमरा, एक बरांडा, एक छोटी सी रसोई और सहन होगा ।

(ख) कम्यूनिटी हाल ।

(ग) दो वर्कशाप शेड ।

(घ) कोढ़ी भिखारियों के बच्चों के लिए एक स्कूल ।

(ङ) कोढ़ से पीड़ित बच्चों के लिए शयनागार ।

(च) उचित चिकित्सा सुविधायें ।

(छ) पीने के पानी का प्रबन्ध जो संभवतः दिलशाद ट्रस्ट के तालाब से पाइप लाइन डाल कर किया जायेगा ।

†श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह बस्ती दिल्ली के समस्त कोढ़ियों को बसाने के लिए पर्याप्त होगी ?

†श्री करमरकर : वह ५०० कुष्ठ रोगियों के लिए नाई जा रही है । यदि इससे अधिक रोगी हों तोजाहिर है कि वह पर्याप्त नहीं होगी ।

†डा० सुशीला नायर : दिल्ली के अधिकांश कोढ़ी विभिन्न राज्यों से यहां आए हैं । क्या उन्हें यहीं रखा जायेगा अथवा उनके राज्यों को वापस भेज दिया जायेगा ?

†श्री करमरकर : हाल में जो अधिनियम लागू किया गया है उसके अनुसार कोढ़ी भिखारियों को पकड़ कर बन्द कर दिया जाता है । इस प्रकार कोढ़ी भिखारी तो तितर बितर हो गए हैं । परन्तु जो वास्तविक रोगी हैं उनके लिए प्रबन्ध किया जा रहा है ।

†श्री श्रीनारायण दास : अभी वहां कितने कुष्ठ रोगी ले जाये गए हैं ?

†श्री करमरकर : ले जाये गए हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का तात्पर्य है कि क्या कुष्ठ रोगियों की गणना की गई है ?

†श्री करमरकर : नहीं श्रीमान् ।

†श्री श्रीनारायण दास : मैंने यह पूछा था कि दिल्ली क्षेत्र से कितने कुष्ठ रोगी इन बस्तियों में ले जाये गए हैं ?

†श्री करमरकर : दो वर्ष पूर्व दो या तीन सौ लोग ले जाये गए थे । परन्तु उनमें से आधे दिल्ली लौट आए हैं । इस समय यह बताना बहुत कठिन है कि वहां कितने रोगी अभी हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० सुशीला नायर : क्या कुष्ठ रोगियों के स्वस्थ बच्चे शाहदरा अस्पताल के लिए बनाई गई इमारत में रखे गए हैं और यदि हां, तो वह इमारत कब तक खाली होगी ताकि अस्पताल चालू हो सके ?

†श्री करमरकर : इस सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन बहुत प्रयत्न कर रहा है और कुष्ठ रोगियों के बच्चों के लिए शीघ्र ही कोई प्रबन्ध कर दिया जायेगा ।

†श्रीमती मंजुला देवी : कोढ़ी उस बस्ती से दिल्ली क्यों लौट आए हैं ?

†श्री करमरकर : क्योंकि वे यहां आकर भीख मांग सकते हैं ।

†श्रीमती मंजुला देवी : क्या ऐसा तो नहीं है कि बस्ती का प्रबन्ध सन्तोषजनक न हो और उनके लिए उत्साहजनक न हो ?

†श्री करमरकर : हां बस्ती उनके लिए उत्साहजनक तो नहीं है क्योंकि बहुत से भिखारी यहां १० रुपये प्रति दिन तक कमा लेते हैं जब कि बस्ती में वे ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहां उनका उपचार किया जाता है । अतः सभी यहां आकर कमाई करना चाहते हैं ।

†श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं यह जान सकता हूं कि सरकार ने जिस तरह से दिल्ली और नई दिल्ली में तपेदिक के रोगियों की संख्या का पता लगाने का प्रयत्न किया था, उसी प्रकार दिल्ली राज्य में कुष्ठ रोगियों की संख्या का पता लगाने का कुछ प्रयास किया जा रहा है ? यदि नहीं तो भविष्य में उनकी संख्या का पता लगाने का कुछ प्रयास किया जायेगा ?

श्री करमरकर : अभी एक स्कीम चल रही है तपेदिक और दूसरे आम रोगों के मरीजों की संख्या का पता लगाने की, लेकिन अभी यह चीज केवल उन पांच लाख लोगों तक ही सीमित है जो कि कंट्रीब्यूटरी हैल्थ स्कीम के अन्तर्गत आते हैं । अभी उनके बारे में स्टेटिस्टिकल स्टडी की जा रही है कि उनमें ज्यादातर कौन कौन रोग होते हैं । उसके बाद यह अन्दाजा लगाया जायगा कि इस काम को दिल्ली में और बढ़ाया जाए और देश के अन्य भागों में बढ़ाया जाए ।

†श्री राधा रमण : शाहदरे को जाकर वहां से वापस आ जाने वाले इन कुष्ठ रोगियों के अतिरिक्त दिल्ली में और कितने कुष्ठ रोगी बसे हुए हैं और क्या कोई ऐसी योजना है जिससे उन्हें शीघ्रातिशीघ्र वहां से हटा कर कुष्ठ रोगियों की बस्ती में बसाया जा सके ?

†श्री करमरकर : जी, हां । ऐसी एक योजना है जिस पर दिल्ली प्रशासन द्वारा विचार किया जा रहा है । मैं समझता हूं कि वे दिल्ली के विभिन्न भागों में फैले हुए हैं । उनके मुख्यतया दो केन्द्र हैं---एक यमुना नगर में और दूसरा शाहदरे के आस पास । दिल्ली प्रशासन उनके सम्बन्ध में सक्रिय विचार कर रहा है ।

†डा० सुशीला नायर : क्या कोई ऐसी भी योजना है जिससे उन रोगियों का इलाज करने के बाद उन्हें पुनः बसाया जा सके ?

†श्री करमरकर : जी, हां । उन्हें अनुपूरक काम सिखाने के लिये उनके लिये 'वर्क शेड' भी बनाए हुए हैं । परन्तु वह एक दीर्घकालीन कार्यक्रम है ।

†श्री भा० कृ० गायकवाड़ : उन बस्तियों में उन रोगियों को क्या-क्या सुविधायें दी जायेंगी ? क्या उन्हें कोई काम भी सौंपा जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री बता चुके हैं कि उन्हे काम देने के सम्बन्ध में प्रबन्ध किये जा रहे हैं ।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : उन्हें किस प्रकार का कार्य सिखाया जायेगा ?

†**श्री करमरकर** : मैं निश्चित रूप से तो नहीं बता सकता परन्तु उनके योग्य विभिन्न प्रकार के कार्य उन्हें दिये जायेंगे । यह एक दीर्घकालीन कार्यक्रम है और इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कुछ भी नहीं कहा जा सकता । इस समय तो केवल इस बात की ओर ध्यान दिया जा रहा है कि कुष्ठ रोगियों की इस समस्या को किस ठोस कार्यक्रम के द्वारा शीघ्र ही हल किया जाये ।

†**डा० सुशीला नायर** : क्या यह सच है कि भारत के एसोसियेशन ऑफ़ लेपरोसी वर्कर्स नामक संस्था ने कुष्ठ रोग के रोगियों को "कोढ़ी' संज्ञा देने की निन्दा की है ? इस शब्द के प्रयोग को रोकने के सम्बन्ध में स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कार्यवाही कर रहा है, क्योंकि इस महान सभा में भी इस शब्द का बार बार प्रयोग किया जा रहा है ?

†**श्री करमरकर** : जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम इस शब्द का प्रयोग नहीं करते । मैं स्वयं इस शब्द का कभी प्रयोग नहीं करता । स्वास्थ्य मंत्रालय भी इस शब्द का प्रयोग नहीं करते । परन्तु यदि कोई माननीय सदस्य कभी उसका प्रयोग करता है तो मैं उन्हें रोक नहीं सकता ।

†**अध्यक्ष महोदय** मैं इस बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं कि उन्हें किस शब्द से पुकारा जाना चाहिये । क्या 'कुष्ठ रोगी' इस शब्द से ?

†**श्री करमरकर** : जी, हां । उन्हें 'कुष्ठ रोगी' इस शब्द से सम्बोधित करना चाहिये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : भविष्य में हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिये ।

भागलपुर नगरपालिका द्वारा रेलवे इंजन की कथित कुर्की

†*१७६६. **श्रीमती मैमूना सुल्तान** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान ८ अप्रैल, १९६१ के 'सर्चलाइट' (पटना) के इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भागलपुर में पूर्वोत्तर रेलवे का इंजन भागलपुर नगरपालिका द्वारा कुर्क कर लिया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो भागलपुर नगरपालिका को किन कारणों से यह कदम उठाना पड़ा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ख). 'सर्चलाइट' में छपी हुई यह खबर सरकार के ध्यान में आई है । पूर्वोत्तर रेलवे को भागलपुर की नगरपालिका से एक नोटिस प्राप्त हुआ है जिसमें रेलवे इमारतों पर अधिक कर का दावा किया गया है । रेलवे ने नगरपालिका से प्रार्थना की है कि वह उस दावे के ब्योरे भेजे और जांच पड़ताल के बाद बकाया राशि अदा कर दी जायेगी । नगरपालिका से प्राप्त नोटिस में इंजन को कुर्क करने का कुछ भी उल्लेख नहीं है ।

नागा विद्रोहियों द्वारा गश्ती इंजन पर गोली चलाया जाना

+

†*१७६७. { **श्रीमती मफीदा अहमद** :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागा विद्रोहियों ने ५ अप्रैल, १९६१ को पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के

†मूल अंग्रेजी में

लुमडिं-गबदरपुर सैक्शन पर मुरा और मेवांग स्टेशनों के बीच एक गश्ती इंजन पर पुनः (अभी हाल के कुछ सप्ताहों में दूसरी बार) गोली चलायी ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का पूरा ब्योरा क्या है ; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) और (ख) जी, हां । ३–४–६१ को दोपहर के ३ बज कर ४५ मिनट पर डाउन पैट्रोल स्पेशल के खाली इंजन के मेवांग पहुंचने पर गार्ड ने यह रिपोर्ट लिखवाई कि मुरा और मेवांग स्टेशनों के बीच सुरंग संख्या ५ के निकट इंजनपर गोली चली थी । इंजन की दायीं ओर को गोलियों के निशान देखे गये जिनके सम्बन्ध में 'सर्च लाइटस्पेशल' के सूबेदार ने यह प्रमाणित किया है कि ये निशान ताजी गोलियों के निशान हैं । रेलवे के उस सेक्शन की एक दम खोज की गयी परन्तु उस क्षेत्र में कोई भी नागा विद्रोही नहीं पाये गये । इस घटना से जान या माल का कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है ।

(ग) सुरक्षा सम्बन्धी निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :—

(१) आशंका पूर्ण सेक्शनों में सेना की गश्त को बढ़ा दिया गया है ।

(२) आशंका पूर्ण क्षेत्रों में सेना की चौकियों की संख्या बढ़ा दी गयी है ।

(३) गाड़ियों की रक्षा के लिये सशस्त्र सेना और रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारी गाड़ियों के साथ जाते हैं ।

(४) रेलवे कर्मचारियों तथा चालकों की रक्षा के लिये गाड़ियों में इस्पात की प्लेटों के शटर आदि लगा दिये गये हैं ।

(५) रेलवे लाइन के दोनों ओर के जंगलों को काटा जा रहा है

†**श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या रेलवे लाइन के आस पास विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा सेनायें भी तैनात की जाती हैं या नहीं ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : विभिन्न खतरे वाले स्थालों पर दस्ते तैनात कर दिये जाते हैं । दस्तों के अलावा गश्त भी की जाती है

†**श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या रेलवे लाइन के आस पास स्थायी रूप से चौंकियां स्थापित करने का कोई प्रबन्ध है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : जैसा कि मैंने बताया है खतरे वाले स्थानों पर दस्ते यानी चौकियां स्थापित कर दी जाती हैं ।

†**श्री अमजद अली** : क्या इस बात का पता लगा लिया गया है कि नागा विद्रोहियों के आक्रमण विशेषरूप से किस-किस स्थल पर होते हैं और उनकी रक्षा के लिये सुरक्षा कार्यवाहियां कर दी गयी हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : रेलवे लाइन के क्षेत्र में ऐसे कोई भी स्थल नहीं हैं जिन्हें हम विशेष से आक्रमण के स्थल कह सकें परन्तु होता यह है कि दूर दूर के क्षेत्रों से नागा विद्रोही किसी सम: किसी स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं और गाड़ी पर गोली चला कर भाग जाते हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अमजद अली: क्या उन क्षेत्रों में सशस्त्र सैनिक गश्त लगाते हैं और या उन क्षेत्रों की छान बीन करने का कोई प्रयत्न किया जा रहा है ?

†श्री शाहनवाज़ खां : यह तो एक निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया है । सैनिक गश्त उन क्षेत्रों में सदा जारी रहती है, परन्तु क्योंकि वहां घने जंगल हैं, इसलिये सुरक्षा कार्यवाहियां करने के बाद भी वे विद्रोही आ जाते हैं और गाड़ियों पर गोली चला देते हैं ।

रेलवे द्वारा घर पर सामान पहुंचाना[1]

†*१७९८ { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री आचार :
श्री प्र० चं० बरूआ : }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेलों में घर पर सामान पहुंचाने की योजना में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या इसे उत्तरी रेलवे में क्रियान्वित किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो किन स्थानों पर ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) यह योजना फिलहाल भारतीय रेलों के ४३ स्थानों पर चल रही है ।

(ख) और (ग). जी, हां । इलाहाबाद, कानपुर, लुधियाना, दिल्ली और नई दिल्ली ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या जहां यह योजना चलायी गयी है वहां यह सन्तोषजनक ढंग से चल रही है और क्या रेलवे मंत्रालय को उस योजना के अच्छी प्रकार से चलने के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त हुई है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : रिपोर्ट अधिक सन्तोषजनक नहीं है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** :जयदि इसकी रिपोर्टें अधिक सन्तोषजनक नहीं हैं तो क्या सरकार इस योजना को समाप्त कर देगी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : जी, नहीं हम इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिये और कई उपायों को अपनाने का यत्न कर रहे हैं ।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : माननीय मंत्री ने बताया है कि यह योजना दिल्ली और नई दिल्ली में चल रही है, परन्तु मैंने रेलवे अधिकारियों से पूछा है और उनसे ज्ञात हुआ है कि यह योजना नहीं चल रही है ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** :जयह योजना इस मास की १५ तारीख से प्रारम्भ हुई है ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : यह योजना वास्तव में किस प्रकार की है ? उसके ब्योरे क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Door to door delivery of goods.

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : यह योजना वास्तव में ठेकेदारों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। वे स्वयं जाकर घरों से वस्तुयें इकट्ठी करते हैं और उन्हें बुक करवाते हैं तथा गन्तव्य स्थान तक पहुंचाते हैं। इस सेवा के लिये वे खर्चा ले लेते हैं।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : इस योजना के प्रति जनता की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री पहले ही बता चुके हैं कि परिणाम अधिक उत्साहवर्धक नहीं रहे हैं।

†**श्री सुब्बया अम्बलम** : माननीय मंत्री ने बताया है कि नई दिल्ली में यह योजना इस मास की १५ तारीख से चालू है। मैं जानना चाहता हूं कि यह योजना उत्तर रेलवे में कब से चल रही है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : नवम्बर, १९५८ से पहले उत्तर रेलवे में यह योजना कहीं भी चालू नहीं थी। उसके बाद यह योजना कानपुर, इलाहाबाद और लुधियाना में लागू की गयी। अब कानपुर, इलाहाबाद और लुधियाना से यह रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि प्रति मास औसतन १२ पैकेज इकट्ठे होते हैं। इससे ज्ञात होता है कि यह अधिक लोकप्रिय नहीं है।

†**श्री विभूति मिश्र** : क्या व्यापारियों के कारण ही यह योजना अधिक लोकप्रिय नहीं हो रही है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : कदाचित् व्यापारियों और दलालों के कारण ही यह योजना अधिक लोकप्रिय नहीं बन रही है। क्योंकि वे इनके कार्य में बाधा स्वरूप हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या यह सच नहीं है कि लोगों ने शिकायत की है कि इस योजना के अधीन ग्राहकों से बहुत अधिक खर्चा लिया जा रहा है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : संभव है कि यह भी एक कारण हो। हम इस सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं।

†**श्री तंगामणि** : दक्षिण रेलवे में किस किस स्थान पर यह योजना चल रही हैं ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या मद्रास में 'सिम्पसन्स' को सामान अपनी लारियों में ले जाने का काम सौंपा गया है और यह तरीका अभी भी जारी है।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : दक्षिण रेलवे में लगभग २१ स्टेशनों पर कलेक्शन और डिलीवरी सर्विस है। तीन स्टेशनों पर केवल स्ट्रीट कलेक्शन सर्विस है। जहां तक एस० आर० वी० एस० के ठेकेदार होने का सवाल है, मुझे इसका पता नहीं है। इसके लिये मुझे पूर्वसूचना चाहिये।

†**श्री विभूति मिश्र** : क्या इस योजना को गति देने और कठिनाइयों को दूर करने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई योजना बनायी है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : हम सभी प्रकार के संभव यत्न कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्नों के लिखित उत्तर

राजस्थान नहर

†*१७७९. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान नहर के समूचे मार्ग में दोनों तरफ और तल में, उन स्थानों पर जहां दरारें हैं और मिट्टी कड़ी है, दोहरी 'लाइनिंग' के निश्चय से नहर के मौजूदा निर्माण कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन होगा ;

(ख) इस निश्चय के फलस्वरूप कितना अधिक व्यय होगा ; और

(ग) कुल कितनी लम्बाई में दोहरी 'लाइनिंग' की जायेगी ?

†**सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) लगभग ३°५० करोड़ रुपये ।

(ग) सम्पूर्ण मुख्य नहर जिसकी लम्बाई ४२५ मील है, को दोनों साइडों में डबल टायल लाइनिंग लगाने का विचार है । इसी प्रकार से सम्पूर्ण नहर की धरातल में सिंगल टायल लाइनिंग लगाने का विचार है, सिवाय उन मार्गों के जहां भूमि की स्थिति अच्छी नहीं है । आशा है कि ऐसे मार्गों की कुल लम्बाई ५० मील होगी ।

स्वास्थ्य योजनायें

†*१७८०. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्वास्थ्य योजनाओं को तैयार करने में राज्यों की चिकित्सा संथाओं और भारतीय चिकित्सा संथा का सहयोग प्राप्त रकरने की किसी योजना पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). स्वास्थ्य योजनाओं के निर्माण में 'राज्य चिकित्सा सन्थाओं' और भारतीय चिकित्सा सन्था से सहयोग प्राप्त करने के सम्बन्ध में सरकार किसी भी योजना पर विचार नहीं कर रही है । वास्तव में सामान्य नीति के रूप में स्वास्थ्य योजनायें बनाते समय इस प्रकार की चिकित्सा संथाओं के मत और मंत्रणा को सदा ध्यान में रखा जाता है । केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद की बैठकों में भारतीय चिकित्सा संथा के प्रभाव को नियमित रूप से आमंत्रित किया जाता है और संथा को योजना आयोग द्वारा स्थापित 'स्वास्थ्य सम्बन्धी तालिका' में प्रतिनिधित्व दिया गया है । यह तालिका स्वास्थ्य सम्बन्धी क्षेत्र की योजनाओं की प्रगति पर विचार करने के लिये और तृतीय पंच वर्षीय योजना सम्बन्धी कार्यक्रमों के बारे में आयोग को परामर्श देने के लिये नियुक्त की गयी है ।

नर्मदा नदी सम्बन्धी बोर्ड

†१७८१. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंहजी** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नर्मदा नदी के लिये एक बोर्ड बनाने का निर्णय किया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इसमें किन व्यक्तियों को शामिल करने का विचार है ; और

(ग) इस बोर्ड के निर्देश पद क्या होंगे ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ग). नर्मदा बेसिन के लिये एक बोर्ड बनाने का विचार है । इस सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्य सरकारों को लिख दिया गया है और इस सम्बन्ध में उन सरकारों की सहमति मांगी गयी है । उनका उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है । राज्य सरकारों से उत्तर प्राप्त हो जाने के बाद ही बोर्ड के सदस्यों और निर्देश पदों के बारे में फैसला किया जा सकेगा ।

संयुक्त राष्ट्र अमरीका में पर्यटन प्रचार

†*१७८२. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राज्य अमरीका में किये जा रहे पर्यटन सम्बन्धी प्रचार की यथेष्ठता और प्रभावोत्पादकता का निष्पक्ष मूल्यांकन करने के लिये एक अनुसंधान परियोजना चालू करने की प्रस्थापना पर भारत सरकार विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस सिलसिले में क्या प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) जी, हां ।

(ख) अनुसंधान परियोजना अमरीका के केलेफोर्निया की स्टाफोर्ड अनुसन्धान संस्था के अभिकरण के माध्यम से एक नमूने के सर्वेक्षण के रूप में की जायेगी । उस संस्था से इस परियोजना के ब्योरे के बारे में अभी तक विचार विमर्श किया जा रहा है ।

(ग) प्रगति के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं बताया जा सकता ।

हल्दी को रंगना

†१७८८. **श्री राधा मोहन सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनकी जानकारी में यह बात आई है कि दिल्ली तथा देश के अन्य स्थानों में हल्दी के थोक व्यापारी उस को 'लेड क्रोमेट' से रंग देते हैं ताकि पीला रंग चटक हो जाये और माल की कीमत बढ़ जाये ;

(ख) क्या यह सच है कि 'लेडक्रोमेट' की मिलावट से जनता के स्वास्थ्य पर धीरे धीरे बहुत बुरा असर पड़ता है और अन्त में स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिये इस प्रकार की विषाक्त मिलावट को रोकने के लिये कोई उपाय सोच रही है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में वह क्या कदम उठाने का इरादा रखती हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) दिल्ली में लेड कम्पाउण्ड मिश्रित हल्दी का कोई नमूना नहीं पाया गया । किन्तु पश्चिम बंगाल में हल्दी के ऐसे नमूने मिले हैं जिनमें प्रायः लेड बहुत मात्रा में मिला हुआ था ।

(ख) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ). खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम १९५४ के अधीन हल्दी के लिये गुण-प्रमाप निश्चित कर दिये गये हैं जिनके अनुसार हल्दी में कोई 'लेड क्रोमेट' तथा अन्य कृत्रिम रंग देने वाली वस्तु नहीं होनी चाहिये ।

जो नमूने इन निश्चित गुण प्रमापों से नहीं मिलते उन्हें 'अपमिश्रित' घोषित कर दिया जाता है और अपराधियों पर खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम १९५४ के अधीन अभियोग चलाये जाते हैं ।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टर

†*१७९२. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में बसने के लिये प्रोत्साहित करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ; और

(ख) विभिन्न राज्यों द्वारा चिकित्सा-स्नातकों के वेतनों में, ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए, क्या वृद्धि की गयी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) चिकित्सक व्यक्तियों को ग्राम्य क्षेत्रों की ओर आकृष्ट करने के लिये अधिकांश राज्य सरकारों ने निम्नलिखित कार्यवाहियां की हैं :—

(१) सेवा की कालावधि के सम्बन्ध में सुरक्षा प्रदान करना ।

(२) पर्याप्त ग्राम्य स्वास्थ्य/गैर-व्यवसाय भत्ता देना ।

(३) रिहायशी स्थानों की व्यवस्था करना ।

सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २९०३/६१]**

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २९०४/६१]**

दामोदर घाटी निगम से बिजली का सम्भरण

†*१७९५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम का तापीय बिजली के उत्पादन का कार्यक्रम निर्धारित कार्यक्रम से पीछे है ;

(ख) यदि हां, तो कितना पीछे है ; और

(ग) इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, हां ।

(ख) लगभग सात महीने पीछे है ।

(ग) चलाते समय प्रविधिक कठिनाइयां ।

पंजाब में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

†४०४८. { श्री रामकृष्ण गुप्त :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में किस किस स्थान पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये गये हैं ; और

(ख) उक्त अवधि में उन केन्द्रों को कितनी सहायता दी गयी थी ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबंध संख्या २२]

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की योजना के अधीन प्रावस्था १ के खण्डों में प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को आवर्तक खर्च के रूप में ७५ प्रतिशत तक की राशि सरकारी सहायता के रूप में दी जाती है । [कुल राशि ६७,५०० रुपयों तक की दी जाती है जिसमें से ६०,००० रुपये या वास्तविक खर्च की ७५ प्रतिशत राशि, (दोनों में से जो भी कम हो) इमारतों के लिये है और ७५००० रुपये उपकरणों, फरनीचर, शैयायें और वस्त्रों के लिये हैं] जहां तक आवर्तक खर्च का सम्बन्ध है केन्द्रीय सरकार प्रत्येक केन्द्र को २००० रुपये वार्षिक औषधियों के लिये और ६५०० रुपये वार्षिक कर्मचारियों पर खर्च के लिये दे रही है और शेष खर्च स्वयं राज्य सरकारों द्वारा पूरा किया जाता है ।

केन्द्रीय सहायता के रूप में दी जाने वाली राशि स्वास्थ्य मंत्रालय और सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय द्वारा वहन की जाती है । स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दी जाने वाली राशि ५२,५०० रुपयों तक की या इमारतों पर आने वाले वास्तविक खर्च की २१/३२ राशि है ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में ३१ मार्च, १९५८ तक पंजाब के राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में खोल गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना तथा संधारण पर पंजाब सरकार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सहायता अनुदान के रूप में १०,५८,००० रुपये दिये गये थे । उसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सहायता अनुदान राशि सीधे ही पंजाब के महालेखापाल द्वारा अदा की जाती है । सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय द्वारा इन केन्द्रों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता तिमाही व्यय विवरणों के द्वारा खण्डों में आय व्ययक से प्राप्त की जाती है ।

मार्च, १९६१ के अन्त तक संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि की ओर से द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में पंजाब में स्थापित किये गये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये ९३ उपकरणों के सेट २२८ उपकेन्द्र उपकरण के सेट, ९३ औषधियों तथा आहार सम्बन्धी सेट और ९८ गाड़ियां प्रदान की हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वन संसाधन

†४०४९. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री उस्मान अली खां :
श्री कोडियान :
श्री वारियर :
श्री भक्त दर्शन : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ११३६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के वन संसाधनों का विस्तृत सर्वेक्षण करने के कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : योजना आयोग ने इस मंत्रालय द्वारा तैयार की गयी योजना पर विचार किया है और तृतीय योजना काल में सर्वेक्षण के लिये १.२७ करोड़ रुपये और शीघ्रता से पैदा होने वाले पौधों के उत्पादन को बढ़ाने के लिये २.७५ करोड़ रुपयों की व्यवस्था की है। १.२७ करोड़ रुपयों की उक्त राशि में केन्द्रीय सरकार द्वारा किये जाने वाले खर्च और संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि से प्राप्त होने वाली राशि सम्मिलित है। उक्त व्यवस्था को देखते हुए योजना के ब्योरे का पुनरीक्षण किया जा रहा है।

नारनौल (पंजाब) में टेलीफोन के कनेक्शन

†४०५०. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नारनौल (पंजाब) में १ जनवरी, १९५९ से ३१ मार्च, १९६१ तक कितने व्यक्तियों ने टेलीफोन के कनेक्शन के लिये आवेदन किया था ;

(ख) कितने व्यक्तियों को अभी तक कनेक्शन नहीं दिये गये ; और

(ग) शेष आवेदन कर्ताओं को कब तक कनेक्शन दे दिये जायेंगे ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) २२.

(ख) और (ग). सभी आवेदनकर्ताओं को डीमाण्ड नोट जारी कर दिये गये हैं। जिन्होंने मांग नोटों के अनुसार राशि अदा कर दी है, उन सभी को कनेक्शन दे दिये गये हैं।

महाराष्ट्र में डाक तथा तार सुविधायें

†४०५१. **श्री पांगरकर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१-६२ में महाराष्ट्र के पिछड़े हुए क्षेत्रों, नगर तथा ग्राम्य क्षेत्रों में डाक तथा तार सुविधाओं के विस्तार के लिये कार्यक्रम बना लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन्)** : (क) और (ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबंध संख्या २३]**

---

†मूल अंग्रेजी में

औरंगाबाद और जालना में टेलीफोन के कनेक्शन

†४०५२. **श्री पांगरकर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद और जालना से टेलीफोन के कनेक्शनों के लिये कितने व्यक्तियों ने आवेदन किया था; और

(ख) कितनों को अभी तक कनेक्शन दिये जा चुके हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) औरंगाबाद ४९ । जालना २५ ।

(ख) औरंगाबाद १७
जालना १७ ।

इंगलैण्ड से पर्यटक

†४०५३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में इंग्लैण्ड के कितने पर्यटक भारत आये थे; और

(ख) उक्त अवधि में उनसे कुल कितनी आय हुई थी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) १९६० में इंग्लैण्ड से कुल १८,७४५ पर्यटक भारत आये थे ।

(ख) इन पर्यटकों से होने वाली आय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । पर्यटन के कारण प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा का हिसाब रिजर्व बैंक द्वारा लगाया जाता है । और सामान्यतया इसी वर्ष के मध्य में आंकड़े प्रकाशित किये जाते हैं ।

रेलवे लाइन का पुनः बिछाया जाना

४०५४. **श्री राधामोहन सिंह** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छपरा-वाराणसी लाइन पर रेवती और सुरेमनपुर स्टेशनों के बीच जो रेलवे लाइन उखाड़ दी गई थी क्या वह फिर से बिछाई जा रही है ;

(ख) क्या बकुलहा स्टेशन से सुरेमनपुर की रेलवे लाइन पुरानी जगह पर फिर प्रयोग में लाई जायेगी; और

(ग) क्या सुरेमनपुर और रेवती स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन रहेगी और क्या इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी नहीं ।

(ख) इस तरह का कोई विचार नहीं है ।

(ग) थोड़ा पीछे हटा कर इस समय जो लाइन बनी हुई है, उस पर गाड़ियों का आना जाना जारी रहेगा । साथ ही नदी से बचाव के लिये जो काम किया जा रहा है, उसके लिये रेल से ज़रूरी सामान पहुंचाने के उद्देश्य से पुरानी लाइन के कुछ हिस्से को भी रहने दिया जायेगा । यह देखने के बाद कि बचाव सम्बन्धी काम कहां तक कारगर होता है, स्थिति पर फिर विचार किया जायेगा । बचाव के काम पर ३१.३ लाख रुपये के खर्च का अनुमान है । विचार है कि यह काम पूर्वोत्तर रेलवे और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिल जुल कर किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में दूध के पावडर[1] का वितरण

†४०५५. **श्री कुम्भार** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक वर्षवार दूध के पावडर की कितनी मात्रा पृथक-पृथक उड़ीसा राज्य से बाहर से खरीदी गयी और लायी गयी;

(ख) राज्य और केन्द्र ने दूध के पावडर की कितनी लागत वहन की; और

(ग) उस राज्य में अब तक जिलावार खपत क्या रही है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) यह पता चला है कि द्वितीय योजना-काल में राज्य सरकार ने राज्य के बाहर से कोई दूध का पावडर नहीं खरीदा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में बाहर से निःशुल्क लाये गये दुग्ध चूर्ण की मात्रा निम्न प्रकार है :

१९५६-५७	१,०१,४३५ पौंण्ड
१९५७–५८	१५,४१,०६१ पौण्ड
१९५८–५९	४३,०८,३९० पौण्ड
१९५९–६०	४३,९३,१३४ पौण्ड
१९६०–६१	२८,२९,०३० पौण्ड

(ख) दूध के पावडर का सम्भरण संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि और भारतीय रेड क्रास सोसाइटी से निःशुल्क उपहार के रूप में हुआ। अतः न तो राज्य सरकार को और न केन्द्रीय सरकार को खर्च भुगतना पड़ा। राज्य सरकार को यूनिसेफ से प्राप्त दुग्ध चूर्ण के लिये परिवहन व्यय देना पड़ा। इन वर्षों में राज्य सरकार द्वारा किया गया व्यय निम्न प्रकार है :

१९५६–५७	३,०२३ रुपये
१९५७–५८ .	१०६,८४१ रुपये
१९५८–५९ .	२१४,७४१ रुपये
१९५९–६०	२०७,६९३ रुपये
१९६०–६१	२११,२२० रुपये (प्राक्कलित)

(ग) यह दूध का पावडर निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये काम में आता है :

(१) प्रसूति तथा बाल कल्याण कार्यक्रमों, अस्पतालों, डिस्पेन्सरियों और प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में प्राशन[2]।

(२) स्कूल प्राशन कार्यक्रम।

(३) महिला समिति प्राशन कार्यक्रम।

प्रत्येक योजना के लिये (वर्षवार) जिलेवार खपत का ब्यौरा विवरण संख्या १, २ और ३ में दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबंध संख्या २४ से २६]**

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा अपलिखित[3] राशि

†४०५६. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के उपाध्यक्ष द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना आरम्भ होने के समय से भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के विधान की धारा १६-क के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि अपलिखित की है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Milk Powder

[2]Feeding

[3]Written off

(ख) इस प्रत्येक अपलिखित धनराशि का किस प्रयोजन के लिये आवंटन किया गया था; और

(ग) प्रत्येक मामले में अपलेखन के क्या कारण हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : (क) ६४०.२७ रुपये।

(ख) और (ग). उपरोक्त धनराशि में से (१) ४५० रुपये की रकम, जो एक योजना के सम्बन्ध में मद्रास सरकार द्वारा खरीदे गये दो बैलों की लागत पर परिषद् का अंश थी, बैलों की मृत्यु हो जाने के कारण, अपलिखित की गयी।

(२) १४६.६८ रुपये की रकम जो एक सायकिल का पुस्त मूल्य था, सभी आवश्यक सावधानी के बावजूद सायकिल चोरी हो जाने के कारण अपलिखित की गयी; एक अन्य सायकिल के बारे में ६८ रुपये की रकम अपलिखित की गयी।

(३) विभिन्न पक्षों को संभरित भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के प्रकाशनों की लागत के बारे में ३२.०९ रुपये की रकम अपलिखित की गयी क्योंकि यह पता लगा कि ये प्रकाशन उन व्यक्तियों तक पहुंचे ही नहीं और सम्भवतः रास्ते में गुम हो गये। कुछ पक्षों द्वारा, जिनको प्रकाशन भेजे गये थे, परिषद् को भुगतान करते समय मनी-आर्डर कमीशन अथवा बैंक की फीस काट कर कम रुपया अदा किये जाने के कारण ९१.५० रुपये की धनराशि अपलिखित की गयी। इन मामलों में ग्रस्त रकम बहुत छोटी है और लम्बे पत्र-व्यवहार के बावजूद भी उनसे कुछ वसूली नहीं हो सकी।

(४) परिषद् के प्रकाशनों के लिये अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण कम मात्रा में छपाई का कागज आने से ६५ रुपये की रकम अपलिखित की गई।

(५) १७५ पौण्ड काली मिर्च की लागत के बारे में ८७ रुपये की रकम अपलिखित की गयी क्योंकि यह सामान उस कमरे में, जहां यह केरल सरकार ने रखा था, बारिश का पानी आ जाने से नमी के कारण खराब हो गया था।

इलायची

†४०५७. **श्री नारायण स्वामी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६०–६१ और १९६१–६२ में इलायची के विकास के लिये कितनी धनराशि आंवटित की गयी है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : वर्ष १९६०–६१ और १९६१–६२ के दौरान इलायची के विकास के लिये निम्नलिखित आवंटन किया गया है :

राज्य	केन्द्रीय सहायता का आवंटन	
	(रुपये लाखों में)	
	१९६०–६१	**१९६१–६२**
१. मैसूर .	१.३१	२.७०
२. केरल .	०.१०	०.८०
३. पश्चिम बंगाल	—	०.१७
कुल	१.४१	३.६७

†मूल अंग्रेजी में

जिरेनियम[1] के पौधे लगाना

†४०५८. **श्री नारयणस्वामी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के पहाड़ी और पर्वतीय स्थानों में जिरेनियम के पौधे लगाने के बारे में क्या पग उठाये हैं; और

(ख) किस क्षेत्र में यह पौधे लगाये जा रहे हैं ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमख)** : (क) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद ने नीलगिरी और अन्नमलै में सुगन्धित पौधों (जिरेनियम समेत) की खेती के लिये एक योजना मंजूर की है। मद्रास सरकार के सिन्कोना विभाग के बगीचों में देश में जिरेनियम की किस्म की प्रयोगात्मक खेती आरम्भ की गयी है ।

(ख) सिन्कोना विभाग के निम्नलिखित डिवीजनों में खेती की जा रही है :

१. नदुवट्टम
२. हूकर
३. वूड
४. डोडावेट्टा
५. देवशोला

उत्तर प्रदेश में डाक तथा तार-घर

४०५९. **श्री राजन्द्र प्रताप सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना की कालावधि में उत्तर प्रदेश में कितने नये डाक-घर और तार घर खोले जायेंगे ;

(ख) दो डाक-घरों में न्यूनतम अन्तर कितना होना चाहिये और एक डाक घर कम से कम कितनी आबादी के लिए होता है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर): (डाकघर १,७००
तारघर १६७

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबंध संख्या २७]**

तेल और घी को श्रेणीबद्ध करने के लिये प्रयोगशालायें

†४०६०. **श्री नंजप्प** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल और घी को श्रेणीबद्ध करने के लिये दक्षिण में दो प्रयोगलाशायें स्थापित की जावेंगी ;

(ख) प्रत्येक में कितनी पूंजी लगेगी और प्रत्येक की क्षमता कितनी होगी ;

(ग) ये कारखाने स्थापित करने के उद्देश्य और कारण क्या हैं ; और

(घ) ये घी और तेल में अपमिश्रण कहां तक रोक सकेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Geranium.

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) घी और अन्न का परीक्षण करने के लिये गुन्टूर और कोयम्बटूर में दो 'नियंत्रण' प्रयोगशालायें स्थापित की जायेंगी।

(ख) २७,००० रुपये। प्रत्येक प्रयोगशाला में प्रतिमास लगभग ३०० नमूनों का विश्लेषण किया जायेगा।

(ग) घी की विशेषता इसके बनाने के देश में भिन्न भिन्न होती है। किसी विशेष क्षेत्र में तैयार किया गया घी अन्य क्षेत्रों में घी के लिये निर्धारित स्टैण्डर्ड की पुष्टि नहीं करता और बाद वाले क्षेत्रों में उस घी की बिक्री खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम और नियमों के विरुद्ध है। इन नियमों को अब संशोधित किया जा रहा है ताकि किसी भी क्षेत्र में एगमार्क घी के सीलबन्द डिब्बों की बिक्री की जा सके जो कि उस क्षेत्र के लिये निर्धारित स्तर पर पूरा उतरता है जहां वह तैयार किया जाता है। परिणामस्वरूप, आन्ध्र, मद्रास और मैसूर से अन्य राज्यों को भेजे जाने वाले सभी घी पर 'एगमार्क' मुहर लगा दी जायेगी। इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि एगमार्क उत्पाद उचित स्तर के हैं, इन नमूनों का सरकार द्वारा चलायी जा रही 'नियंत्रण' प्रयोगशालाओं में परीक्षण किया जायेगा।

(घ) एगमार्क श्रेणीबद्ध योजना के अधीन सभी किस्मों पर नियंत्रण रखने के लिये 'नियंत्रण' प्रयोगशालायें प्रमुख आश्रय हैं। वे श्रेणीबद्ध करने वाली प्रयोगशालाओं के विश्लेषणात्मक कार्य का निरीक्षण करती हैं। अतः इन दो प्रयोगशालाओं की स्थापना से देश भर में पैकर पूर्व-परीक्षित, अच्छी किस्म का घी बेच सकेंगे और अपमिश्रण रोकने में सहायता मिलेगी।

नंगल बांध में क्वार्टर

†**४०६१. श्री दलजीत सिंह**: क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष १९५९-६० और १९६०-६१ में नंगल बांध में रेलवे कर्मचारियों के लिये कितने क्वार्टर बनाये गये हैं; और

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में कितने क्वार्टर बनाये जायेंगे?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाजखां)**: (क) जी, कोई नहीं।

(ख) जी, कोई नहीं।

तथा भाखड़ा बांध के जनरल मैनेजर द्वारा दिये गये तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिये १५ क्वार्टरों और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये ३६ क्वार्टरों के भाखड़ा बांध स्टेशन के रेलवे कर्मचारियों के आवास के लिये इस्तेमाल करने की प्रस्थापना है।

कांगड़ा जिला (पंजाब) में परिवार नियोजन केन्द्र

†**४०६२. श्री दलजीत सिंह**: क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब के कांगड़ा जिले में वर्ष १९६०-६१ में कितने परिवार नियोजनकेन्द्र खोले गये हैं और वे किन-किन स्थानों पर खोले गये हैं?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: वर्ष १९६०-६१ में पंजाब सरकार ने कांगड़ा जिले में धर्मशाला स्थान पर एक परिवार नियोजन केन्द्र खोला।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर रेलवे पर चाय के स्टालों आदि के लिये लाइसेंस

†४०६३. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०-६१ में अनुसूचित जातियों के कितने विद्यार्थियों ने उत्तर रेलवे पर अल्पाहार गृह और चाय के स्टाल लगाने के लिये लाइसेंस के लिये आवेदन किया है ; और

(ख) उनमें से कितनों को लाइसेंस दिये गये ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) २३ ।

(ख) ११ ।

पंजाब में पीने के पानी का संभरण

†४०६४. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये पीने के पानी के संभरण के लिये केन्द्र को अभी तक कोई योजनायें भेजी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भेजी गयी और अभी तक लम्बित योजनाओं का क्या नाम हैं ; और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर):** (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबंध संख्या २८]

(ग) वे सभी योजनायें, जो राज्य सरकार द्वितीय योजना-काल में आरम्भ करना और आत्म-निर्भरता की स्थिति में लाना चाहती है, मंजूर की गयी हैं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

योगिक अभ्यास

†४०६५. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री ६ दिसम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि योगिक अभ्यासों के परिणामस्वरूप शरीर में होने वाले दैहिक परिवर्तनों का ठीक ठीक महत्व मालूम करने के लिये किये गये अध्ययन का क्या परिणाम निकला है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर):** अब तक किये गये अध्ययन का परिणाम निम्न प्रकार है :

(१) कुछ योगियों के इस दावे का, कि वे स्वेच्छा से हृदय की गति रोक सकते हैं, इलैक्ट्रो-कार्डियोग्राम और एक्सरे आदि जैसे आधुनिक यंत्रों की सहायता से अध्ययन किया गया है । यह पता लगा है कि योगियों द्वारा हृदय की कार्यवाही रोकने के विभिन्न प्रयत्नों के दौरान भी हृदय धड़कता रहता है ।

†मूल अंग्रेज़ी में

(२) दो व्यक्तियों, जिन्होंने समाधि लगाई थी, और दो अन्य व्यक्तियों, जिन्हें लगभग एक घंटे तक वर्ष के पानी में हाथ डाले रहने से कोई कष्ट या दर्द नहीं हुआ, के अध्ययन से पता चला कि वे कष्टदायक नसें, जो सामान्य व्यक्तियों में दिमाग की विद्युत गति से प्रभावित हैं, उपरोक्त यौगिक अभ्यास करने से कहीं पर रुक जाती हैं। जब ऐसे अन्य मामले आयेंगे तो इस परिणाम के वास्तविक महत्व के बारे में आगे अध्ययन किया जायेगा।

(३) एक योगी का, जिसका यह दावा है कि वह कई दिनों तक भूमि के नीचे गढ़े में रह सकता है, आक्सीजन के दृष्टिकोण से एक ऐसे सन्दूक में जिसमें वायु प्रवेश नहीं कर सकती थी, अध्ययन किया गया। इस अध्ययन से पता चला कि यह योगी आक्सीजन की उससे बहुत थोड़ी मात्रा पर रह सकता है जितनी कि एक सामान्य व्यक्ति को आवश्यक है। अभी इन परिणामों को और परीक्षण करके माना जायेगा।

ऐसा अध्ययन बहुत सीमित रहा है क्योंकि इस अनुसन्धान के लिये योगी अपने आप को पेश नहीं कर रहे हैं।

उत्तराखण्ड में विश्राम गृह

४०६६. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २८ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ८८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तराखण्ड के तीर्थस्थानों व अन्य पर्यटन-केन्द्रों में विश्राम-गृह बनाने के सम्बन्ध में इस बीच और क्या प्रगति हुई है ;

(ख) अब तक इस कार्य के लिये उतर प्रदेश की सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी जा चुकी है ; और

(ग) शेष निर्माण-कार्य के कब तक पूरा हो जाने की आशा की जाती है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ग). प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर वर्तमान स्थिति पर एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबंध संख्या २६]**

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बताये गये ५,५६,१६४ रुपये के व्यय के मद्दे १९६०–६१ के वित्तीय वर्ष के अन्त तक २,७८,०९७ रुपयों का उपदान दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में कुष्ठ रोग

४०६७. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०–६१ में कुष्ठ रोग की रोक-थाम व इलाज के लिये उत्तर प्रदेश की सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी गई; और

(ख) क्या राज्य की किसी गैर-सरकारी संस्था को कोई सीधी सहायता दी गई है और यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) केन्द्रीय सहायता देने की संशोधित प्रणाली के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार को १९६०–६१ में "रोगों के नियंत्रण के लिये लोक स्वास्थ्य योजनायें" नामक वर्ग, जिसमें कुष्ठ नियंत्रण योजना भी आ जाती है, में सम्मिलित योजनाओं के लिये ८.२५ लाख रुपये का एकमुश्त अनुदान दिया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जी हां । उत्तर प्रदेश की गैर-सरकारी कुष्ठ संस्थाओं को १९६०–६१ में निम्न-लिखित सहाय्यानुदान दिये गये :—

१. कुष्ठ सेवाश्रम, बस्ती .	२५,०००	रुपये
२. कुष्ठ सेवाश्रम, गोरखपुर . .	३३,०००	रुपये
३. मेक्लारेन कुष्ठ अस्पताल, देहरादून . .	८,०००	रुपये
योग . . .	६६,०००	रुपये

हिमाचल प्रदेश का वन विभाग

४०६८. **श्री पद्म देव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के वन विभाग के कर्मचारियों के पास कितनी जीपें, घोड़े और खच्चरें हैं; और

(ख) हिमाचल प्रदेश के वन विभाग में कितने वन अधिकारी और रेंजर हैं ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख): (क) कर्मचारियों के पास राजकीय जीपें, घोड़े और खच्चरें क्रमशः ४, १८ और २५ हैं । इनके अतिरिक्त चार कर्मचारियों के पास अपनी निजी जीपें हैं ।

(ख) ३८ अफसर और ७३ रेंजर्स ।

हिमाचल प्रदेश के महासु जिले में नई नहर

४०६९. **श्री पद्म देवः** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के जिला महासु की तहसील रामपुर की कूल (नहर) का निर्माण पूर्ण हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो कब पूरा हुआ;

(ग) क्या यह सच है कि गत वर्ष इस नहर के खराब होने से लोगों की फसल को भारी हानि हुई; और

(घ) नवीन कूल के निर्माण से कितनी अधिक भूमि में सिंचाई होने लगी ?

कृषि उपमंत्री (मो० वें० कृष्णप्पा) : माननीय सदस्य शायद निरसू कूल के सम्बन्ध में पूछ रहे हैं । यदि यह ठीक है तो इसका उत्तर निम्न प्रकार है :—

(क) जी हां ।

(ख) १९५६–५७ में ।

(ग) भूमि के टुकड़ों के गिरने के कारण इस कूल में पानी बराबर नहीं दिया जा सका । इसके फलस्वरूप, स्थानीय किसानों ने कुछ नुकसान का मुआवज़ा मांगा था, लेकिन हिमाचल प्रदेश प्रशासन के पास किसी नकसान का ब्यौरा नहीं मिला ।

(घ) ६०० एकड़ ।

खाद्यान्नों का आयात

†४०७०. { **श्री पांगरकर :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : }

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ नवम्बर, १९६० से ३१ जनवरी, १९६१ तक की अवधि में कितने खाद्यान्न का आयात किया गया; और

(ख) विभिन्न करारों के अधीन अमरीका, बर्मा और संयुक्त अरब गणराज्य से चावल और गेहूं की कितनी मात्रा का आयात किया गया ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: (क) लगभग १३ लाख मीटरिक टन ।

(ख) उसी अवधि में अमरीका से लगभग ११ लाख मीटरिक टन गेहूं और ९१,००० मीटरिक टन चावल आयात किया गया और लगभग ३००० मीटरिक टन चावल बर्मा से आयात किया गया। इस अवधि में संयुक्त अरब गणराज्य से कोई गेहूं अथवा चावल का आयात नहीं किया गया ।

कुष्ठ रोगी

†४०७१. **श्री अजित सिंह सरहदी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य में कुष्ठ रोगियों के रहने और उनको पृथक रखने के लिये कोढ़ी बस्तियां बनाने की कोई प्रस्थापना विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का स्वरूप और ब्योरा क्या है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) और (ख). भारत सरकार कुष्ठ रोगियों के रहने और उनको पृथक रखने के लिये प्रत्येक राज्य में कुष्ठ रोगियों की बस्तियां बनाने की किसी प्रस्थापना पर विचार नहीं कर रही है । तथापि, तृतीय पंचवर्षीय योजना में कुछ राज्यों/प्रशासनों में निम्नलिखित कोढ़ी बस्तियां खोलने की प्रस्थापना है ।

(१) **पांडीचेरी प्रशासन :** कुष्ठ रोगियों के रहने और उनको पृथक रखने के लिये इस प्रशासन के अधीन एक कोढ़ी बस्ती खोलने की प्रस्थापना है । कोढ़ियों के उपचार और पुनर्वास के लिये आवश्यक सुविधायें दी जायेंगी । बस्ती को इस प्रकार स्थापित किया जायेगा ताकि रोगियों को घर का सा वातावरण महसूस हो और उन्हें शिल्प आदि सीखने के लिये सुविधाएं मिल सकें ताकि जब वे बस्ती से लौटें तो अपने आप को निःसहाय न समझें । बस्ती में ३०० रोगियों के रहने की जगह होगी और बिस्तर पर पड़ने वाले रोगियों के लिये अथवा किसी गंभीरता के कारण रोगी को अस्थायी तौर पर अस्पताल में भरती करने के लिये एक ३० बिस्तरों वाला अस्पताल होगा, एक बाहर के मरीजों के इलाज का विभाग, एक प्रयोगशाला और एक आप्रेशन थियेटर होगा । वहां कृषि, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मुर्गी पालन, डेरी फार्मिंग आदि की सुविधायें होंगी । इस बस्ती में लड़कों और लड़कियों के लिये एक स्कूल और एक पुस्तकालय होगा । मनोरंजन के लिये भी व्यवस्था की जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) **उड़ीसा राज्य** : उडीसा में १–६–६१ से लगभग १,१०,४६८ रुपये की लागत से बोलनगीर जिले के लगभग १०० कुष्ठ रोगियों को पृथक रूप से रखने के लिये एक पुनर्वास केन्द्र चालू करने की प्रस्थापना है। क्योंकि कोढ़ के घरों पर उपचार को निरुत्साहित किया जाता है, योजना के अधीन यह सिफारिश की गयी है कि अच्छे होने वाले रोगी फिर से अपना पहले सा जीवन आरम्भ करेंगे। योजना के अधीन रोगियों को अपना खाना बनाने के लिये काम करना पड़ता है। इसका प्रबन्ध सरकारी और गैर-सरकारी दोनों सदस्यों की समिति द्वारा अपेक्षित है। पुरी कस्बे के भिखारी कोढ़ियों के लिये ३१,२२१ रुपये की कुल लागत पर उनके उपचार और पृथक्करण की प्रस्थापना है। यथा समय अन्य हैडक्वार्टर कस्बों जैसे बरहमपुर, सम्बलपुर, बालासोर और बारीपाडा के लिये भी ऐसी ही योजनायें आरम्भ की जायेंगी।

(३) **दिल्ली** : दिल्ली नगर निगम के अधीन तहीरपुर–शाहदरा में एक कुष्ठ-गृह के निर्माण के लिये १६.२८ लाख रुपये की लागत से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में एक योजना मंजूर की गयी है। प्रस्तावित कुष्ठ-गृह निराश्रितों अथवा भिखारियों के लिये निवास-शिविर होगा। इसमें ५०० कोढ़ियों के लिये स्थान होगा। इसमें रहने वालों को निःशुल्क आवास, भोजन, चिकित्सा सुविधा दी जायेगी और उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार हस्तशिल्प सिखाया जायेगा अथवा कृषि में लगाया जायेगा।

(४) **आसाम राज्य** : आसाम में तृतीय पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित कोढ़ी बस्तियां स्थापित की जायेंगी :

(१) यूनाइटिड मिकिर और उत्तरी कछार पहाड़ियों में मालासिफथार में २० बिस्तरों की कोढ़ी बस्ती।

(२) गारो पहाड़ियों में मौसांग में २० बिस्तरों की कोढ़ी बस्ती।

(३) दारंग जिले में हरींचिग में १५ बिस्तर की कोढ़ी बस्ती।

(४) यूनाइटिड मिकिर और उत्तरी कछार पहाड़ियों में सेनपुर में २० बिस्तर वाली कोढ़ी बस्तीं।

(५) उत्तर लखीमपुर में नारायणपुर में १५ बिस्तर वाली कोढ़ी बस्ती।

सड़कों और इमारतों के लिये प्रयोगशालाएं

†४०७२. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सड़क अनुसन्धान संस्था द्वारा तैयार किये गये नमूने पर सड़कों और इमारतों के लिये राज्य परीक्षण और नियंत्रण प्रयोगशालायें बनाने की योजना किस हद तक कार्यान्वित की गयी है; और

(ख) क्या ऐसी प्रयोगशालायें सभी राज्यों में हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, मद्रास, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में अनुसन्धान प्रयोगशालायें हैं। मैसूर में सिंचाई प्रयोगशाला के एक भाग के रूप में एक छोटी प्रयोगशाला है परन्तु इसको सड़क सम्बन्धी प्रयोगों के लिये एक पृथक शाखा में विकास करने की प्रस्थापना है। राजस्थान में

†मूल अंग्रेजी में

एक छोटी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है जिसका यथा समय विस्तार किया जायेगा। मध्य प्रदेश में भी एक छोटी प्रयोगशाला है जिसका राज्य सरकार केन्द्रीय सड़क अनुसन्धान संस्था द्वारा तैयार किये गये नमूने के आधार पर विस्तार करने और नवनिर्माण करना चाहती है। बाकी राज्य ऐसी प्रयोगशालायें स्थापित करने के बारे में विचार कर रहे हैं।

दिल्ली में बस्तियों का विकास

†४०७३. **श्री शिवदत्त उपाध्याय** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि कुछ बस्तियों में जैसे ग्रीनपार्क एक्स्टेन्शन, दिल्ली में, जो गैर-सरकारी बस्ती मालिकों द्वारा बसायी जाने वाली है और जो अभी हाल ही में अर्जन-सूचना (नोटिस ऑफ एक्वीजिशन) से मुक्त की गयी है, विकास की प्रगति बहुत धीमी है;

(ख) विकास कार्य पूरा करने के लिए बस्ती मालिकों को बाध्य करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है जिससे जमीन के मालिक मकानों की कमी दूर करने के लिए अपने मकान बना सकें; और

(ग) कौन कौन सी बस्तियां मुक्त की गयी हैं और कहां कहां विकास अभी पूरा नहीं हुआ है?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां।

(ख) (१) बस्ती के मालिक २५ नये पैसे वर्ग गज की दर से जमानत जमा करते हैं जो सेवाएं पूरी हो जाने के बाद लौटा दी जाती है।

(२) मंजूरी अक्सर इस शर्त पर दी जाती है कि विकास कार्य मंजूरी की तारीख से एक साल के अन्दर पूरा हो जाय। फिर भी और एक साल की अवधि किन्हीं कारणों से जो दर्ज किये जायेंगे, दी जा सकेगी।

(ग) १. गंगाराम वाटिका
२. हरिनगर (एल) ब्लाक
३. स्वतंत्र मकान निर्माण सहकारी समिति की जमीन
४. बृहत्तर कैलाश संख्या २
५. मालवीय नगर के सामने सुदर्शन ब्लाक
६. सत्यवती नगर
७. जयदेव पार्क
८. श्यामा प्रसाद मुकर्जी पाक
९. नवीन शाहदरा
१०. अशोक पार्क

निम्नलिखित बस्तियों में विकास पूरा हो चुका है लेकिन उसकी छानबीन हो रही है :—

१. ग्रीन पार्क एक्स्टेन्शन
२. लेआउट प्लान ऑफ छोटे लाल एण्ड सन्स
३. अजय एन्क्लेव

---

†मूल अंग्रेजी में

उर्वरक तथा अधिक अच्छे बीज

†४०७४. **श्री शेख मुहम्मद अकबर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६१–६२ में देश में उर्वरक तथा अधिक अच्छे बीज बांटने के लिए कुल कितनी रकम नियत की गयी है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: १९५८–५९ में लागू की गयी संशोधित प्रक्रिया के अधीन जबकि भारत सरकार समुदाय के अनुसार नियतन करती है, व्यक्तिगत योजनाओं के लिए नियतन राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाता है। चूंकि कुछ राज्य सरकारों से अभी तक अंतिम योजनाएं प्राप्त नहीं हुई हैं, यह बताना संभव नहीं है कि १९६१–६२ में उर्वरक और अधिक अच्छे बीज के वितरण के लिए कुल कितनी रकम नियत की गयी है।

पंचायत राज का एकीकरण

†४०७५. **श्री कालिका सिंह :** क्या **सामूदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांव पंचायत, गांव पाठशाला और गांव सहकारी समिति के कार्यों के एकीकरण और समन्वय संबंधी निर्णय कार्यान्वित किये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गयी है और अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुआ है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)** : (क) और (ख). यह मान लिया गया है कि पंचायत, सहकारी समिति और गांव का स्कूल, ये तीन बुनियादी संस्थाएं हैं जिन्हें गांव की जनता की उन्नति के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। पंचायत स्थानीय सरकार के एक यूनिट के तौर पर काम करेगी, सहकारी समिति समाज की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्तरदायी होगी और गांव का स्कूल समाज की सांस्कृतिक तथा सामाजिक उन्नति का केन्द्र होगा।

इसके अनुसार सामान्यतया सहकारी समितियों के प्रतिनिधि पंचायतों की उप-समितियों में काम करते हैं तथा सप्लाई का काम सहकारी समितियों को सौंपा जा रहा है। ग्राम कृषि उत्पादन योजनाएं तैयार करने में, जो अधिकतर राज्यों द्वारा तैयार की जा रही है; पंचायत और सहकारी समिति एक होकर काम करते हैं। सामुदायिक केन्द्र के तौर पर गांव के स्कूल की उन्नति के लिए भी प्रयत्न किये जा रहे हैं ताकि वह गांव की जनता की सांस्कृतिक आवश्यकताएं पूरा कर सके। शिक्षकों के प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में सामुदायिक विकास का विषय भी शामिल किया गया है।

डाक-तार कर्मचारी

†४०७६. **श्री बाल्मीकी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १९ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १९८९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उसके उत्तर में सभा पटल पर रखे गये विवरण की सिफारिश ४ (ख) को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से और आगे क्या कार्यवाही की गयी है ;

(ख) क्या वरिष्ठता तथा उपयुक्तता के आधार पर क्लर्कों की एल० एस० जी० हेड क्लर्कों के पदों पर तथा प्रतियोगिता के आधार पर टेलीग्राफिस्टों को टेलीग्राफ मास्टरों के पदों पर पदोन्नति

---

†मूल अंग्रेजी में

अब भी उसी प्रकार की जा रही है जैसे टेलीग्राफ जांच समिति की सिफारिशें मंजूर करने से पहले की जाती रही ; और

(ग) इस सिफारिश को शीघ्र कार्यान्वित करने में क्या कठिनाई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन)** : (क) टेलीग्राफ मास्टरों की पदालि आदि के निर्माण संबंधी समस्याओं की छानबीन की जा रही है ।

(ख) वरिष्ठता तथा उपयुक्तता के आधार पर एल० एस० जी० (हेड क्लर्कों) की पदालि पर पदोन्नति के बारे में प्रश्न के पहले भाग का उत्तर हां है । टेलीग्राफ मास्टरों की श्रेणी में आगे पदोन्नति (प्रतियोगितात्मक परीक्षा के आधार पर) नहीं की जा रही है ।

(ग) पदालि बनाने में प्रतिष्ठान में संगठनात्मक परिवर्तन करने भर्ती के नियम आदि बनाने की बात शामिल है और उसके लिए सावधानीपूर्ण तथा विस्तृत छानबीन की आवश्यकता है । यह योजना शीघ्र ही कार्यान्वित की जायेगी ।

'पुनर्नवा'

†४०७७. **श्री हेमराज : क्या स्वास्थ्य मंत्री १४ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या** १७८८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'पुनर्नवा' की प्रभावोत्पादकता का परीक्षण पूरा हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) परीक्षण अब भी जारी है ।

(ख) अंतरिम रिपोर्ट से यह पता चलता है कि नेत्र शक्ति आदि (विजुअल एक्युइटी या रिफ्रैक्टिव एरर) पर 'पुनर्नवा' का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता । फिर भी अनेक मामलों पर छानबीन अभी जारी है ।

वरिष्ठ लेखापाल (सीनीयर अकाउन्टेन्ट) के पदों पर पदोन्नति

†४०७८. **श्री इन्द्रजीत लाला मल्होत्रा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल में वरिष्ठ लेखापाल के पदों पर पदोन्नति के लिए उत्तर रेलवे के मुख्य लेखा पदाधिकारी के कार्यालय में कुछ साक्षात्कार (इन्टरव्यू) आयोजित किये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो कितने पदों पर भर्ती करनी थी ;

(ग) पदोन्नति के लिए क्या कसौटी रखी गयी थी ; और

(घ) क्या मुख्यतः वरिष्ठता के आधार पर वरिष्ठ लेखापाल के पद पर पदोन्नति के लिए कोई प्रतिशत भाग रक्षित रखा गया था ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) ३३ व्यक्तियों की एक सूची बनायी गयी थी ।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई (एन जी) ५७ पी० एम० १–२४ दिनांक ८-१०-१९५८ में दी गयी हिदायतों के अनुसार चुनाव किया गया था। उस पत्र की प्रति संलग्न है। [देखिय परिशिष्ट ६, अनुबंध संख्या ३०]

(घ) जी नहीं।

डाकतार वर्दियों की सिलाई

†४०७९. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारियों की वर्दियों की सिलाई के लिए शरणार्थियों दस्तकारी संगठन, कलकत्ता, के ज़रिये, डाकतार विभाग द्वारा भुगतान में लगभग ४ साल की देर हुई है ;

(ख) यदि हां, तो भुगतान में इतनी अधिक देर होने के क्या कारण हैं ;

(ग) उसमें कुल कितनी रकम शामिल है ;

(घ) अब तक कितनी रकम अदा की जा चुकी है ; और

(ङ) ये बिल पूरी तौर से संभवतः कब तक चुका दिये जायेंगे ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन) : (क) जी नहीं। वर्ष १९५४–५५ में पेश किये गये बिलों के संबंध में ७३१६ रुपये २२ न० पै० की रकम में से ६७८८ रुपये १९ न० पै० की रकम एक साल में अदा की गयी थी। ५२८ रुपये ३ न०पै० की बाकी रकम १९६० तक नहीं दी जा सकी क्योंकि संगठन ने ठीक ठीक हिसाब नहीं दिया और ठीक ठीक रकम के बिल तैयार नहीं किये जा सके। वर्ष १९५६–५७ के बारे में २१८१३ रुपये ४ नये पैसे की रकम के बिल संगठन ने मार्च, १९६० में पेश किये थे और लेखापरीक्षा की जांच के बाद जनवरी, १९६१ में वह पूरी रकम अदा कर दी गयी।

(ख) देर मुख्यतः इस कारण हुई कि संगठन ने ठीक ठीक हिसाब नहीं दिया और ठीक ठीक रकम का दावा देर से पेश किया गया।

(ग) २९,१२९ रुपये २६ न० पैसे।

(घ) २९,१२९ रुपये २६ न० पैसे।

(ङ) सभी बिलों का पूरा पूरा भुगतान किया जा चुका है।

डीलक्स गाड़ी में भोजन डिब्बे के कर्मचारी

†४०८०. श्री ईलयापेरूमाल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डीलक्स गाड़ी में भोजन डिब्बे के कर्मचारियों को दिल्ली में उनके विश्राम के समय के लिए मकान या कमरे नहीं दिये गये हैं जब कि उनका मुख्य कार्यालय मद्रास से दिल्ली लाया जा चुका है।

(ग) क्या सरकार को उन कर्मचारियों की ओर से रिहायशी क्वार्टरों के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(घ) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी हां ।

(ख) भोजन डिब्बे के कर्मचारियों के लिए नयी दिल्ली में कोई स्थान उपलब्ध नहीं है ।

(ग) जी हां ।

(घ) विश्राम आवास देने के प्रश्न पर सक्रिय विचार हो रहा है ।

मद्रास राज्य में छोटे डाकघर

†४०८१. श्री ईलयापेरुमाल: क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९–६० और १९६०–६१ में मद्रास राज्य में प्रत्येक डिविजन में कितने शाखा डाकघरों को छोटे डाकघरों (सब-पोस्ट आफिस) में बदल दिया गया ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन): विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबंध संख्या ३१]

मद्रास राज्य में छोटी सिंचाई परियोजनाएं

†४०८२. श्री ईलयापेरुमाल : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य की तीसरी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित सभी छोटी सिंचाई परियोजनाएं या योजनाएं कार्यान्विति के लिए अंतिम रूप से स्वीकृत की जा चुकी है;

(ख) क्या इनमें से किसी योजना का निर्माण-कार्य आरंभ करने के लिए १९६१–६२ में मद्रास को कोई रकम दी गयी है; और

(ग) यदि हां, तो कितना रुपया और किस किस योजनाओं के लिए दिया गया है ?

†कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा): (क) जी हां ।

(ख) और (ग) १९६१–६२ के लिए निम्नलिखित योजनाओं के लिए २५०.५० लाख रुपये नियत किये गये हैं:—

	(लाख रुपयों में)
१. विशेष छोटी सिंचाई कार्यक्रम . . .	१४०.००
२. सिंचाई तालाबों से मिट्टी निकालने तथा सफाई का काम	१५.००
३. नया कुआं राज सहायता योजना .	२०.००
४. छिद्र कूप . . .	२०.००
५. नलकूप और आर्टिसियन कुएं	२०.००
६. फिल्टर पाइन्ट	१४.००
७. रिवर-पम्पिंग . . .	१.००
८. बिजली मोटरों के लिए पम्पसेट-हायर-परचेज योजना	२०.००
९. भूमिगत जल खोज तथा सर्वेक्षण	०.५०
कुल	२५०.५०

यह नियतन २७३.७० लाख रुपये तक बढ़ाया जाने वाला है ।

†मूल अंग्रेजी में

मद्रास राज्य में कुष्ठ नियंत्रण

†४०८३. **श्री ईलयापेरूमाल** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना में मद्रास राज्य में कुष्ठ नियंत्रण के लिए उस राज्य को कितनी रकम मंजूर की गयी है ; और

(ख) वह रकम किन किन योजनाओं के लिए मंजूर की गयी है और किन किन योजनाओं पर खर्च की गयी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) मद्रास सरकार को १९५६–५७ और १९५७–५८ में क्रमशः ६८,९४० रुपये और १,१७,७०७ रुपये के सहायक अनुदान दिये गये थे। केन्द्रीय सहायता देने के लिए संशोधित प्रक्रिया के अनुसार उस राज्य के लिए सभी केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के लिए १९५८–५९ में २९.४९ लाख रुपये की इकट्ठी रकम अनुदान के रूप में दी गयी थी। वह रकम विभिन्न योजनाओं के लिए तदर्थ आधार पर बांटी गयी थी और उसमें कुष्ठ नियंत्रण योजना का हिस्सा १,८१,२६५ रुपये था। वर्ष १९५९–६० और १९६०–६१ में क्रमशः १५,८३,००० रुपये और २९,८८,७०० रुपये के सहायक अनुदान "रोगों के नियत्रण के लिए लोक स्वास्थ्य योजनाएं" के समूह में शामिल योजनाओं के लिए, जिनमें 'कुष्ठ नियंत्रण' की योजना भी शामिल है, दिये गये थे।

(ख) जैसा कि प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में बताया गया है, वह रकम "रोगों के नियंत्रण के लिए लोक-स्वास्थ्य की योजनाएं" समूह के लिए, जिसमें निम्नलिखित योजनाए शामिल हैं, नियत की गयी है :—

१. बी० सी० जी० टीका आन्दोलन

२. कुष्ठ नियंत्रण

३. रतिज रोगों का नियंत्रण

४. चेचक निवारण के लिए अग्रिम परियोजनाएं

५. मलेरिया निवारण कार्यक्रम के लिए राज्यों को राज-सहायता

६. टी० बी० आइसोलेशन बेड्स की स्थापना एक समूह के अन्तर्गत, विभिन्न योजनाओं पर खर्च विनियमित करने के लिए राज्य सरकार को पूरी स्वतंत्रता है।

गंगाराम अस्पताल, नयी दिल्ली

†४०८४. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २२ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २०८४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगाराम अस्पताल के अधिकारियों की ओर से अब तक सरकार को अनुदान और अन्य आवश्यक सहायता के लिए कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रार्थना पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) जी हां। सर गंगाराम अस्पताल के अधिकारियों की ओर से साज सामान की खरीद, कर्मचारियों की नियुक्ति आदि और राजेन्द्र नगर में परिवार नियोजन चिकित्सालय खोलने के लिये १४,३३० रुपये के सहायक अनुदान के लिये एक प्रार्थना दिल्ली प्रशासन के पास पहुंची है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रशासन उस प्रार्थना पर विचार कर रहा है ।

भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम

†४०८५. **श्री लै० अचौ सिंह : क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के रिजर्व बैंक द्वारा की गयी समीक्षा की ओर, जिसमें यह कहा गया है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की रफ्तार बहुत धीमी है, सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या राय है; और

(ग) इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति)**: (क) और (ख). रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया बुलेटिन के जनवरी, १६६१ के अंक में प्रकाशित "भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम—संक्षिप्त समीक्षा" नामक लेख की ओर सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय का ध्यान दिलाया गया है । यह समीक्षा रिजर्व बैंक द्वारा दिये गये सर्वेक्षण या किसी मौलिक कार्य पर आधारित नहीं है । यह सामुदायिक विकास सम्बन्धी अनेक अध्ययन दलों की रिपोर्टों तथा इस विषय पर अन्य प्रकाशनों पर आधारित है । इस लेख में यह निष्कर्ष व्यक्त किया गया है कि "यद्यपि इस विषय में मतभेद नहीं है कि प्रगति ठीक मार्ग पर है फिर भी गति धीमी है ।.....लोगों की धारणा बदलना और उन्हें सक्रिय बनाना एक कठिन और लम्बा रास्ता है । इस बात की पुष्टि कोरापुट ग्रामदान गांवों में सेवाभाव से युक्त सर्वोदय नेताओं के प्रयोग से होती है ।....पंचायत राज की स्थापना से लोगों में यह भावना उत्पन्न की जा रही है कि वे अपने ही प्रयत्नों से अपना रहन सहन का स्तर ऊंचा कर सकते हैं।"

(ग) चूंकि इन विषयों पर उपयुक्त अवसरों पर अर्थात् विकास आयुक्तों के सम्मेलन में चर्चा की गयी है, इसलिये प्रश्न उत्पन्न नहीं होता और सम्भव उपाय किये जा रहे हैं ।

शीर्ष विपणन सहकारी समिति, मनीपुर

†४०८६. **श्री लै० अचौ सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शीर्ष विपणन सहकारी समिति लिमिटेड, मनीपुर, प्राथमिक समितियों के जरिये मनीपुर में किसानों से धान और चावल की वसूली की व्यवस्था कर रही है;

(ख) १६५६–६० और १६६०–६१ में कितना गल्ला वसूल किया गया; और

(ग) समिति ने गल्ला रखने की किस प्रकार की सुविधाएं दी हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) जी हां । मनीपुर शीर्ष विपणन सहकारी समिति प्राथमिक समितियों के जरिये गल्ला खरीदती रही है लेकिन वह अपने ही लिए खरीदती रही है, न कि मनीपुर प्रशासन के लिये । १६६०–६१ में उस समिति ने मनीपुर प्रशासन के लिये कोई खरीद नहीं की थी और १६५६–६० में केवल थोड़ी मात्रा में ही खरीद की गयी थी ।

†मूल अंग्रेजी में

(ख) मनीपुर शीर्ष विपणन सहकारी समिति ने अपने लिये निम्नलिखित परिमाण में गल्ला खरीदा था :—

	१९५९–६०		१९६०–६१	
अनाज	मन	सेर	मन	सेर
धान . .	७६१	२५	१२९५७	४
चावल . .	१८३२६	२९	६३६०	०
गेहूं	२४५	३८	कुछ नहीं	

मनीपुर प्रशासन ने १९६०–६१ में कोई वसूली नहीं की और १९५९–६० में निम्नलिखित परिमाण में खरीद की :—

अनाज	परिमाण (मनों में)
धान	कुछ नहीं
चावल	१५६
गेहूं	१४२८

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में उपर्युक्त समिति के ७ गोदाम हैं और उसका एक मुख्य गोदाम इम्फाल में तयार हो रहा है। व्यक्तिगत मालिकों से भी उसने तीन गोदाम किराये पर लिये हैं।

मनीपुर में कृषि संस्थाओं के लिये गोदाम

†४०८७. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में कृषि संस्थाओं के लिये बहुत से गोदाम बनाये गये हैं और

(ख) यदि हां, तो क्या गोदामों के निर्माण के लिये उन संस्थाओं को ऋण या अर्थ सहायता दी गई थी और निर्माण की अनुमानित लागत की यह राशि कितने प्रतिशत है ?

†**सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मर्त्ति) :** (क) जी, हां। २१ गोदाम बनाये गये हैं।

(ख) जी हां। गोदामों की अनुमानित लागत के मुकाबले में ऋण और अर्थ ता की प्रतिशतता क्रमशः ७५ और २५ है।

मनीपुर में उर्वरकों की मांग

†४०८८. **श्री ले० अचौ सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर में रासायनिक उर्वरकों की मांग नहीं है और १९६०–६१ में मनीपुर को उर्वरकों का आवंटन और सम्भरण थोड़ी मात्रा तक घटा दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में कितने उर्वरक दिये गये और इस का क्या कारण है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** (क) जी नहीं। मनीपुर प्रशासन ने १९६०–६१ में उरिया और अमोनिया सल्फेट प्रत्येक की ३० टन की बढ़ी हुई मांग की जबकि उनकी मांग पिछले वर्ष २० टन प्रति उर्वरक थी।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) १९६०-६१ में वास्तव में इस प्रकार उर्वरक दिया गया :

अमोनिया सल्फेट . . . ४४ मीट्रिक टन
उरिया . . . . २० मीट्रिक टन
कुल अमोनिया सल्फेट के रूप में . ८९ मीट्रिक टन।

बंगाल की खाड़ी में गहरे समुद्र में मछली पकड़ना

†४०८९. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर सरकारी अमरीकी फर्म के सहयोग से बंगाल की खाड़ी में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की कोई परियोजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का व्यौरा क्या है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** (क) और (ख). इस प्रकार के प्रस्ताव के बारे में एक भारतीय फर्म के साथ बातचीत की जा रही है। अभी तक वास्तविक शर्तें और निबन्धन तय नहीं हुए हैं।

मद्रास राज्य में वन विकास

†४०९०. **श्री ईलयापेरुमाल :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६-५७ से १९६०-६१ तक वर्षवार वन विकास कार्य के लिये मद्रास राज्य को कितनी राशि आवंटित की गई थी ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) :** इस अवधि में केन्द्रीय सहायता के रूप में मद्रास को निम्न राशियां आवंटित की गईं :

(आंकड़े लाख रुपयों में)

वर्ष	ऋण	अनुदान	कुल
१९५६-५७ .	३.८५४	१.४७३	५.३२७
५७-५८ .	१२.७८६	२.०३४*	१४.८२०
५८-५९ .	३२.२८०	६.५३०	३८.८१०
५९-६० .	३०.६५०	७.०७०	३७.७२०
६०-६१	२३.७७०	१०.१६०	३३.९३०

*इसके मुकाबले में राज्य सरकार को अन्त में १.२३ लाख रुपये की राशि दी गई जिसकी मांग राज्य सरकार ने की।

१९५८-५९ से १९६०-६१ तक वर्षों के लिये राशियों में शोधित वित्तीय प्रक्रिया के अनुसार वन और भूमि संरक्षण की दोनों योजनाओं के आवंटन शामिल नहीं हैं। १९६०-६१ के सामने दिखाई गई राशि में कमी बेशी हो सकती है।

त्रिपुरा में रक्षित वन

†४०९१. **श्री दशरथ देव :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में उदयपुर, सोमागिरा, बेलोविया और सबरूम के लोगों की ओर से रक्षित वनों के पुनः संस्थापन के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) रक्षित वनों से जोत भूमि, कृषि योग्य बनाई गई खस भूमि और लोगों के मकानों को छोड़ने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: (क) जी हां।

(ख) सामान्यतया रक्षित वनों के संस्थापन तथा विशेष कर वन नियमों के लागू किये जाने का विरोध किया गया है।

(ग) जोत भूमि रक्षित वनों में शामिल नहीं की गई। अन्य भूमियां नहीं छोड़ी जा सकतीं क्योंकि उन पर कब्जा बिना प्राधिकार किया गया था।

त्रिपुरा में चाय बागानों का सीमांकन

†४०९२. **श्री दशरथ देव: क्या खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा की चाय बागानों के पास उससे अधिक भूमि है जितनी उनके अभिलेख में है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक के पास कितनी अधिक भूमि है; और

(ग) इन बागानों का सीमांकन करने तथा भूमिहीन लोगों के लिये फालतू खस सरकारी भूमि छोड़ने के लिये क्या कार्रवाई की गई है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: (क) और (ख). अभी जो सर्वेक्षण चालू है उनसे पता चलता है कि कमालपुर तथा सदर सब डिवीजनों में चाय के बागानों को आवंटित भूमि से ७९४.४८ एकड़ अधिक भूमि पर हैं शेष बागानों के बारे में सूचना सर्वेक्षण पूर्ण होने से पहले नहीं की जा सकती।

(ग) त्रिपुरा भूमि राजस्व और भूमि सुधार अधिनियम की धाराओं १५,१३६ (१) (एफ) के अधीन बन्दोबस्त करते समय कार्यवाई की जाएगी।

त्रिपुरा में बाढ़ें

†४०९३. **श्री दशरथ देव: क्या सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा में बाढ़ों के प्रतिवर्ष नाश से कंचनबाड़ी पूर्व (कैलाशहर) खोवाई नगर, कुरती (धर्म नगर) को बचाने के लिये अब तक क्या उपाय किये गये हैं ; और

(ख) क्या आगामी वर्षा ऋतु से पहले ये काम पूरे हो जायेंगे ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) और (ख). इस समय धर्म नगर में कुरती तथा कैलाशहर में कंचनबाड़ी में बाढ़ नियन्त्रण कार्य के बारे में कोई प्रस्ताव नहीं है। खोवाई नगर को बचाने के लिये एक छोटी बाढ़ रक्षा योजना पूरी की जा चुकी है। दूसरी योजना तैयार की जा रही है जिसकी आगामी वर्षा ऋतु से पूर्व पूर्ण होने की सम्भावना नहीं है।

त्रिपुरा में मत्स्य पालन के लिये ऋण

†४०९४. **श्री दशरथ देव: क्या खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९-६० और १९६०-६१ में त्रिपुरा में मत्स्य पालन के ऋण के लिये कितनी प्रार्थनाएं प्राप्त हुईं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस अवधि में कितने लोगों को ऋण दिये गये और

(ग) दूसरे प्रार्थियों की मांगों को पूरा करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा):**

(क) **वर्ष**

१९५९–६०. . } १६ और ३७ क्रमश:
६०–६१. . }

(ख) ५९–६० . } ८ और ९ क्रमश:
६०–६१. . }

(ग) मामले की जांच की जा रही है ।

त्रिपुरा में सुक सागर का कृष्यकरण

†४०९५. **श्री दशरथ देव:** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा, उदयपुर के सुक सागर जल, दकना जल और हिर्री जल के कृष्यकरण के लिये सरकार के पास कोई अभ्यावेदन आया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या प्रार्थना की गई है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा):** (क) जी, हां ।

(ख) नहर का पानी रोकने के लोहे के फाटक या बांधों के निर्माण द्वारा जल प्रवाह से फसलों को बचाने के लिये अपील की गई है ।

(ग) हिर्रीजल योजना का सर्वेक्षण किया जा रहा है, दकना जल योजना का सर्वेक्षण किया जा चुका है, सुक सागर जल योजना अनुमोदित की जा चुकी है, और चालू वर्ष में इसके लिये ५०,००० रुपये तक धन मंजूर किया जा चुका है और धन का उपबन्ध किया जा चुका है ।

आसनसोल-वारिया सैक्शन का विद्युतीकरण

†४०९६. **श्री प्र० चं० बरुआ:** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के आसनसोल बरिया सैक्शन में विद्युतीकरण वाली पटरी अभी हाल में ३५ किलोमीटर तक बढ़ा दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी लागत आई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):**(क) और (ख). पूर्व रेलवे के आसनसोल वारिया सैक्शन का विद्युतीकरण ३१–३–६१ से किया गया है। आसनसोल-वारिया दुर्गापुर-मुगलसराय सैक्शन का अंग है । पूरे सैक्शन के विद्युतीकरण की अनुमानित लागत २२.९१ करोड़ रुपये है ?

उड़ीसा में विद्युतीकरण

†४०९७. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही :** क्या सिंचाई और विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डुडुमा ट्रांसमिशन योजना के अन्तर्गत उड़ीसा में रायगाड़ा से बरहामपुर तक १३२ के० वी० लाइन डालने के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या अब तक यह लाइन डाली जा चुकी है;

(ग) क्या बरहामपुर नगर को इस लाइन से बिजली दी गई है; और

(घ) यदि हां तो इस लाइन के कब तक पूर्ण होने की आशा है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) और (ख). आवश्यक सामान के लिये आर्डर दे दिये गये हैं। इस लाइन का निर्माण, स्थान पर सामान पहुंचाने के लगभग १८ महीनों के बाद पूरा हो जायगा ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) १९६१–६२ के अन्त तक।

हिमाचल प्रदेश में जन सहयोगी संघ

४०९८. **श्री पद्म देव**: क्या सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के जिला महासू की तहसील रोढ़ू में एक जनसहयोगी संघ था जिसके लोगों ने हजारों रुपये के अंश खरीदे हुए थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस संघ द्वारा लाखों रुपये का क्रय-विक्रय किया जाता था;

(ग) क्या यह भी सच है कि यह संघ मर चुका है;

(घ) क्या यह भी सच है कि लोगों को न लाभांश और न ही मूल धन लौटाया गया है; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (क) से (घ) तक का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में में अभी तक क्या पग उठाये हैं और यदि कोई पग नहीं उठाये गये हैं, तो उसका क्या कारण है ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति): (क) जी हां, यदि संकेत बुशहर जन सहयोगी संघ, रोढू की ओर है ।

(ख) जी हां, संघ ने ३१ मई, १९५५ को समाप्त होने वाली चार वर्ष की अवधि में क्रमशः १,२७,८१० और १,३७,९८५ रुपयों के मूल्य का क्रय-विक्रय किया ।

(ग) यह ठीक है कि संघ ऋण विस्तार प्रक्रिया के अधीन है ।

(घ) जी नहीं, यह ठीक नहीं कि हिस्सेदारों को न लाभांश दिया गया है और न हिस्सा पूंजी ५१ ४४५ रुपयों की कुल हिस्सा-पूंजी में से ३०,६५५ रुपये हिस्सेदारों को लौटाये जा चुके हैं। जहां तक लाभांश का सम्बन्ध है, संघ को प्रथम दो वर्षों में अच्छा लाभ हुआ और एक बार लाभांश घोशित भी किया गया ।

(ङ) जून १९६० से, सरकार ने एक ऋण-शोधन अधिकारी की नियुक्ति की है जिसने संघ का कार्यभार सम्भाला है । ३० जून, १९६० के आय-व्यय चिट्ठा के अनुसार, इस समिति के पास ६१,७०५ रुपयों की सम्पत्ति है और ६६,५९१ रुपयों की वह आभारी है । इस सम्पत्ति में ४३,९९६ रुपयों की वसूली भी शामिल है। ३३,४२१ रुपयों की वसूली के लिये १२१ सालसी मुकदमे दायर हो चुके हैं। ६१३ रुपये वसूल हो चुके हैं और २१,७९८ रुपयों की वसूली के हक में फैसला हो चुका है। इसके अलावा वसूली के लिये ऋण-शोधन-अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

महासु जिले (हिमाचल प्रदेश) में कैलाश सहकारी सोसाइटी

४०९९. **श्री पद्म देव** : क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश के जिला महासु की कैलाश सहकारी सोसाइटी ने शिमला की माल रोड पर तीन लाख रुपये में एक मकान खरीदा था;

(ख) क्या यह भी सच है कि मकान बेचने वाले से कैलाश सहकारी सोसाइटी को कुछ रुपया लेना था;

(ग) क्या यह सच है कि मकान के विक्रय-पत्र में यह शर्त रखी गई थी कि ३ लाख रु० में से कैलाश सहकारी सोसाइटी अपना धन काट कर शेष धन मालिक मकान को दे देगी;

(घ) क्या यह भी सच है कि सोसाइटी का धन न काट कर सब धन मालिक मकान को दे दिया गया और इस प्रकार सोसाइटी का धन संकट में पड़ गया; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (क) से (घ) तक के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो सोसाइटी के धन की प्राप्ति का दायित्व किस पर है और धन की प्राप्ति के लिये क्या उपाय किया जा रहा है ?

सामदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्त्ति) : (क) जी हां, १९५५ में।

(ख) जी नहीं। रकम जो विशम्बरमल गुज्जरमल से लेनी थी और मकान के मालिक खन्ना एण्ड कम्पनी थे। पिछलों ने पहले वालों की रकम कटवा लेना मान लिया था।

(ग) ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य का संकेत रकम देने से पहले सरकारी समिति का अपनी रकम काटने की ओर है। समिति के निदेशक मण्डल ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था कि समिति को अपनी रकम मकान की कीमत देने से पहले काट लेनी चाहिये।

(घ) जी हां।

(ङ) प्रबन्ध मण्डल का सभापति मकान की रकम में से समिति की रकम न काटने का जिम्मेदार है। इसी कारण प्रबन्ध मण्डल को मुअत्तल करके एक प्रशासक नियुक्त किया गया। समिति ने इन वह दूसरों पर जिनसे रकम लेनी थी दावा दायर किया और २६—९—६० को रु० ६०,०८१·८९ की डिगरी हासिल की जिसमें इस हिसाब की रु० ३६,०४४.३४ व दूसरी उनसे वसूल की जाने वाली रकमें भी शामिल हैं। अब समिति उस डिगरी की वसूली के लिये कदम उठा रही है।

देहाती क्षेत्रों में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा

४१००. **श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह**: : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंशदायी स्वास्थ्य सेवा को देहाती क्षेत्रों में लागू करने की कोई बड़े पैमाने पर योजना बनाई गई है;

(ख) क्या राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में कोई निर्देश दिये गये हैं; और

(ग) स्वास्थ्य के सम्बन्ध में सरकार देहात की ओर ध्यान कम क्यों देती है जबकि वहां अधिक आवश्यकता है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना को देहाती क्षेत्रों में लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) सरकार देहाती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य की ओर समुचित ध्यान देती है। देहाती जनता को मिश्रित रूप में निरोधी एवं उपचारी स्वास्थ्य सेवायें प्रदान करने के लिये केन्द्र विन्दुओं के रूप में खण्ड क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये गये हैं। प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र में तीन उप-केन्द्रों के अतिरिक्त एक औषधालय तथा प्रसूति एवं अन्य आपातकालीन मामलों के लिये कम से कम ६ शय्यायें हैं। ऐसे जटिल मामलों के लिये जिनमें विस्तृत परीक्षण अथवा विशेषज्ञ सेवाओं की आवश्यकता हो, राज्य सरकारों द्वारा जिला/मुख्यालय अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं का विस्तार कर दिया गया है।

मद्रास और कलकत्ता के बीच जनता गाड़ी

†४१०१. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मद्रास और कलकत्ता के बीच एक जनता गाड़ी चलाने का प्रस्ताव किस प्रक्रम पर है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

पश्चिम रेलवे पर माल गाड़ी का पटरी से उतरना

†४१०२. **श्री प्र० चं० बरुआ:** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद-बड़ौदा सैक्शन पर आनन्द से कनकरिया तक जाने वाली एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई।

(ख) यदि हां, तो इससे कितनी जन और सम्पत्ति की हानि हुई; और

(ग) दुर्घटना का कारण क्या था ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) १८ अप्रैल, १९६१ से लगभग ११ बजे ७ मिनट रात्रि को मालगाड़ी संख्या ६७१ कनीज स्टेशन से चलने के बाद पश्चिम रेलवे के बड़ौदा-अहमदाबाद सैक्शन पर बारेजाडी स्टेशन के बाहर वाले सिगनल पर शंट करती हुई मालगाड़ी की पीठ से टकरा गई। परिणामत: ६७१ मालगाड़ी का इंजन और ब्रेक का डिब्बा और शंट करने वाली मालगाड़ी के साथ वाले तीन डिब्बे पटरी से उतर गये।

(ख) किसी व्यक्ति की जीवन हानि नहीं हुई, परन्तु रेलवे सम्पत्ति की अनुमानत: ११,००० रुपये की हानि हुई।

(ग) रेलवे प्रशासन इस की जांच कर रहा है।

भरतगढ़ स्टेशन के पास एक दम्पति की मृत्यु

†४१०३. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ९ अप्रैल, १९६१ को रोपड़-नंगल सैक्शन पर भरतगढ़ और घनौली स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन के साथ एक युवक सिख तथा उसकी पत्नी जिसके पास छः मास का का बच्चा था, मृत पाये गये;

(ख) यदि हां, तो क्या इस घटना की जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) जी, हां। पति-पत्नि के शव एक दूसरे से लगभग आध मील की दूरी पर पाये गये और बच्चा जो जीवित था, वह अपनी मां से कुछ दूर था।

(ख) तथा (ग). जोरदार पुलिस जांच की जा रही है।

दिल्ली और नई दिल्ली में टेलीफोन

†४१०४. **श्री अ० मु० तारिक**: क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली में ऐक्सचेंजवार, टेलीफोन प्राधिकारियों तथा टेलीफोन सलाहकार समिति द्वारा पृथक् पृथक् कितने टेलीफोन मंजूर किये जा चुके हैं और कितने अभी लगाने शेष हैं;

(ख) कितने मामले में ऐक्सचेंजवार टेलीफोन लगाने का शुल्क भी प्राधिकारियों द्वारा वसूल किया जा चुका है तथा किन किन तारीखों को धन वसूल किया गया था।

(ग) अब तक टेलीफोन न लगाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इन में से किसी प्रार्थी ने प्राधिकारियों से प्रार्थना की है कि यदि टेलीफोन शीघ्र नहीं लगाये जायेंगे तो उन की राशि वापिस कर दी जाए ; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन)**: (क) टेलीफोन प्रशासन द्वारा मंजूर किये जाते हैं। टेलीफोन सलाहकार समिति विभिन्न मांगों की अनिवार्यता के बारे में प्रशासन को मन्त्रणा देती है। उनकी मन्त्रणा के आधार पर प्रशासन समय समय पर ऐक्सचेंज उपकरण, तारों आदि की उपलब्धता के अनुसार टेलीफोनों की मंजूरी देता है। कितने टेलीफोन ऐक्सचेंजवार लगाये जाने शेष हैं यह संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

	मंजूर टेलीफोन जिनको अभी लगाना शेष है
तीस हजारी	२०५
सचिवालय	--
कनाट प्लेस	१
करौल बाग	८१
जोर बाग	--

(ख) और (ग). टेलीफोन लगाने के प्रत्येक मामले में पहले राशि ली जाती है और व्यवस्था बाद में की जाती है। बड़े टेलीफोन व्यवस्था में हमेशा प्रार्थना पत्र बहुत होते हैं, जिन्होंने राशि दे दी है और जिनके टेलीफोन लगाये जा रहे हैं। इसलिये प्रत्येक ऐसे मामले का पूरा व्यौरा देना सम्भव नहीं है। तथापि सात मामलों में राशि दिये जाने के पर्याप्त समय पश्चात् भी टेलीफोन नहीं लगाया जा सका। इसका कारण यह है सम्बद्ध ऐक्सचेंज में यातायात इतना अधिक था कि उस लाइन पर अधिक टेलीफोनों का भार डालना वांछनीय नहीं समझा गया। उसके पश्चात् अतिरिक्ति उपकरण लगाया गया है और लगभग दो महीनों में टेलीफोन लगा दिये जायेंगे।

(घ) उपरोक्त सातों में से किस प्रार्थी ने राशि वापिस नहीं मांगी।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

डाक बचत बैंकों में चैक प्रणाली

†४१०५. **श्री सुबिमन घोष:** क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चक प्रणाली द्वारा समूचे भारत में डाक बचत बैंकों से धन निकालने की पद्धति लागू करने का प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) पश्चिम बंगाल के कितने डाकघरों में यह पद्धति लागू कर दी गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बारायन्):** (क) डाकघर बचत बैंक लेखा से धन निकालने की पद्धति समूचे भारत में लागू की जा चुकी है ।

(ख) उपरोक्त (क) के कारण प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) ४१४ डाकघरों में ।

सिंचाई के पानी का शुल्क

†४१०६. **श्री ब्रजराज सिंह:** क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने को प्रोत्साहन देने के लिये किसानों को अपनी भमि की सिंचाई के लिये दिये जाने वाले जल के लिये उन का आबयाना कम करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बात के कोई अस्थायी अनमान लगाये गये हैं कि सिंचाई का काम आबयाना होने के कारण किसानों को कितनी राशि छोड़नी पड़ेगी; और

(ग) इस प्रोत्साहन के परिणामस्वरूप कितना अधिक खाद्यान्न पैदा किया जायेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी):** (क) तीसरी योजना में सिंचाई के लिये आबयाना घटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

रेलगाड़ियों में अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिए स्थान का आरक्षण

†४१०७. { **श्री बै० चं० मलिक:**
डा० सामन्त सिंहार:

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलगाड़ियों में अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लिये स्थान के आरक्षण की विशेष व्यवस्था होती है;

(ख) यदि हां, तो किन गाड़ियों में और किन श्रेणियों में ;

(ग) इस आरक्षण का लाभ प्रदान करने के लिये किन व्यक्तियों को अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यक्ति समझा जाता है;

(घ) प्रत्येक गाड़ी में इस प्रयोजन के लिये कितने प्रतिशत बर्थ (स्थान) अलग रखे जाते हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) क्या इस प्रकार की आरक्षित श्रेणियों में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को कोई विशेष सुविधायें प्रदान की जाती हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) और (ग). जी हां। मंत्रियों, सरकार के उच्च अधिकारियों इत्यादि महत्वपूर्ण व्यक्तियों, जिन्हें अल्प सूचना पर रेल यात्रा करनी पड़ती है, की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कुछ गाड़ियों में कुछ स्थान अलग निर्धारित होते हैं।

(ख) और (ग). एक विवरण [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबंध संख्या ३२**] संलग्न है।

(ङ) जी नहीं।

परिवार नियोजन के लिए फोर्ड प्रतिष्ठान की सहायता

†४१०८. **श्री दी० चं० शर्मा:**
श्री रामकृष्ण रेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में परिवार नियोजन सम्बन्धी कार्यों के लिये फोर्ड संस्थान से कितनी सहायता प्राप्त हुई; और

(ख) क्या इस सारी रकम को सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) और (ख). परिवार नियोजन के प्रचार के लिये फोर्ड फाउण्डेशन की ३३०,००० डालर की सहायता में से सरकार को नवम्बर, १९६० में ७४,५०० डालर प्राप्त हुए। फोर्ड फाउण्डेशन की पेशकश में एक वर्ष की अवधि वाली १२ अधिक छात्रवृत्तियां भी हैं जो भारत के उम्मीदवारों के लिये परिवार नियोजन प्रचार अनुसन्धान के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये हैं।

७४,५०० डालर के अनुदान को इस्तैमाल करने की प्रस्थापनाओं पर विचार किया जा रहा है। फोर्ड संस्थान अधिछात्रवृत्तियां देने के लिये अब तक छः उम्मीदवारों का चुनाव कर लिया गया है और उनके नामों की सूचना फोर्ड संस्थान को दे दी गयी है।

राजघाट के पास नर्मदा पर पुल

४१०९. **श्री डामर:** क्या **परिवहन तथा संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के खरगोन तथा धार जिलों के बीच बड़वानी के पास राजघाट में नर्मदा नदी पर जो पुल बन रहा है उसमें कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस पुल के निर्माण के लिये कुल कितनी धनराशि मध्य प्रदेश सरकार तथा केन्द्रीय सरकार ने अलग-अलग स्वीकार की है; और

(ग) उक्त पुल कितने समय के भीतर पूरा बन कर तैयार हो जायेगा ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) से (ग). यह पुल प्रदेश सरकार की सड़क पर स्थित है और केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके निर्माण के लिये सहायतार्थ कोई अनुदान मंजूर नहीं किया गया। इस पुल के निर्माण की जिम्मेवारी मध्य प्रदेश सरकार की है। इसलिये इस के निर्माण में हुई यत्किंचित प्रगति और इस प्रायोजना के पूरे होने की सम्भावित अवधि की सूचना उपलब्ध नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पम्पावती बांध परियोजना

४११०. **श्री डामर:** क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के झाबुआ जिला की पम्पावती बांध परियोजना के लिये कौनसा स्थान चुना गया है;

(ख) इस बांध के लिये कुल कितनी धन राशि स्वीकृत की गई है और उसमें केन्द्र का अंशदान कितना है ;

(ग) इस परियोजना में कितने एकड़ भूमि कृषि योग्य भूमि डूब जाने की सम्भावना है;

(घ) डूबने वाली कृषि योग्य भूमि के लिये सरकार ने कितनी धन राशि किसानों को मुआवजे के रूप में देनी निश्चित की है; और

(ङ) इस बांध से कितने एकड़ भूमि में सिंचाई की जाने की आशा है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि बांध के लिये उचित स्थान की छानबीन की जा रही है ।

(ख) बांध की अनुमानित लागत १७·२५ लाख रुपये है । चूंकि परियोजना अभी स्वीकृत नहीं हुई है, इसलिये इस समय केन्द्र द्वारा अंशदान देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) तथा (घ). उपर्युक्त भाग (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते;

(ङ) आशा है कि लगभग ३,००० एकड़ भूमि को सिंचाई के अन्तर्गत लाया जायेगा ।

पम्पावती बांध

४१११. **श्री डामर :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के पम्पावती बांध से कितनी नहरें निकाली जायेंगीं;

(ख) उक्त बांध के कारण कितने एकड़ कृषि योग्य जमीन डूब जायेगी जिसमें इस समय कुओं द्वारा सिंचाई की जाती है; और

(ग) बांध के स्थान पर गर्मियों में कितना गहरा पानी रहता है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक परियोजना के व्यौरों को अन्तिम रूप नहीं दिया है ।

(ख) तथा (ग). उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते ।

माता टीला बांध से बिजली

†४११२. **डा० सुशीला नायर :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माता टीला बांध से बिजली के उत्पादन के बारे में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि इस परियोजना को दूसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इसकी क्रियान्विति में देर होने के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) से (ग). माता टीला जल विद्युत परियोजना को दूसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था। विदेशी मुद्रा की कमी के कारण दूसरी योजना की अवधि में इसकी क्रियान्विति में विलम्ब हो गया। किन्तु अब जापान में संयंत्र और मशीनों का आर्डर तदर्थ स्थगित भुगतान के अन्तर्गत दे दिया गया है और अनुमान है कि १९६३-६४ के दौरान परियोजना चालू हो जायेगी।

बन्देल में बिजली घर

†४११३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बन्देल में बिजली घर स्थापित करने के बारे में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इसके कब तक पूरा हो जाने का अनुमान है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) योजना आयोग ने परियोजना को मंजरी दे दी है और पश्चिम बंगाल के प्राधिकारियों ने आवश्यक टैंडर जारी कर दिये हैं।

(ख) १९६५-६६ तक।

अंकरा में भू-संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

†४११४. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या निकट भविष्य में अंकरा में होने वाले भू-संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत भाग लेगा ?

†**कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)**: जी हां।

सामुदायिक कल्याण परिषद्

†४११५. **श्रीमती मैमुना सुल्तान**: क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड कम्यूनिटी चैस्ट एण्ड काउंसिल आफ अमरीका के कार्यपालक निदेशक, डा० राल्फ ब्लैनकार्ड ने, जिन्होंने अभी हाल में भारत का दौरा किया था, एक सामुदायिक कल्याण परिषद् की स्थापना करने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्तावित परिषद् का विधान और कृत्य क्या होंगे ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां।

(ख) दिल्ली नगर निगम डा० ब्लैनकार्ड द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को विभिन्न समाज सेवी संगठनों, नागरिक नेताओं और इस कार्य में रुचि रखने वाले अन्य लोगों के पास उनके विचार और सुझाव जानने के लिए परिचालित कर रहा है। इन सुझावों आदि के प्रकाश में यथा समय अन्तिम निश्चय किया जायेगा।

भारत म अपंजीबद्ध[1] चिकित्सक

†४११६. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के प्रत्येक राज्य में और संघ राज्य क्षेत्र में कितने अपंजीबद्ध चिकित्सक हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Non Registered

(ख) क्या यह सच है कि आसाम सरकार आसाम मैडिकल परिषद् ने इन चिकित्सकों को पंजीबद्ध चिकित्सकों के रूप में मान्यता देने के लिए इन्हें तीन महीने का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे कौन से राज्य तथा संघ राज्य-क्षेत्र हैं जिन्होंने इस प्रकार की व्यवस्था पहले से ही कर रखी है और ऐसे कौन से राज्य हैं जिन्हें अभी ऐसी व्यवस्था करनी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और उसे यथासमय सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

उत्तर प्रदेश में फल का उत्पादन

४११७. **श्री भक्त दर्शन:**
श्री ज० ब० सिं० बिष्ट:

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में फलोत्पादन-कार्य के विकास व प्रसार के लिये वर्ष १९५२-५३ के वित्तीय वर्ष से वर्ष १९६०-६१ के वित्तीय वर्ष तक प्रति वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण या अनुदान के रूप में उत्तर प्रदेश की सरकार को कोई वित्तीय सहायता दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो कितनी धन राशियां स्वीकार की गई थीं और उनमें से कितनी का वस्तुतः उपयोग किया गया;

(ग) उत्तर प्रदेश की सरकार ने अथवा अन्य संस्थाओं ने किस प्रकार उस धनराशि का उपयोग किया; और

(घ) वर्ष १९६१-६२ के लिये उत्तर प्रदेश को इस कार्य के लिये कितनी राशि देने का निश्चय किया गया है ?

कृषि मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) जी हां।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार को स्वीकृत और उसके द्वारा उपयोग किये गये ऋणों और अनुदानों की राशियां नीचे दी गई हैं :—

वर्ष	स्वीकृत राशि		उपयोग की गई राशि	
	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
१९५६-५७ .	. .	३५,५००	. .	१९,००४
१९५७-५८ .	३६,९०,०००	४३,६००	२७,२०,२६९	४३,६००
१९५८-५९ .		६२,०००	†८,३३,६५०	६१,९५४
१९५९-६० .		६६,३००		६६,३००
१९६०-६१ .		७४,०००		७४,००० (लगभग)
कुल .	३६,९०,०००	२,८१,४००	३५,५३,९१९	२,६४,८६८

†यद्यपि यह राशि १९५७-५८ के लिये स्वीकृत की गई थी, फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार को इसे १९५८-५९ में उपयोग करने की आज्ञा दे दी गई।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) नये फलोद्यान लगाने के लिए फल उत्पादकों को लम्बे समय के ऋणों को देने के लिए राज्य सरकार ने ३५,५३,६१६ रुपयों का ऋण उपयोग किया। २,६४,८६८ रुपये का अनुदान कर्मचारियों और आकस्मिक खर्च इत्यादि पर व्यय किया गया।

(घ) १९६१–६२ के लिए वित्तीय सहायता की मात्रा विचाराधीन है।

दिल्ली में त्रुटिपूर्ण थर्मामीटरों की बिक्री

†४११८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में आजकल आयात किये गये एक किस्म के थर्मामीटरों से कई मामलों में कई व्यक्तियों को बुखार होने का पता चला जबकि उन व्यक्तियों को बिल्कुल बुखार नहीं था और इसका कारण है कि उन थर्मामीटरों में ताप-सूचक अंक ठीक तरह से अंकित नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

मनीपुर में बिजली का डिवीजन

†४११९. **श्री प्र० गं० देव**: क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने मनीपुर में कार्यपालक इंजीनियर के अधीन एक दूसरा बिजली का डिवीजन खोलने की मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो दूसरा डिवीजन खोलने के क्या कारण हैं और इन दोनों कार्यपालक इंजीनियरों के वेतन-क्रम और भत्ते क्या हैं?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां।

(ख) दूसरा डिवीजन निर्माण कार्यों के लिये बनाया गया था। मनीपुर में नियमों के अन्तर्गत प्राप्य महंगाई भत्ते सहित इन कार्यपालक इंजीनियरों का वेतन क्रम ६००–२५–७५०–ई० बी० –२५–९०० रु० है। इन में से एक पद पर आसीन व्यक्ति की केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग से प्रतिनियुक्ति (डैपूटेशन) की गयी है। वह आयोग में मिलने वाले अपने वेतन क्रम अर्थात ७००–१२५० (बिना महंगाई भत्ते के) के अनुसार अपना वेतन ले रहा है। इसके अतिरिक्त उसे अपने वेतन का ३० प्रतिशत प्रतिनियुक्ति वेतन के रूप में मिल रहा है जो कम से कम १८० रु० प्रति मास और अधिक से अधिक ३६० प्रति मास हो सकता है।

स्मृति टिकट[1]

†४१२०. **श्री ले० अचौ० सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर प्रशासन ने, खोमजोम युद्ध स्मारक समिति की प्रस्थापनाओं के अनुसार यह सिफारिश की है कि मेजर जनरल पाओना की यादगार में, जो २३ अप्रैल, १८९३ को खोमजोम के युद्ध में मारे गये थे, स्मृति टिकट प्रकाशित किये जायें; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने स्मृति टिकट प्रकाशित करने का निश्चय किया है?

---

†मल अंग्रेजी में

[1]Commemoration Stamp

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

किचनर रोड पर प्रसूति तथा बाल कल्याण केन्द्र

†४१२१. { **श्री राम गरीब:**
श्री डामर:

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किचनर रोड, नई दिल्ली में एक प्रसूति और बाल कल्याण केन्द्र १९५८ से लेकर तम्बुओं में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र के लिए इमारत बनाने के वास्ते कोई अनुदान स्वीकार किया गया है; और

(ग) इस इमारत के कब तक बन जाने की आशा है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर):** (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार द्वारा कोई अनुदान स्वीकार नहीं किया गया है किन्तु नई दिल्ली नगरपालिका के बजट में इसके लिए उपयुक्त व्यवस्था की गयी है।

(ग) अनुमान है कि इमारत मार्च, १९६२ तक बन कर पूरी हो जायेगी।

विनयनगर, नई दिल्ली में प्रसूति और बाल कल्याण केन्द्र

†४१२२. **श्री राम गरीब** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेन विनयनगर, नई दिल्ली में ५० पलंगों वाला जो प्रसूति तथा बाल कल्याण केन्द्र १९६० के अन्त में खोला जाना था, क्या वह खोला जा चुका है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इसके कब चालू होने की सम्भावना है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर):** (क) नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा प्रस्तावित प्रसूति तथा बाल कल्याण केन्द्र मेन विनयनगर में जब पूरा हो जायेगा तो उसमें १२ पलंगों की व्यवस्था होगी। अभी यह चालू नहीं हुआ है।

(ख) इसके निर्माण में कई महीने तक बाधा पड़ी रही क्योंकि सीमेंट की कमी थी। अब इमारत लगभग बन चुकी है और जून, १९६१ के अन्त तक यह केन्द्र चालू हो जायेगा।

विनयनगर, नई दिल्ली में खुला सिनेमा

†४१२३. **श्री राम गरीब** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेन विनयनगर, नई दिल्ली में खुला (ओपन एयर) सिनेमा चालू करने की योजना छोड़ दी गयी है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके कब चालू होने की सम्भावना है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर):** (क) जी, हां।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में]

एन्ड्रूजगंज, नई दिल्ली में डाक घर और सार्वजनिक टेलीफोन

†४१२४. **श्री राम गरीब :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एन्ड्रूजगंज, नई दिल्ली की सरकारी बस्ती में और नई दिल्ली की अन्य ऐसी बस्तियों में अभी तक डाक घर और सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की गयी; और

(ख) यदि हां, तो इस इलाके के निवासियों को ये सुविधाएं कब तक प्रदान किये जाने की सम्भावना है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन):** (क) और (ख). यद्यपि एन्ड्रूजगंज और अभी हाल में बनी कुछ अन्य सरकारी बस्तियों में अभी डाक घर नहीं खोले गये किन्तु इन इलाकों की डाक सम्बन्धी आवश्यकताओं को निकट के डाकखानों द्वारा पूरा किया जा रहा है। वस्तुत: इन बस्तियों के लिए डाकघरों की मंजूरी दी जा चुकी है किन्तु उपयुक्त स्थान उपलब्ध न होने के कारण इन्हें खोला नहीं जा सका। उपयुक्त स्थान की अलाटमेंट के लिए डायरेक्टर आफ एस्टेट्स और नई दिल्ली नगरपालिका के साथ बातचीत की जा रही है और स्थान उपलब्ध होते ही डाक घर खोल दिये जायेंगे।

जहां तक सार्वजनिक टेलीफोनों का सम्बन्ध है अभी तक एन्ड्रूजगंज में इसकी व्यवस्था नहीं की गयी। सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालयों के लिए सिक्के डालने के डिब्बों (कायन बाक्स) की बड़ी भारी कमी है। इसके अतिरिक्त, इस समय दिल्ली और नई दिल्ली के अधिकतर क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए टेलीफोनों और अन्य उपकरण की भी कमी है। अत: बहुत से क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालयों की व्यवस्था करना सम्भव नहीं। जब हमारी सम्भरण स्थिति सुधर जायेगी तो धीरे धीरे इनकी व्यवस्था की जायेगी।

अध्यापकों की क्रमोन्नति

†४१२५. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में 'प्रशिक्षण प्राप्त स्नातक परिपत्र' के अनुसार कितने अध्यापकों की पदोन्नति की गयी है;

(ख) उन्हें यह वेतन-क्रम वस्तुत: किस तिथि से दिया गया;

(ग) क्या पदोन्नति के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली बकाया राशि अदा कर दी गयी है;

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) ५१।

(ख) उन तिथियों से जबकि पद उपलब्ध हुए और जब स्नातक अध्यापकों के लिए नियत वेतनक्रमों के लिए अध्यापक पात्र बन गये।

(ग) से (ङ). जी हां, केवल पूर्वोत्तर और उत्तर रेलवे को छोड़ कर। लेखा-विभाग की जांच के लिए बिल भेज दिये गये हैं और लेखा-विभाग द्वारा उनकी पुष्टि होने के पश्चात अदायगी कर दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

मंत्रालय के प्रकाशन

४१२६. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य तथा कृषि सम्बन्धी आंकड़ों के जो प्रकाशन निकलते हैं उनका हिन्दी अथवा हिन्दी-अंग्रेजी का मिला जुला द्विभाषी संस्करण निकालने की क्या व्यवस्था की जा रही है और कब से ऐसे संस्करणों के प्रकाशित होने की आशा है; और

(ख) अब तक इन संस्करणों के न निकलने में कौन से कारण बाधक रहे ?

कृषि उपमंत्री (श्री मो० व० कृष्णप्पा): (क) खाद्य और कृषि मंत्रालय के अर्थ अंक निदेशालय ने हिन्दी में दो प्रकाशन पहले से ही निकाले हुए हैं (१) भारतीय फसलों का समय चक्र और (२) भारतीय कृषि की संक्षिप्त रूपरेखा (चौथा संस्करण) और ये दोनों ही जनता के लिए मूल्य वाले प्रकाशनों के रूप में प्रकाशनों के प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली से प्राप्त किये जा सकते हैं। भारतीय कृषि की संक्षिप्त रूपरेखा का पांचवां संस्करण मुद्रण अवस्था में है और बहुत जल्दी ही प्रकाशित किया जायेगा।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

खजरियाघाट-माल्दा रेलवे लाइन

†४१२७. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खजूरियाघाट से मालदा तक एक नई बड़ी रेलवे लाइन बिछायी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर कितनी लागत आयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० व० रामस्वामी):** (क) जी हां;

(ख) लगभग ३.२७ करोड़ रु०।

उत्तर रेलवे में क्लेम ट्रेसर[१]

†४१२८. { **श्री स० मो० बनर्जी :** / **श्री जगदीश अवस्थी :** }

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के वाणिज्यिक और कार्यालय कर्मचारियों के सम्बन्ध में क्लेम ट्रेसर्ज़ की तालिका (पैनल) को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया;

(ख) क्या इसे १६ मई, १९६० को मुख्य प्रबन्धक (उत्तर रेलवे) के आदेशों के साथ परिचालित किया गया था;

(ग) यदि हां, तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस तालिका में जो कर्मचारी शामिल हैं, वे इस समय स्थानीय और स्थानापन्न व्यवस्था के अन्तर्गत काम कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो कब से; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[१]Claim Tracers.

(च) इस तालिका को क्रियान्वित करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) अक्तूबर, १९६० में क्लेम ट्रेसर्ज के पदों पर तरक्की दिये जाने के योग्य कर्मचारियों की एक सूची (चुनाव के आधार पर तालिका नहीं) बनायी गयी थी और इसे क्रियान्वित किया जा रहा है।

(ख) अन्तरिम सूची १६-५-१९६० को और अन्तिम सूची १८-१०-१९६० को जारी की गयी थी।

(ग) से (च). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

पूर्वोत्तर रेलवे के गार्डों को यात्रा भत्ते

४१२९. श्री खुशवक्त राय: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के इज्ज़तनगर सक्शन के कुछ गार्डों को वे वेतन और यात्रा भत्ते नहीं दिये गये जो उन्हें क्रमशः १ जनवरी, १९४७ और १ जनवरी, १९४९ के नियमों के अन्तर्गत मिलने थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये गार्ड गत १२ या १३ वर्षों से इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन भेजते रहे हैं किन्तु पूर्वोत्तर रेलवे के प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया ; और

(ग) क्या इन में से कुछ गार्ड सेवा-निवृत्त हो चुके हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी हां।

(ख) आइज़टनगर डिस्ट्रिक्ट के गार्डों की ओर से पहले-पहल १९५८ में प्रतिवेदन मिले। इस मामले पर विचार किया जा रहा है। आशा है इस पर जल्द फैसला हो जायेगा।

(ग) सीनियारिटी लिस्ट तैयार की जा रही है। इसके तैयार होने पर ही सही स्थिति का पता लगेगा।

तारघरों में संदेशवाहक और चपरासी

†**४१३१. श्री हेमराज**: क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) केन्द्रीय तारघरों में और डाक तथा तार विभाग के अन्य विभिन्न मंडलों के तारघरों में कितने संदेशवाहक (मैसेंजर) और चपरासी (बॉय पियन) काम कर रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि १ मई, १९६१ से उनकी संख्या में कमी की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस कमी से प्रभावित होने वालों को रोज़गार की क्या वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)**: (क) जानकारी एकत्र की जा रही है और उसे यथासमय सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

(ख) नहीं।

(ग) और (घ). उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेजी में

उद्योगों के लिए बिजली की दरें

†४१३२. **श्री राजेश्वर पटेल :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन, अमरीका, कनाडा, जर्मनी और जापान की तुलना में भारत के विभिन्न भागों में उद्योगों से ली जाने वाली बिजली की दरों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) क्या कपड़ा और अल्युमीनियम आदि महत्वपूर्ण उद्योगों में उत्पादन-लागत और बिजली के व्यय के बीच के सम्बन्ध के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) ब्रिटेन, अमरीका, कनाडा, जर्मनी और जापान की तुलना में भारत में तापीय तथा जलविद्युत की तुलनात्मक उत्पादन लागत क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी):** (क) जी नहीं।

(ख) विद्युत-भार का सर्वेक्षण करते समय, केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों में, जिनमें कपड़ा और अल्युमीनियम उद्योग भी शामिल हैं, उत्पादन-लागत और बिजली पर आने वाली लागत के सम्बन्धों का अध्ययन किया है।

(ग) जी नहीं ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

वैशाखी के अवसर पर यमुना नदी में डूबने मरने की घटनायें

†**श्री प्र० गं० देव** (अंगुल) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें ।

> "वैशाखी के दिन यमुना नदी के स्नान घाटों पर दिल्ली प्रशासन द्वारा किये गये अपर्याप्त प्रबन्ध की ओर, जिसके फलस्वरूप पांच व्यक्ति नदी में डूब गये।"

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री दातार):** प्रति वर्ष वैशाखी में हजारों व्यक्ति स्नान करते हैं। इस वर्ष भी दिल्ली नगरनिगम के अधिकारियों ने यमुना के पश्चिम किनारे पर गीता भवन से लेकर दक्षिण में कुदसिया घाट तक बचाने का पूरा प्रबन्ध किया हुआ था। दस देशी नावें वहां पर मौजूद थीं और बाईस पेशेवर तैराक भी वहां सहायता के लिये उपस्थित थे। आग बुझाने वाला एक इंजिन भी वहां मौजूद था। कई गैर-सरकारी संस्थाओं ने सहायतार्थ अपनी व्यवस्था की हुई थी। वे नगरपालिका के कर्मचारियों से सहयोग कर रहे थे। लाउड स्पीकर द्वारा स्नानार्थियों को खतरे के स्थानों से सूचित किया जा रहा था। सभी श्रेणियों के २५० पुलिस के कर्मचारी वहां विधि और व्यवस्था बनाये रखने और नगरपालिका के कर्मचारियों के सहायतार्थ वहां मौजूद थे। इस व्यवस्था के आधार पर निगम के कर्मचारी १०८ व्यक्तियों को बचाने में समर्थ हुए तथा स्वेच्छा संस्थाओं ने भी बहुत से व्यक्तियों की जानें बचाईं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दातार]

दुख का विषय है कि इतनी व्यवस्था के बावजूद भी १४ से १६ वर्ष के उम्र के पांच लड़के डूब गये। इनमें से चार कुदसिया घाट पर डूब गये। वे अपने रिश्तेदारों के साथ नहीं थे और ऐसा प्रतीत होता है कि वे अचानक गहरे पानी में चले गये। इस दुर्घटना पर ध्यान आकर्षित तब हुआ, जब कि उन लड़कों के साथी ने उन्हें देखा और उन्हें बचाने का प्रयत्न किया। एक सिपाही जो कि नजदीक ही था लड़कों को किनारे लाने के प्रयत्न में कूदा। इस कार्य में जनता के कुछ आदमियों ने तथा नगर निगम के कुछ कर्मचारियों ने भी सहायता की। उन पांचों को अस्पताल पहुंचाया गया तथापि ज्ञात हुआ कि उनमें से चार डूबने से मर चुके हैं।

एक अन्य लड़का जमुना पुल पर धोबी घाट पर डूब गया। वह अपने पिता और चचा के साथ था। वह अपने रिश्तेदारों के बाहर निकलने पर भी नहाता रहा और वह गहरे पानी में डूब गया। उसका शरीर आग बुझाने वाले इंजिन के कर्मचारियों की सहायता से निकाला गया।

उस दिन वजीराबाद से पानी का निकास केवल १५३८ क्यूसेक्स था। केवल आधी नदी घाट की ओर बह रही थी और नदी का स्तर बहुत अधिक नहीं था, यदि इससे भी कम होता तो लोगों के लिये नहाना भी कठिन हो जाता।

उक्त सारी मौतें आकस्मिक थीं और वे दिल्ली प्रशासन या दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही से नहीं हुईं।

प्राक्कलन समिति

कार्यवाही सारांश

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : मैं निम्नलिखित प्रतिवेदनों के बारे में प्राक्कलन समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांशों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(एक) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) के बारे में १२६वां, १२७वां और १२८वां प्रतिवेदन।

(दो) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) के बारे में १२९वां, १३०वां और १३१वां प्रतिवेदन।

(तीन) सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय (सहकारिता विभाग) के बारे में १३३वां प्रतिवेदन।

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव**: मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य सभा के सचिव से यह संदेश मिला है कि २० अप्रैल, १९६१ को पारित विनियोजन (संख्या २) विधेयक के बारे में राज्य सभा को लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विशेषाधिकार समिति

बारहवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिंडा) : मैं विशेषाधिकार समिति का बारहवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

प्राक्कलन समिति

एक सौ अड़तीसवां प्रतिवेदन

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर): मैं वैदेशिक-कार्य मंत्रालय पर प्राक्कलन समिति का एक सौ अड़तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

सभा का कार्य

सभा कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह): श्रीमन्, आपकी अनुमति से मैं १ मई, १९६१ को आरम्भ होने वाले सप्ताह में लिए जाने वाले सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं, जो इस प्रकार होगा :—

(१) आज के आर्डर पेपर से बचे हुए सरकारी कार्य के किसी मद पर विचार ।

(२) अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) १९५८–५९
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९५८–५९
पर चर्चा और मतदान ।

(३) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा उन्हें पारित किया जाना :
कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) संशोधन विधेयक, १९६१
दिल्ली दुकान और संस्थापन (संशोधन) विधेयक, १९६१, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में
सालार जंग संग्रहालय विधेयक, १९६०, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में ।

(४) मोटर परिवहन कामगर विधेयक, १९६० में राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार ।

(५) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार और पारित किया जाना :
खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक, १९६१
न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक, १९६१, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में ।

(६) अप्रैल, १९५९ से मार्च, १९६० तक की अवधि के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिवेदन पर, जो कि १७ फरवरी, १९६१ को सभा पटल पर रखा गया था, मंत्री द्वारा रखे गये प्रस्ताव पर चर्चा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सत्यनारायण सिंह]

(७) १ अप्रैल, १९५९ से ३१ मार्च, १९६० तक की अवधि के लिये संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन पर, जो कि सरकारी ज्ञापन के साथ लोक सभा के पटल पर २१ दिसम्बर, १९६० को रखा गया था, गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री द्वारा रखे गये प्रस्ताव पर चर्चा।

(८) भारतीय श्रम सम्मेलन के सत्रहवें और अठारहवें अधिवेशन के मुख्य निष्कर्षों के सारांश पर, श्री स० म० बनर्जी तथा अन्य सदस्यों द्वारा २ मई को ४ बजे सायं रखे गये प्रस्ताव पर चर्चा।

कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) संशोधन विधेयक

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम, १९५२ में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि कोयला खान (संरक्षण तथा सुरक्षा) अधिनियम, १९५२ में संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**सरदार स्वर्ण सिंह**: मैं विधेयक पुरस्थापित करता हूं।

उड़ीसा विनियोग (संख्या २) विधेयक

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)**: मैं श्री मोरारजी देसाई की ओर से यह प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में व्यय के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में व्यय के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों का भुगतान और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय**: प्रश्न यह है :

"कि खंड १ से ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १ से ३, अनुसूची, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

---

†मूल अंग्रेजी में

पारित आयकर विधेयक

†श्री ब० रा० भगत : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये"

†अध्यक्ष महोदयः प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†अध्यक्ष महोदय : अब श्री मोरारजी देसाई द्वारा २७ अप्रैल १९६१ को प्रस्तुत आय कर विधेयक को प्रवर समिति को सौंपे जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार होगा :—

"कि आय कर और अधिकर सम्बन्धी विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक को श्री आचार, श्री सुब्बया अम्बलम, श्री अमजद अली, श्री प्रेमजी आसर, श्री बहादुर सिंह, श्री प्र० च० बरुआ, श्री द० र० चावन, श्री श्रीनारायणदास, श्री मूलचन्द दुबे, श्री म०ला० द्विवेदी, श्री द०अ० कट्टी, श्री कुन्हन, श्री भावसाहेब रावसाहेब महागांवकर, श्री मैथ्यु मणियंगाडन, श्री मी० रू० मसानी, श्री नारायणन कुट्टि मेनन, श्री राधेश्याम रामकुमार मुरारका, श्री नरेन्द्र भाई नथवानी, श्री च० द० पांडे. श्री नवल प्रभाकर, श्री रामशंकर लाल, श्री शिवराम रंगो राणे, श्री जगन्नाथ राव, श्री क०ब० रामकृष्ण रेड्डी, श्री अ०कु०सेन, श्री लैसराम अचौ सिंह, डा०रामसुभग सिंह, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा, श्री राधे लाल व्यास तथा प्रस्तावक की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये और इसे आगामी सत्र के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुदेश दिया जाये।

†श्री हेडा (निजामाबाद) : स्वयं विधि आयोग ने यह बात कही है कि भारतीय संविधि पुस्तक में इस प्रकार का जटिल, अव्यवहारिक तथा गलत कानून और कोई नहीं है जितना कि यह १९२२ का भारतीय आयकर अधिनियम है। अतः इस प्रकार का व्यापक विधेयक, जैसा कि प्रस्तुत किया गया है बड़ा आवश्यक था। मुझे इस बात का हर्ष है कि अन्ततोगत्वा इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत हो गया है।

करापवंचन के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसा करने वाले लोगों का एक वर्ग ऐसा है जिसे ऐसा करने में आयकर के वकील सहायता देते हैं। इस लिए यह आवश्यक है कि आयकर विभाग में ही ऐसी व्यवस्था की जाये कि वहां एक ऐसा व्यक्ति हो जो लोगों को अपनी आय के उचित मूल्यांकन करने, फार्म भरने और बकाया कर देने के लिए सहायता दे। विभाग के अधिकारियों में लोगों की सहायता करने की भावना होनी चाहिए। मेरा विचार है कि यदि इस प्रकार का कोई समुचित प्रबन्ध हो जाय तो लोगों को वकीलों से सहायता लेने की आवश्यकता ही न रहेगी।

एक और महत्वपूर्ण बात की ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं। वह यह कि विदेशों में कई भारतीय व्यापारी यह नहीं जानते कि वे अपना धन भारत कैसे भेज सकते हैं। यदि यह धन भारत में आ सके तो उसे देश के औद्योगिकरण के लिए काम में लाया जा सकता है। मैं कह नहीं सकता कि इस वर्तमान विधान के द्वारा यह समस्या किस रूप में सुलझ पायेगी।

[डा० सुशीला नायर पीठासीन हुईं।]

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हेडा]

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक कि किसी व्यक्ति ने करापवचन में वास्तव में साथ न दिया हो तब तक उसे इस काम में सहायक नहीं समझा जाना चाहिए। विधेयक में जो सहायक की परिभाषा की गयी है उसमें किसी फर्म का एकाउन्टेन्ट, लेखापरीक्षक और आयकर के वकील भी आ सकते हैं। मेरा विचार है कि इस परिभाषा के अन्तर्गत उन्हें लाना उचित नहीं।

मेरा विचार है कि इस प्रकार का विधेयक यदि कुछ देर पहले प्रस्तुत किया जाता तो अच्छा था। इस पर अच्छी प्रकार विचार हो सकता था। फिर भी मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वेल्लोर) : इस प्रकार के व्यापक विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करता हूं। करापवंचन के सम्बन्ध में जो कुछ दोष दिखाई देते हैं, मेरा मत यह है कि उन्हें दूर करने के लिए हमें ग्रेट ब्रिटेन जैसी व्यवस्था अपनानी चाहिए। वहां तरीका यह है कि पति और पत्नी को आय का संयुक्त विवरण देना पड़ता है। वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत पति अपने शेयर तथा अन्य सम्पदा पत्नी के नाम में या नाबालिग बच्चों के नाम में कर देता है, और इस प्रकार सरकार को कर देने से बच जाता है।

कर के पुनर्निधारण के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि किसी फर्म अथवा व्यक्ति को १६ या २० वर्ष का हिसाब देने को कहना ठीक न होगा। सामान्यतः ऐसा कोई नहीं करता। इतने लम्बे समय के बाद करदाताओं को दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने से उन्हें कठिनाई होगी। यह हो सकता है कि कानून में ही इस प्रकार का उपबन्ध कर दिया जाय कि करदाता अपनी दस्तावेजें सम्भाल कर रखे। कर के निर्धारण में करदाता की कोई गलती सिद्ध न हो तो अधिकारियों के लिए किसी प्रकार का दंड विहित किया जाना चाहिए, अन्यथा करदाताओं को व्यर्थ परेशान किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता में "सहायक" की जो परिभाषा दी गयी है वह अधिक व्यवहारिक है, मेरा सुझाव है कि इस विधान में उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। जो लोग आयकर विभाग में काम कर चुके हैं, उन्हें आयकर के वकील की हैसियत से काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आयकर विभाग के लोगों को भी पूरी ईमानदारी से काम करना चाहिए।

†**श्री दामानी** (जालौर) : यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सम्बन्ध में मैं विधि आयोग तथा त्यागी समिति के प्रति उनके प्रतिवेदनों के लिए आभार प्रदर्श करता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधान में धर्मार्थ न्यास के सम्बन्ध में जो उपबन्ध है उससे कई कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। विधेयक में इस प्रकार संशोधन किया जाये कि जो न्यास अच्छा सामाजिक कार्य कर रहे हो उन्हें इस उपबन्ध के कारण किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिए कि १ अप्रैल, १९५५ से पूर्व नियुक्त व्यक्तियों को स्वागत सत्कार भत्ते का कुछ लाभ प्राप्त होगा अथवा नहीं। नये नियमों के अन्तर्गत कर निर्धारण के लिए सार्वजनिक सूचना देना आवश्यक नहीं होगा। मेरा मत यह है कि यह उपबन्ध ठीक नहीं है। इसे हटा दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि व्यवस्था यह की गयी है कि समवायों को अपने लेखे की परीक्षा लेखापरीक्षकों से करानी होगी और लेखे को सामान्य सभा में स्वीकार करना होगा। इस प्रकार करने में काफी समय लग जाता है। अतः मेरा अनुरोध है कि उन्हें आय का विवरण प्रस्तुत करने के लिए कुछ अधिक समय दिया जाय। चार मास का जो समय दिया जा रहा है वह बहुत कम है।

---

†मूल अंग्रेजी में

करदाता को कर देने की तिथि तक चार प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा, जब कि अधिकारियों को रुपया लौटाने के लिए छ: मास का समय दिया गया है। मेरा कहना है कि इस प्रकार अधिकारियों की कार्यदक्षता नहीं बढ़ेगी। छ: मास की अवधि कम की जाये अन्यथा फिर लौटाये गये धन पर ब्याज दिया जाय। १०००० रुपये तक की आय पर कितना कर देना होगा यह दो वर्ष के भीतर निर्धारित किया जाना चाहिए। कर निर्धारण की वर्ष की समाप्ति के बाद चार वर्ष की जो अवधि है, वह कार्यदक्षता के हित में घटा कर तीन वर्ष कर दी जाय।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जिन सार्थों का नाम रजिस्टर हो चुका है और जिनका नहीं हुआ, उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया गया तो काफी कानूनी अड़चनें पैदा हो जायेंगी। जो समवाय समाप्त हो रहे हैं, उनके निदेशकों और अंशधारियों द्वारा पिछले वर्षों की आय पर कर देने का उपबन्ध पहले कभी नहीं था। मैं यह भी अनुरोध करूंगा कि विभाग द्वारा अपने अधिकारियों के लिए कानून का जो स्पष्टीकरण किया जाय वह जनता को भी उपलब्ध किया जाय। जनता को इस बारे में पूरी जानकारी दी जानी चाहिये।

†**पंडित कृ० चं० शर्मा** (हापुड़) : संसार की सभी सरकारों के सामने यह समस्या आती है। इस समस्या के मूल में यह बात है कि बीसवीं सदी से पहले करों का अनुपात जनता की आय का ५ से १० प्रतिशत तक होता था। अब करों का अनुपात अत्यधिक बढ़ गया है। इसीलिये अब अधिकाधिक जनता कर-अपवंचन करने लगी है। यह समस्या संसार व्यापी है।

श्री मोरारजी देसाई ने इस विधेयक पर बड़ी मेहनत की है। पर यह आशा नहीं करनी चाहिये कि इससे समस्यायें सुलझा जायेंगी। आज के संसार में अपराधियों की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। पहले अपराधियों की सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं रहती थी। लेकिन आज के अपराधियों को प्रतिष्ठा प्राप्त है। इसीलिये समाज में व्यापक भ्रष्टाचार है।

अब करों का अनुपात २० से ३० प्रतिशत तक हो गया है। इसलिये वह कर-अपवंचना और तस्करी का सहारा लेता है। कर-अपवंचना ही आगे बढ़ कर और गम्भीर अपराधों का रूप ले लेती है।

इसलिये कर-अपवंचना के विरुद्ध किये जाने वाले उपायों को निरोधात्मक भर न समझ कर दण्डनीय समझना चाहिये। सामाजिक दृष्टिकोण से दण्ड और अधिक कड़ा होना चाहिये।

इसे केवल राजस्व सम्बन्धी एक विधान नहीं माना जाना चाहिये, बल्कि समाज की नैतिकता से इसका सम्बन्ध जोड़ा जाना चाहिये। आशा है कि प्रवर समिति इस विधेयक के रूप में काफी सुधार कर देगी।

श्री रामकृष्ण गुप्त (महेन्द्रगढ़) : सभापति महोदय, मैं इस बात के लिये बहुत खुश हूं कि जो हमारा बहुत पुराना इनकम टैक्स एक्ट (आयकर अधिनियम) सन् १९२२ का था उस में काम में जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती थीं, उन डिफिकल्टीज को दूर करने के लिये गवर्नमेंट आफ इंडिया ने कई दफा पहले भी कोशिश कीं। जो हमारा पुराना एक्ट था उसको २९ दफा अमेंड किया गया, लेकिन फिर भी कोई न कोई कमी रह जाती थी। उस मकसद को पूरा करने के लिये पहला कदम यह उठाया गया कि सन् १९५६ में ला कमिशन (विधि आयोग) को यह मामला रिफर

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रामकृष्ण गुप्त]

किया गया, उसके बाद डाइरेक्ट टैक्सेशन एडमिनिस्ट्रेशन एन्क्वायरी कमेटी मुकर्रर की गई। इस बिल को उन दोनों की रिपोर्टों की मौजूदगी में, दोनों की सिफारिशों के मुताबिक अमेंड किया जा रहा है।

जब हम इस बिल के एम्स ऐंड आब्जेक्ट्स को देखते हैं, तो उनको देखने से पता चलता है कि जो नया बिल तैयार किया जा रहा है उस का सब से बड़ा एम यह है कि असेसीज को कम से कम इनकन्वीनिएंस हो और टैक्सेज के अन्दर जो इवेजन या चोरी होती है उस को रोका जाय। इसलिये अब हमारे सामने यह सवाल है कि इस बिलके पास होने से जो दिक्कतें हैं वह कहां तक दूर हो जायेंगी, इवेजन को कहां तक रोका जा सकेगा और ला को कितना सिम्पल बनाया जायेगा। इन बातों को सोचते हुए मैं ज्वाइंट कमेटी के सामने चन्द तजवीजें रखना चाहता हूं और मुझे पूरा यकीन है कि उन पर जरूर विचार किया जायगा।

सब से पहला सवाल जो मैं इस मौके पर लाना चाहता हूं वह यह है कि इनकम टैक्स का कलेक्शन कैसे किया जाय। इसका कुछ बेहतर और ठीक इन्तजाम होना चाहिये। मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कि अगर हम पिछले सालों की रिपोर्ट्स को देखें, खास तौर पर वार के बाद के पीरियड को, तो पायेंगे कि एरियर्स बढ़ते जा रहे हैं। इस बात का जिक्र जो डाइरेक्ट टैक्सेशन एडमिनिस्ट्रेशन एन्क्वायरी कमेटी (प्रत्यक्ष कराधान प्रशासन जांच समिति) की रिपोर्ट है, उसमें भी किया गया है। उस रिपोर्ट के सफा १०० पर कहा गया है :

"सन् १९५४-५५ में जब कुल एरियर्स २०५ करोड़ ७० लाख थे, सन् १९५७-५८ में वह २८१ करोड़ २८ लाख हो गये।"

इस रिपोर्ट में यह भी जाहिर किया गया है जो यह एरियर्स बढ़े उस के कारण क्या थे। जहां तक मैंने उनको स्टडी किया, उस के दो, तीन कारण थे। सब से बड़ा कारण तो यह था कि वार के जमाने में स्टाफ कम था जिसकी वजह से या तो टैक्सेज़ को लगाया नहीं गया या ओवर एस्टिमेट किया गया। मैं यह दो बातें इसलिये कह रहा हूं कि हमारे सामने यह बड़ा अहम सवाल है कि अगर हम टैक्सेज के एरियर्स को वसूल करने में कामयाब हो जायें, अगर कलेक्शन ठीक हो तो हमारी काफी दिक्कतें और खामियां जो इस सिलसिले में हैं, वे दूर हो सकती हैं। इसके लिये जो इस बिल के अन्दर नया क्लाज है मैं उसकी तरफ हाउस का ध्यान दिलाना चाहता हूं। क्लाज २, सब क्लाज ४४ में कहा गया है कि कर-वसूली अधिकारी कलैक्टर, या अतिरिक्त कलैक्टर या राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी होगा।

यह एक बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है, इसके बारे में मैं सिर्फ एक ही तजवीज रखना चाहता हूं और मुझे आशा है कि ज्वायंट कमेटी उस पर विचार करेगी। इस रिपोर्ट को देखने से पता लगता है कि सब से बड़ी डिफिकल्टी टैक्स कलेक्ट करने में यह थी कि जो कलेक्शन मैशीनरी थी वह स्टेटवाइज डिफरेंट थी। सेंट्रल गवर्नमेंट का उस पर कोई कंट्रोल नहीं था। इसलिये मेरी समझ में यह बात नहीं आई। हम देखते हैं कि पहले यह डिफिकल्टी थी और अब डेफीनीशन में यह कहा जाता है।

मैं यह बात चाहता हूं कि जो स्टेट्स के कलेक्टर हैं उनको यह काम बिल्कुल न दिया जाए वरना यह डिफीकल्टी बाद में फिर एराइज होगी और जो बिल एक्ट बनेगा उसको अमेंड करना पड़ेगा। कलेक्टर के पास अपना काफी काम रहता है और इसके अलावा वह ज्यादा ध्यान देगा रेवेन्यू के वसूल करने में और इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि

इसके लिये अलग आफिसर मुकर्रर किया जाए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हो और वह इस काम को पूरा करे। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा करने से टैक्स कलेक्ट करने में जो दिक्कतें आती हैं वे काफी हद तक दूर हो सकती हैं।

दूसरी तजवीज जो त्यागी कमेटी ने इसके बारे में की है वह है इंटरेस्ट का मुकर्रर किया जाना। मैं समझता हूं कि यह एक बहुत अच्छी तजवीज है। इसके लगाने से भी काफी दिक्कतें दूर हो सकती हैं और एरियर्स ज्यादा नहीं होंगे। इसके बारे में मैं थोड़ा सा क्लेरीफिकेशन चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने भी कल अपनी स्पीच में इस बात की तरफ इशारा किया और कहा कि ब्याज तो जुर्माने के अतिरिक्त होगा।

मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं कि अगर इंस्टालमेंट के जरिए इनकम टैक्स वसूल किया जाए तो उस वक्त क्या प्रोसीज्योर होगा और जो हमारा पूरा एरियर्स है उसके मुताल्लिक क्या पोजीशन होगी। पिछले दिनों मैं ने हाउस में एक सवाल किया था और उसका जवाब देते हुए यह कहा गया था कि जो एरियर्स वसूल करने के लिए इंस्टालमेंट लगाए गए हैं उन पर इंटरेस्ट नहीं लगाया जाता। मैं चाहता हूं कि यह चीज साफ की जाए कि जो पूरा एरियर्स बाकी है चाहे वह किसी पीरियड का हो, उसको वसूल करने के लिये भी इस बिल को इस ढंग से अमेंड किया जाए कि हम उस पर इंटरेस्ट वसूल कर सकें। वरना मुझे डर है कि वह रकम वसूल न हो सकेगी।

दूसरे इस बिल का जो क्लाज २२० है उसके जरिए जो आफिसर्स को ताकत दी गयी है वह बहुत वाइड है। इसलिये भी मैं चाहता हूं कि इस चीज को और ज्यादा डिफाइन किया जाए और साफ किया जाए।

जहां तक ये लफ्ज इसमें आए हैं "ऐसी शर्तों के अधीन जो वह लगाना उचित समझे", मैं जानना चाहता हूं कि इनका क्या मतलब है। क्या उसको यह भी पावर हासिल है कि जो इंटरेस्ट लिया जाएगा उसको भी वह एग्जेम्प्ट कर सकता है। अगर ऐसा है तो मैं समझता हूं कि इस क्लाज से कोई फायदा नहीं होगा।

दूसरे मुझे यह भी ऐतराज है कि जो रेट मुकर्रर किया गया है वह बहुत कम है। ला कमीशन ने १० परसेंट मुकर्रर किया, त्यागी कमीशन ने ६ परसेंट मुकर्रर किया। लेकिन गवर्नमेंट ने इस बिल के अन्दर सिर्फ ४ परसेंट मुकर्रर किया है। मैं चाहता हूं कि इस रेट को बढ़ाकर अगर १० परसेंट नहीं तो कम से कम ६ परसेंट जरूर कर दिया जाये।

इसके बाद जो दूसरा सवाल है वह बहुत अहम है। वह सवाल टैक्स इवेजन का है। यह मामला हाउस में भी कई दफा आया। इसके बारे में, जैसा कि मैंने अभी कहा, पहले हमारे सामने यह सवाल है कि हम यह मालूम करें कि टैक्सेज जो इवेड होते हैं उनके कौन कौन से काजेज़ हैं और उनको कैसे रिमूव किया जा सकता है। जहां तक मैंने इस बात को समझने की कोशिश की है, एक काज़ तो कम्प्लीकेटेड प्रोसीज्योर है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बिल के पास होने से और प्रोसीज्योर को सिम्पलीफाई करने से टैक्सेज की चोरी कम हो सकती है। इसके अलावा मैं यह भी समझता हूं कि एक्सपीरिएंस्ड आफिसर्स की भी कमी है जो कि उन तमाम बारीकियों को समझ सकें कि किस तरीके से बड़े कैपीटलिस्ट टैक्स को इवेड करने में कामयाब हो जाते हैं। इस कठिनाई पर इसी तरह से काबू पाया जा सकता है कि स्टाफ को बाकायदा ट्रेन किया जाए। उनको इस काम की तमाम चीजें सिखाई जाएं ताकि वह इस काम में कामयाब हों।

[श्री रामकृष्ण गुप्त]

इसके बाद जहां तक पनिशमेंट का सवाल है, मुझ से पहले मेरे दोस्त ने भी इसका जिक्र किया। मैं समझता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि टैक्स इवेजन न हो तो उसके लिए आपको और सख्त सजाएं मुकर्रर करनी पड़ेंगी। अगर हम पिछले तजरबे को देखें तो मैं यह कहे बगैर नहीं रहूंगा कि इस बात के बावजूद कि पुराने एक्ट में यह प्रावीजन था कि जो टैक्स छिपाया जाय या इवेड किया जाय उसकी वसूली के लिए १५० परसेंट बतौर पैनाल्टी के मुकर्रर किया जा सकता था, क्या आप एक भी ऐसा केस बतला सकते हैं जिसमें १५० परसेंट की पैनाल्टी मुकर्रर की गयी हो। यह ठीक है कि इसकी कुछ लिमिट मुकर्रर कर दी गयी है, लेकिन मैं समझता हूं कि वह लिमिट बहुत कम है। इसके अलावा मैं यह भी समझता हूं कि जब तक आप इम्प्रिजनमेंट के लिए इसके अन्दर कोई क्लाज नहीं रखेंगे तब तक यह बीमारी दूर नहीं हो सकती और इस बीमारी को दूर करना सब से ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसका हमारी सोसाइटी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, और इसको तभी रोका जा सकता है जब उन लोगों को जुर्माने के अलावा सजायें भी दी जा सकें और इम्प्रिजन-मेंट की सजा दी जा सके। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इन दो तीन बातों पर विचार किया गया तो ये सारी दिक्कतें बड़ी हद तक दूर हो सकती हैं।

इसके अलावा मेरी यह राय भी है कि एक स्पेशलिस्ट्स का बोर्ड भी मुकर्रर किया जाये। त्यागी कमेटी ने भी इस बात की सिफारिश की है। जैसा मैंने कहा, इनकम टैक्स के इवेजन के लिए बहुत से डबल हिसाब किताब रखें जाते हैं, बैंकों में फिक्टीशस नामों से रकमें जमा की जाती हैं जिनका पता लगाना बड़ा मुश्किल है। इसका पता लगाने के लिए आपको कोई न कोई खास तरीका अख्तियार करना होगा और यह जभी हो सकता है जब आप इसके लिए एक बोर्ड आफ स्पेशलिस्ट्स मुकर्रर करें जो इन तमाम बातों पर विचार करे और इन चीजों को रोकने की कोशिश करे। इसके बारे में मैं यह भी चाहता हूं कि जो इनकम इनवेस्टीगेशन कमीशन मुकर्रर किया गया उसकी तमाम डिटेल्ड रिपोर्ट्स हाउस के सामने रखी जायें। मैं यह बात इसलिए कहता हूं कि उन रिपोर्ट्स को देखने से आपको पता चलेगा कि क्या क्या तरीके टैक्स को इवेड करने के लिए इस्तमाल किये जाते हैं। मैं ने उनमें से दो चार रिपोर्ट्स को गौर से पढ़ा है। मैं चाहता हूं कि वे तमाम रिपोर्ट्स डिटेल में हाउस के सामने रखी जायें ताकि इन बातों के जो सीक्रेट हैं उनका पता चल सके और उनको रोकने के लिए कोशिश की जा सके।

मैं इस बात के लिए भी जोर देता हूं क्योंकि इस बिल में इसके लिए कोई प्रावीजन नहीं है, हालांकि त्यागी कमेटी ने इस बात की भी सिफारिश की थी कि कुछ सीमा से अधिक आय के लेखों की अनिवार्य लेखा-परीक्षा हो। मैं यह नही चाहता कि जिन लोगों की थोड़ी आमदनी है उनके एकाउंट को आडिट करने के लिए कोई क्लाज रखी जाय, लेकिन जिन लोगों की आमदनी एक लाख या इससे ज्यादा है, उनका आडिट कम्पलसरी होना चाहिए, और जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे यह बीमारी दूर नहीं हो सकती।

इसके लिए मैं यह भी चाहता हूं कि बैंकों पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। त्यागी कमेटी ने भी इस बारे में सुफहा १६० पर अपनी राय जाहिर की थी, लेकिन बाद में कुछ चेम्बर आफ कमर्स का डपूटेशन उनसे मिला, और मैं नहीं समझता कि इस मामले में क्यों नहीं ज्यादा जोर दिया गया। उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि बैंकों की ऋण-पद्धति में सुधार किया जाना चाहिये। यह बात मैं ने इसलिए कही है और जो इनवेस्टिगेशन कमिशन की रिपोर्ट है उसको भी मैं आपके सामने रखूं तो आप इस बात को महसूसकरेंगे। सन् १९५० की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि कुछ बैंक चन्द व्यक्तियों के नियंत्रण में हैं।

मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तक आप बैंकों पर पूरा कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक यह टैक्स इवेजन रुक नहीं सकता क्योंकि जो लोग टैक्सेज की चोरी करते हैं उन्हीं के हाथ में बैंक्स का तमाम इंतजाम है। इस सेक्शन १३६(६) के द्वारा जो आपको लिमिटेड पावर प्राप्त है उससे आपका काम नहीं चल सकता है। आप सिर्फ उसी एसेसी का एकाउन्ट बैंक से मालूम कर सकते हैं जिसका कि कोई झगड़ा या डिस्प्यूट हो लेकिन अगर उसी एससी का बैंक पर पूरा कंट्रोल हो, वह बैंक का डाइरेक्टर हो और मुख्तलिफ ५, ६ नाम से फिक्टिशियस नाम से उस बैंक में रुपया रखे तो मैं आपसे पूछता हूं कि उसको मालूम करने के लिए आप क्या कोशिश करेंगे ? इसलिए मेरी यह अपील है कि इस बारे में भी कमेटी विचार करे और त्यागी कमेटी ने जो व्यू रखा है उसको ऐक्सेप्ट कर लिया जाय और मझे पूरा विश्वास है कि ऐसा करने से टैक्स इवेजन में और टैक्सेज की चोरी में बहुत कमी हो जायेगी ।

थोड़ा सा मैं डिसक्लोजर आफ इनफामशन के बारे में भी कहना चाहता हूं। इसके लिए मैं ने पिछले दिनों हाउस में एक बिल भी पेश किया था और मैं समझता हूं कि गवनमेंट को इस बात को मान लेना चाहिये था। सब से आसान तरीका इसका यह था कि मौजूदा इनकमटेक्स में जो सैक्शन ५४ है उसको डैलीट कर दिया जाता। मैं यह बात इसलिए कहता हूं कि आप जानते हैं कि यह जो टैक्सेज की चोरी होती है उसको बंद करने के दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो लोगों का मौरेल स्टैन्डर्ड ऊंचा हो या फिर उन को इस बात का डर हो और वह यह महसूस करें कि यह अच्छा काम नहीं है। उनको दूसरा खतरा या डर सोसाइटी का हो सकता है लेकिन जब आप सोसाइटी से और पबलिक से तमाम प्रोसीडिंग्स खुफिया रखेंगे, उन्हें किसी बात का पता नहीं लगता तब आप ही मुझे बतलायें कि सोसाइटी से उनको क्या डर हो सकता है ? और उनकी प्रैस्टिज पर क्या असर पड़ सकता है ? जो लिमिटेड पावर नये सक्शन १३८ के द्वारा दी गई है मैं समझता हूं कि वह इतनी कम्पलीकेटेड है कि उसको प्रैक्टिस में लाना बड़ा मुश्किल है। अब किसी को क्या गरज पड़ी है कि किसी शख्स की यह बात मालूम करने के लिए वह कोशिश करे, कौपी हासिल करे और रुपया खर्च करे कि उसकी तरफ टैक्स का कितना रुपया बकाया रहता था और उसके लिए क्या कोशिश की गई ? इसके लिए सब से बेहतरीन और आसान तरीका यह था कि इस सैक्शन को बिलकुल डैलीट कर दिया जाता और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इस बात को ऐक्सेप्ट कर लिया गया तो टैक्सेज के इवेजन में कमी हो सकेगी और यह चीज कम हो सकती है।

आखिर में मैं केवल दो, तीन जनरल बातें कह कर अपनी बात खत्म करता हूं।

जहां तक ट्रस्ट्स और चैरिटेबुल इंस्टीच्यट्स का ताल्लुक है, मेरे से पहले के माननीय दोस्त ने उनका जिक्र किया और यह जाहिर करने की कोशिश की कि जहां तक ट्रस्ट्स और चैरिटेबुल इंस्टीच्यट्स का ताल्लुक है वह ज्यादातर अच्छा काम करते हैं, मैं इसमें उनका साथ नहीं दे सकता और मेरा व्यू इसके बिलकुल खिलाफ है। मैं तो यह समझता हूं कि ट्रस्ट्स और चैरिटेबुल इंस्टीच्यट्स ज्यादातर इसलिए बनाये जाते हैं कि टैक्सेज़ को इवेड किया जाय और उनसे बचने की कोशिश की जाय। अगर मेरे पास समय होता तो मैं मिसालें देकर इस बात को साबित कर सकता था। मैं तो यह चाहता हूं कि इन पर जो पाबन्दी अभी रखी है उसको और भी ज्यादा सख्त किया जाय। इस बिल के अन्दर कोई ऐसा क्लाज नहीं है जिससे कि आप उन ट्रस्ट्स और चैरिटेबुल इंस्टीच्यूट्स का बाकायदा हिसाब किताब ले सकें और उनकी जांच पड़ताल कर सकें। इसलिए मैं चाहता हूं कि जिस जिस ट्रस्ट्स या चैरिटेबुल इंस्टीच्यूट को ऐग्ज़ेम्पट किया जाय उसके लिए यह लाजिमी हो कि वह हर साल अपनी आमदनी और खर्च का हिसाब किताब बाकायदा आडिट करवा कर पेश करे।

[श्री रामकृष्ण गुप्त]

इसके बाद आखिर में मेरी तजवीज यह है और मैं समझता हूं कि वह बहुत जरूरी है। इस ऐक्ट के क्लाज १६ के अन्दर भी यह कहा गया है कि प्रिवी पर्सेज से जो इनकम होगी उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब जहां तक मेरा अपना पर्सनल सवाल है मैं तो उन प्रिवी पर्सेज के हक में ही नहीं हूं और आजकल के जमाने में जबकि हमारा मकसद इस देश के अन्दर एक सोशलिस्टिक निजाम कायम करने का है तो यह प्रिवी पर्सेज का अभी तक चलते रहना कुछ ठीक नहीं जंचता है। अब अगर सरकार उन प्रिवी पर्सेज को बंद नहीं कर सकती डिस्कंटीन्यू नहीं कर सकती तो कमसे कम इतना तो किया जाय कि वह रकम इनकमटैक्स से ऐग्जेम्प्ट न की जाय।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : मुझ से पहले बोलने वाले कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि यह एक बड़ा महत्वपूर्ण विधेयक है। कई माननीय सदस्यों ने यह भी कहा है कि यदि इसे कम से कम पन्द्रह दिन पहले सदस्यों में परिचालित कर दिया जाता, तो उनको इस पर विचार करने का समय मिल जाता। अब आशा है कि प्रवर समिति इसकी पूरी-पूरी छानबीन करेगी। उसके सामने विधि आयोग और त्यागी समिति और आयकर जांच आयोग के कई प्रतिवेदन भी रहेंगे, जिससे उनको इस पर विचार करने में आसानी होगी।

अच्छा तो यही होगा कि हम विधि आयोग की सिफारिशों को ज्यों का त्यों मान लें। उन में कोई भी परिवर्तन करना उचित नहीं होगा।

विधि आयोग की एक सिफारिश यह थी कि अपीलीय न्यायाधिकरणों को न्यायिक निकायों का रूप देना चाहिये, कार्यपालक न्यायाधिकरणों का नहीं। प्रवर समिति को इस पर विचार करना चाहिये।

कर अपवंचना के सम्बन्ध में, डा० एन० सी० गुप्त ने, विधि आयोग के प्रतिवेदन के साथ संलग्न एक टिप्पणी में, कहा है कि ईमानदार कर-दाताओं की कीमत पर कर-अपवंचकों के साथ उदारता बरतना ग़लत होगा। कर-अपवंचकों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये कोई सीमा नहीं रखनी चाहिये। इसलिये कर अपवंचकों को साधारण नागरिकों जैसी सुविधायें नहीं दी जानी चाहियें।

खण्ड २१४ और २४३ में वापसी की राशि पर ब्याज की अदायगी की व्यवस्था की गई है। उस पर ब्याज देना अनुचित है। ब्रिटिश काल में अतिरिक्त लाभ कर की वसूली हुई पूरी राशि वापस कर दी गई थी, पर उस पर कोई भी ब्याज नहीं दिया गया था।

१९५०–५१ में आय कर की वसूली पर सरकार ने १,८८,४७,८३५ रुपये और १९५९–६० में उसकी तीन गुनी राशि ४,५४,९५,२१४ रुपये खर्च किये थे। जब कर वसूली की लागत बढ़ती जा रही है, तब ब्याज अदा कर के राजकोष का भार क्यों बढ़ाया जाये?

खण्ड २२० में व्यवस्था है कि यदि निर्धार्य नियत तिथि तक कर की अदायगी न करे, तो उसे उस राशि पर ४ प्रतिशत ब्याज देना पड़ेगा। इसे ६ प्रतिशत किया जाना चाहिये, क्योंकि उसे उस राशि पर ६ प्रतिशत ब्याज मिल सकता है, इसलिये वह जान बूझ कर वर्षों की देर कर सकता है। त्यागी समिति ने भी यही सिफारिश की थी।

खण्ड २७५ में व्यवस्था की गई है कि कर-अपवंचना के लिये उकसाने वाले या उसमें सहयोग देने वालों को भी दण्ड दिया जायेगा। यह बड़ी अच्छी व्यवस्था है। इस सम्बन्ध में प्रवर समिति

---

†मूल अंग्रेजी में

को आयकर विभाग के एक भूतपूर्व अधिकारी श्री नन्दी की एक पुस्तिका देखनी चाहिये। उसमें बताया गया है कि इसके लिये कैसी-कैसी चालबाजियां की जाती हैं। इस सम्बन्ध में विधि आयोग की शिकायत थी कि उनके निर्देश-पद सीमित थे, इस मायने में कि आयोग को कर-ढांचे में परिवर्तन नहीं करना चाहिये। इसलिये वह वर्तमान आयकर अधिनियम की व्यवस्थाओं को आधार बना कर ही आगे बढ़ सकता था। आयोग ने सिफारिश की थी कि अन्य उन्नत देशों की भांति, भारत को भी देश के कर-ढांचे का सरलीकरण करना चाहिये। उसमें इतनी पेजीदगियां नहीं रहने देनी चाहिये। प्रक्रिया को आसान बनाये बगैर हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकेंगे। आय कर विधि को केवल संहिताबद्ध कर देने से कोई लाभ नहीं होगा। पिछले दस साल में कर-वसूली की पद्धति में कोई भी बड़ा या बुनियादी परिवर्तन नहीं हुआ है। श्री वें० प० नायर ने इसके आंकड़े देकर यह सिद्ध कर दिया है।

कर-वसूली की बकाया राशि के सम्बन्ध में, श्री नन्दी की कर-निर्धारण की ग़लत नीति से दोहरा नुकसान हो रहा है। कर-निर्धारण करने से राजस्व की हानि होती ही है, बहुत ज्यादा निर्धारण कर देने से भी वसूल न होने योग्य बकाया राशि बढ़ती जा रही है। माननीय मंत्री ने अभी बताया था कि कर-वसूली की बकाया राशि, उसकी कुल मांग तो २४० करोड़ रुपये है, पर प्रभावी बकाया राशि, अर्थात् वसूल होने योग्य राशि, केवल १४० करोड़ रुपये है। श्री नन्दी ने बताया है कि कर-वसूली की इसी अकार्यक्षमता, और कर-ढांचे की असंगतियों के कारण कर-अपवंचना बढ़ती जा रही है।

इसका नतीजा यह है कि बकाया राशि तो बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रभावी बकाया राशि की मात्रा घटती जा रही है।

अमरीका में कर-अपवंचना और चोर-बाजारी रोकने के लिये सरकार ने बैंकों को हिदायत दी है कि वे अपने सभी खातेदारों द्वारा जमा की जाने वाली राशि का पूरा ब्यौरा रखें और यह भी निजी तौर पर दर्ज करते जायें कि उनकी सामान्य व्यावसायिक आवश्यकताओं से वह कितना मेल खाती है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

आयोग ने अपने प्रतिवेदन में इसका उल्लेख किया है।

श्री नन्दी की पुस्तक में कर-अपवंचना के लिये की जाने वाली चालबाजियों पर प्रकाश डाला गया है।

कुछ अपवंचक तो बैंक के अपने खाते से बाहर नकद राशि अलग रखते हैं और उससे चोर-बाजारी के सौदे करते हैं।

दूसरा तरीका यह है कि झूठी अदायगी के लिये चेक काटे जाते हैं और इस तरह खातों में दिखाया जाता है कि रुपया कहीं व्यय किया गया है, जब कि वास्तव में वह व्यय नहीं किया जाता।

मैं मानता हूं कि पुस्तिका में शायद कुछ बातें नमक-मिर्च लगा कर पेश की गई हों। लेकिन हमें उन पर गम्भीरता से विचार तो करना चाहिये।

यदि इस विधेयक के अध्ययन के लिये पर्याप्त समय मिलता तो मैं इन त्रुटियों को दूर करने के सुझाव आपके सामने रखता।

[श्री तंगामणि]

सब से बड़ी जरूरत इस बात की है कि कर-प्रशासन की समूची व्यवस्था को एक नये आधार पर गठित किया जाये। अधिकारियों को लापरवाही का रुख अख्तियार नहीं करना चाहिये। ऐसा सुधार किया जाना चाहिये कि ऐसा रुख़ रह ही न सके।

साथ ही, कर-प्रशासन में विलम्ब की गुंजाइश भी नहीं रहने देनी चाहिये।

अधिकारियों को प्रेरणा देने के लिये एक सुधार यह करना चाहिये कि जो भी अधिकारी कर-अपवंचना के बड़े-बड़े मामलों का पता लगायें, उनको पुरस्कृत किया जाये।

कर-विधि में बड़ी त्रुटि यह है कि कर-अपवंचना के लिये पर्याप्त, समुचित दण्ड की व्यवस्था उसमें नहीं की गई है। इतना ही नहीं, जो थोड़ी-बहुत व्यवस्था है, उसका भी उचित ढंग से उपयोग नहीं किया जा रहा है।

आवश्यकता इस बात की है कि कर अपवंचकों और उनके साथ सांठ-गांठ करने वाले दोनों को ही ऐसा दण्ड दिया जाये जिससे लोगों में उसके प्रति भय पैदा हो जाये।

माननीय मंत्री ने कहा है कि १९३९ से इस अधिनियम में ४०–४३ संशोधन किये जा चुके हैं। लेकिन इससे अधिक लाभ नहीं होगा। कर-ढांचे में बुनियादी परिवर्तन करना अत्यावश्यक है।

श्री सेन गुप्त ने एक सुझाव यह रखा है कि विभिन्न करों का निर्धारण एक ही विभाग, एक ही अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिये। जब किसी व्यक्ति के लेखे देखे जाते हैं, तो विभाग को पूरी तौर से उनकी छानबीन करनी चाहिये, जिससे कि निर्धारण में असंगति न हो। तब कर-अपवंचना का पता लगाना भी ज्यादा आसान होगा।

†**श्री बालासाहेब पाटिल** (मिराज) : सभी मानते हैं कि कर-सम्बन्धी विधि बड़ी पेचीदा है। सर्वसाधारण को उसकी पेचीदगियों में उलझकर रह जाना पड़ता है। इसलिये प्रवर समिति को यह कोशिश करनी चाहिये कि विधि इतनी सरल बना दी जाये कि आम जनता भी उसकी व्यवस्थाओं को आसानी से समझ सके।

इसमें 'कृषीय आय' की जो परिभाषा की गई है, वह स्पष्ट नहीं है।

इस विधेयक में प्रार्थना-पत्रों, प्रमाण पत्रों और प्रपत्रों के जो रूप दिये गये हैं, उनका सरलीकरण किया जाना चाहिये, जिससे कि उनको भरने वाले बिना किसी की सहायता के स्वयं उनका अर्थ समझ सकें।

अधिनियम का प्रशासन करने वाले अधिकारियों को विधि की भावना पर जोर देना चाहिये, शब्दों पर नहीं। प्राविधिकता पर, औपचारिकता पर इतना जोर न दिया जाये कि भावना का गला घुट जाये।

श्री रामकृष्ण गुप्त ने कराधान के सिद्धान्त का प्रश्न उठाया है। उनका कहना है कि भूतपूर्व शासकों की निजी थैलियों पर कोई भी कर नहीं लगाया गया है। निजी थैलियों के रूप में सरकार लगभग ५ करोड़ रुपये अदा करती है। पहले तो निजी थैलियां देना ही सिद्धान्त की दृष्टि से ग़लत था; और अगर अब उसे जारी ही रखा जाना है तो कम से कम उस पर कर तो लगाना चाहिये। उसको कर से विमुक्त करना अनुचित है, क्योंकि वह आय कमाई की तो नहीं होती।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरी चीज़ यह है कि न्यासों और पूर्त संस्थाओं की आय पर भी कर लगना चाहिये, यदि वे व्यवसाय के जरिये आय प्राप्त करते हों। इसलिये कि इन न्यासों और पूर्त संस्थाओं की आय से सर्वसाधारण का नहीं, बल्कि एक किसी विशेष समुदाय का ही लाभ होता है।

कर-अपवंचना और आय-कर की बकाया राशि की निरन्तर वृद्धि के बारे में कई माननीय सदस्य बोल चुके हैं। बड़े-बड़े व्यवसायी वकीलों की सहायता से कर-अपवंचना करने के तरीके निकालते हैं। वे अपनी सही आय का पता ही नहीं लगने देते। दूसरी ओर आय कर विभाग भी ठीक से उनकी आय का निर्धारण नहीं करता।

इस सम्बन्ध में, प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति ने एक सुझाव दिया है कि शिक्षा और प्रचार के जरिये जनता की मनोवृत्ति इस प्रकार की बनाई जानी चाहिये कि कर-अपवंचना को वह बुरा समझने लगे। लेकिन इस उपाय को मैं कारगर नहीं समझता। जो लोग कर-अपवंचना करते हैं, उनको शिक्षा और प्रचार से नहीं सुधारा जा सकता। आवश्यकता इस बात की है कि कुछ सख्त कदम उठाये जायें।

सरकार को कोशिश करनी चाहिये कि कर-अपवंचकों के विरुद्ध मुकदमों में उनका अपराध पूरी तौर पर साबित किया जाये।

विधि आयोग ने इस सम्बन्ध में एक बड़ी अच्छी बात कही है। केवल यही पर्याप्त नहीं है कि न्याय किया जाये, बल्कि जनता को भी लगे कि न्याय किया गया है।

इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि आय कर अधिकारियों और निर्धार्यों के बीच न्याय करने के लिये एक पृथक् व्यवस्था की जाये। अपीलीय न्यायाधिकरण की व्यवस्था अनावश्यक है और हटा दी जानी चाहिये।

अपीलीय न्यायाधिकरण के स्थान पर किसी अन्य प्रकार के न्यायालय की व्यवस्था की जानी चाहिये, जो निर्धार्यों की शिकायतों को सुने और उन पर विचार करे।

विधि आयोग का सुझाव है कि न्यायाधिकरण की शक्तियां उच्च न्यायालयों को प्रदान की जानी चाहिये। प्रवर समिति को इस सुझाव पर विचार करना चाहिये।

इसके फलस्वरूप, उच्च न्यायालयों का खर्च बढ़ जायेगा। उसकी पूर्ति कैसे की जायेगी? विधि आयोग ने बताया है कि न्यायाधिकरण में विचाराधीन मुकदमों की फीस से ही वह अतिरिक्त व्यय पूरा किया जा सकता है।

माननीय वित्त मंत्री ने अपीलीय न्यायाधिकरणों को बनाये रखने का कोई समुचित कारण नहीं बताया है।

यदि कोई व्यक्ति नियत तिथि तक कर अदा नहीं करता, तो सरकार को उस पर जुर्माना करने की बजाय, कर की राशि पर कुछ ब्याज लेने की व्यवस्था करनी चाहिये। जुर्माना कभी-कभी नाम मात्र का ही लिया जाता है। इस सुझाव को विधेयक में सम्मिलित किया जाना चाहिये।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल इतना बड़ा है कि इसको अच्छे तरीके से तैयार करने के लिए सरकार की तरफ से समय नहीं मिला है अतएव सब बातों के ऊपर पूरी तौर से पढ़ करके कहना जरा मुश्किल है तो भी जिस प्रकार का यह बिल लाया गया है उससे मालूम होता है और यह विश्वास होता है कि जरूर इसमें लोगों को सुभीता होगा और वह

[श्री झुनझुनवाला]

जान सकेंगे कि इनकमटैक्स ला किस प्रकार का है और किस तरीके से हमको टैक्स पे करना चाहिए । जो पहले ला था उसे लोग पूरे तरीके से समझ नहीं पाते थे और अभी भी यह पूर्ण रूप से ठीक नहीं है । ला कमिशन ने यह कहा है कि इनकम टैक्स का ला बड़े आसान तरीके से कोडिफाई नहीं हो सकता है और जब तक टैक्स स्ट्रक्चर को भी हम दृष्टिकोण में नहीं रक्खें और उसके ऊपर भी हम राय न दे सकें, केवल ला को कोडिफाई करना जरा मुश्किल है । लेकिन यह चीज हम लोगों को रेफर नहीं की गई है इसलिए जो हमारे सामने कानून है उसमें बिना टैक्स स्ट्रक्चर को सामने रख कर जो कुछ संशोधन हो सकता है जितना यह आसान बन सकता है, सिम्पल बन सकता है, बनाने के लिए हम लोग अपना सुझाव देंगे और इसी दृष्टि से मैंने कुछ सुझाव दिये हैं । उसके बाद श्री महावीर त्यागी की डाइरैक्ट टैक्सेशन इनक्वायरी कमेटी के ऊपर जो रिपोर्ट हुई उसको भी सरकार ने ध्यान में रख कर यह बिल बनाया है ।

अब मैं टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में बतलाना चाहता हूं कि जहां तक २५ हजार रुपये की इनकम का सवाल है, आमदनी का सवाल है उनको टैक्स इतना अधिक नहीं देना पड़ता है, इससे मेरा यह मतलब नहीं है कि आप उस टैक्स को बढ़ा दें, मगर मेरा कहने का मतलब यह है कि उनको आमदनी इतनी है और उस पर टैक्स इतना है कि यदि वह ईमानदारी से टैक्स देवे तो उनको बेईमानी नहीं करनी चाहिए । यदि वह टैक्स देना चाहें तो उनको अपना खर्चा चलाने के लिए बेईमानी करने की आवश्यकता नहीं है । उसके ऊपर जो १ लाख तक का टैक्स स्ट्रक्कर (का ढांचा) है वह मुश्किल है वहां पर जितनी लोगों की आमदनी है और जिस प्रकार का खर्चा उन लोगों का है और जिस प्रकार के खर्चे के वह आदी हो गये हैं तो वहां पर कुछ उनकी टैक्स ऐवायडस की वृत्ति हो जाती है । इसलिए सबसे पहले जो आवश्यक चीज करने की है वह यह है कि सरकार को टैक्स स्ट्रक्चर इस दृष्टि से बनाना चाहिए कि जो आदमी टैक्स देता है उसका खर्चा जितनी उसकी आमदनी है उससे वह ठीक चल सकता है या नहीं । यदि चल सकता है तो ठीक है और यदि नहीं चल सकता है तो उसके टैक्स स्ट्रक्चर में परिवर्त्तन करना चाहिए ।

इसके अलावा लोगों के टैक्सेज के बारे में जो उनका दृष्टिकोण अब तक रहा है उसमें भी परिवर्त्तन लाने की आवश्यकता है । जब तक लोगों के दृष्टिकोण में यह परिवर्त्तन नहीं होगा कि हमें सरकार को तमाम वाजिब टैक्स देने हैं और यह टैक्स हमारे लाभ के लिए हैं और उनसे उनको ही आगे चल अर लाभ मिलेगा, जब तक लोगों की यह वृत्ति नहीं होगी तब तक हम कितने ही कानून चाहे क्यों न बनाये, यह जो हमारे देशवासियों के अन्दर टैक्सों की चोरी करने और बेईमानी करने की वृत्ति हो जाती है, वह दूर नहीं होगी । अब कोई बहुत मुश्किल में पड़ करके टैक्स बचाने की चेष्टा करता है तो वह तो इस बिल में आयेगा नहीं परन्तु वित्त मंत्री महोदय को मेरा सुझाव यह है कि सरकार को यह देखना चाहिए कि जिनका खर्चा है और जिनकी आमदनी है, उस आमदनी से उसका खर्चा चल सकता है या नहीं ताकि वह बिना मुश्किल के जो टैक्स उस पर वाजिब आये उसको वह दे सके । अब इनकमटैक्स जैसा कि मैंने आपको बतलाया २५ हजार रुपये तक की आमदनी पर कोई ४–५ हजार रुपया टैक्स का देना पड़ता है । हमारा टैक्स स्ट्रक्चर ऐसा है कि उस के बाद, अर्थात २५ हज़ार से एक लाख तक के लोगों को बड़ी मुश्किल होती है । असेसी लोगों से मेरी बातें होती हैं और वे बताते हैं कि हमारा इतना खर्च है और हम लोगों को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है । २५ हजार तक वालों को मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपेक्षतया उन का खर्च कम है । कुछ लोग बहुत बड़े हैं और मेरी समझ में नहीं आता कि उन को किसी हालत में मश्किल होनी चाहिए । एक बार यहां से आलोचना हुई कि ऊपर वालों में, जिन की

बहुत इनकम है, टैक्स का एवायड्स और इवेज़न बहुत होता है। हमारे वित्त मंत्री ने एक बार अपनी स्पीच में कहा कि ....

उपाध्यक्ष महोदय: : क्या माननीय सदस्य आज ही तीन चार मिनट में खत्म कर देंगे या अगले दिन-मंडे-को जारी रखना चाहेंगे ?

श्री झुनझुनवाला : मैं अगले दिन जारी रखना चाहूंगा।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

चौरासीवां प्रतिवेदन

†**श्री बाला साहेब** पाटिल : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकल्पों सम्बन्धी समिति के चौरासीव प्रतिवेदन से, जो सभा में २६ अप्रैल, १९६१ को उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

†**उपाध्यक्ष महोदय**: प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकल्पों सम्बन्धी समिति के चौरासीवें प्रतिवेदन से, जो सभा में २६ अप्रैल, १९६१ को उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म स्वीकार करने वालों के बारे में संकल्प—जारी

†**उपाध्यक्ष महोदय**: : अब सभा श्री द० अ० कट्टी द्वारा १४ अप्रैल, १९६१ को धर्म-परिवर्तन द्वारा बौद्ध बनने वालों के सम्बन्ध में रखे गये संकल्प पर आगे चर्चा करेगी। श्रीश्री नारयणदास।

†**श्री नारायण दास** : (दरभंगा) : कल मैंने कहा था कि यह संकल्प असंवैधानिक है। इसलिये कि वह विभिन्न धर्मों में विभद करता है।

इसमें एक संशोधन किया जाना चाहिये कि धर्म-परिवर्तन द्वारा बौद्ध धर्म या किसी अन्य धर्म को ग्रहण करने वालों के परिमाण दिये जाने के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की जाये। वही समिति यह निश्चित करेगी कि एसे लोगों को कुछ परित्राण दिये जाने चाहिये या नहीं।

फिर संसद को उस समिति के प्रतिवेदन पर विचार करना चाहिये। उसके बाद यदि आवश्यकता पड़े तो राष्ट्रपति द्वारा इसके सम्बन्ध में जारी किये गये आदेश में उसी प्रकार का संशोधन कर दिया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री श्रीनारायण दास]

उचित तो यही है कि संविधान ने अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों को जो आर्थिक तथा सामाजिक परित्राण दिय हैं, व बने रहे । धर्म-परिवर्तन करने वाले अनुसूचित जातियों के लोगों को उनसे वंचित नहीं किया जाना चाहिये ।

मेरा आशय यह है कि धर्म-परिवर्तन करके बौद्ध बनने वालों को जो परित्राण दिये जाये, वे सिख बनने वालों को भी मिलने चाहिये ।

इसी दृष्टि से मैंने अपना संशोधन रखा है कि इस प्रश्न पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की जाय । आशा है कि माननीय प्रस्तावक को यह बात अमान्य नहीं होगी ।

†**श्री भं० कृ० गायकवाड़** (नासिक) : मैं श्री द० अ० कट्टी द्वारा प्रस्तावित इस संकल्प का समर्थन करता हूं ।

सभा के कुछ माननीय सदस्यों को यह भ्रान्ति है कि हम शायद यह मांग कर रहे हैं के धर्म-परिवर्तन करके बौद्ध बनने वालों को अनुसूचित जातियों में सम्मिलित किया जाय । यह हमारी मांग नहीं है । हमारी मांग यह है कि अनुसूचित जातियों के जिन लोगों ने अपना धर्म बदलकर बौद्ध धर्म अपना लिया है उनको भी अनुसूचित जातियों के लोगों को दी जाने वाली रियायत दी जाये ।

हमारी शिकायत यह है कि उनको बौद्ध बनने के बाद भी, सवर्ण हिन्दू अछूत ही मानते हैं । उनको अछूत नहीं माना जाना चाहिये ।

यह तर्क भी गलत है कि यदि वे बौद्ध बनकर अछूत नहीं रह गये हैं, तो उनको पहले जैसी रियायत नहीं दी जानीं चाहिये । उनको रियायत इसलिये दी जानी चाहिये कि वे अभी भी पहले की ही भांति आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं ।

यद्यपि संविधान के अनुसार अस्पृश्यता का निवारण हो चुका है तथापि यदि आप देश की वास्तविक दशा देखें तो आपको ज्ञात होगा कि अस्पृश्यता आज भी विद्यमान है । अनुसूचित जातियों के लोगों को आज भी अस्पृश्य समझा जाता है । इसी कारण हम अपन को अनुसूचित जाति के नहीं कहना चाहते हैं । हम सदैव इस अस्पृश्यता के विरुद्ध सघर्ष करते रहे हैं । हमने इसके लिये पर्याप्त कष्ट सहन किये हैं ।

जहां तक अनुसूचित जातियों के ऐसे व्यक्तियों का प्रश्न है जिन्होंने अन्य धर्म यथा ईसाई या मुसलमान धर्म ग्रहण कर लिया है, मेरा मत है कि एसे व्यक्तियों को भी ये सुविधायें दी जानी चाहिये ।

कांग्रेस यह कहती है कि हम जातिहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं तथापि मेरे विचार से हिन्दू धर्म का अर्थ ही जाति पर आधारित समाज है । अतः जब तक हिन्दू इस देश के शासक हैं वह दावा नहीं कर सकते हैं कि वे जातिहीन समाज की स्थापना कर सकते हैं ।

यदि इस संबंध में कोई संवैधानिक कठिनाई है तो संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है । हमसे यह पूछा गया है कि हमने बौद्ध मत क्यों ग्रहण किया इसका कारण यह है कि हमें विश्वास है कि इससे हमारे सामाजिक और धार्मिक दशा में सुधार होगा । वस्तुतः तब से हमारे बन्धुओं की दशा में बहुत सुधार हुआ है और उन्होंने कई बुरी आदत छोड़ दी हैं । हम मानव बनने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री प्र० सिं० दौलता : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जो कुछ मतलब इस प्रस्ताव का है, मैं उसकी तो ताईद करता हूं, लेकिन चूंकि प्रस्ताव के बनाने वाले मेम्बर साहब को प्रस्ताव का मतलब समझाना नहीं आया इसलिये मैं उसकी इबारत की मुखालिफत करता हूं । इस प्रस्ताव का मतलब यह है कि कोई नई चीज बुद्धिस्ट नहीं मांग रहे हैं, जो कि गलती से इस प्रस्ताव में रक्खी गई है । इस प्रस्ताव का मतलब यह है कि जो कंसेशन शेड्यूल्ड कास्ट्स को बहैसियत शेड्यूल्ड कास्ट्स के मिले हुए हैं वह महज मजहब के तबादले से खत्म न हो जायें । यह देश बुद्धिस्ट्स के लिये नहीं है, सब के लिये है । मेरी अर्ज यह है कि मैं इस प्रस्ताव की ताईद करता हूं, इसलिये कि आजकल फिर्कापरस्ती से लड़ने की बड़ी बातें हो रही हैं । मैं समझता हूं कि फिर्कापरस्ती से लड़ाई इस रेजोल्यूशन को ऐक्सेप्ट करने के साथ शुरू होनी चाहिये । यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि इतनी बड़ी आबादी में से एक आनरेबल मेम्बर कहें कि हम शेड्यूल्ड कास्ट्स के मेम्बर नहीं हैं, मेम्बर बनना भी नहीं चाहते, हमें उस नाम से पुकारा भी न जाय, लेकिन सब कंसेशन्स दिये जायें । कंसेशन दिये जाने के लिये पहली चीज यह है कि कि किसी ट्राइब या किसी शेड्यूल्ड कास्ट्स की लिस्ट में आदमी को आना चाहिये । अगर वह लिस्ट में नहीं आता तो उसका कंनसेशन मिलना जरूरी नहीं है चाहे वह हिन्दू हो या बौद्ध ।

दूसरी अर्ज यह है कि जहां तक इस रिजोल्यूशन की स्पिरिट का ताल्लुक है मैं उसको सपोर्ट करता हूं लेकिन यह कहना गलत है कि यह लिस्ट कास्ट की बिना पर नहीं बनायी गयी है । कास्ट को हमारे यहां एकनालिज किया गया है । मैं उन लोगों में से नहीं हूं । जो अपने को प्रोग्रेसिव कहने के लिए यह कहते हैं कि हमारे यहां कास्ट का कोई रोल नहीं है । कास्ट तो मौजूद है । कास्ट के अन्दर सदियों से कुछ प्रोफेशन चले आ ते हैं और जैसा कि हमारे महबूब लीडर ने अपनी किताब—डिसकवरी आफ इण्डिया—में लिखा है,आर्यों के वक्त से गोल्डस्मिथ की कास्ट चली आ रही है और अब भी टाउन्स में इनकी इस कारोबार की मानोपली है । इसी तरह से और भी बहुत सारी चीजें हैं । बहरहाल कांस्टीट्यूशन बनाने वालों ने यह एकनालिज किया कि कुछ लोग बैकवर्ड हैं, कुछ मजमूए बैकवर्ड हैं और उनको कनसेशन इसलिये दिया गया कि वे बैकवर्ड हैं । इसमें मजहब की कोई बात नहीं है । अब अगर वह अपना मजहब तबदील करते हैं तो करें इसके लिये भी कांस्टीट्यूशन उनको राइट आफ फेथ देता है । तो यह नहीं हो सकता है कि वे अपने दूसरे राइट को एक्सरसाइज करने की वजह से पहले राइट को खो दें । हो सकता है कि कांस्टीट्यूशन के लूज ड्राफ्टिंग की वजह से ऐसा मालूम होता हो । तो मैं इस रिजोल्यूशन को एक्सेप्ट करता हूं कि जो भी शिड्यूल्ड कास्ट या शिड्यूल्ड ट्राइब का है वह चाहे कोई मजहब तबदील कर ले वह तमाम कनसेशन्स जो कि उसको बतौर हिन्दू के हासिल थे उसे मिलते रहेंगे ।

अब मैं थोड़ा सा अंग्रेजी में भी कह देना चाहता हूं क्योंकि मेरे दोस्त मुवर हिंदी नहीं जानते ।

†**पंडित कृ०चं० शर्मा**: (हापुड़) : जाति प्रथा नष्ट प्रायः संस्कृति का एक अंग है अतः इसे नष्ट हो जाना चाहिये । मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि कोई भी कांग्रेसी जाति भेद में विश्वास नहीं करता है तथापि हम जिस जाति प्रथा को नष्ट करना चाहते हैं माननीय सदस्य उसे ही पुनः आरम्भ करना चाहते हैं ।

वस्तुतः अनुसूचित जातियों को संविधान के अधीन जो विशेष अधिकार दिये गये हैं वह संविधान का कलंक है और उसे जितने शीघ्र हटा दिया जाय उतना ही अच्छा है । मेरे विचार से इससे हमारे राजनैतिक जीवन पर दूषित प्रभाव पड़ा है । इतना ही नहीं इससे हमारे प्रशासन में भी अनैतिकता आयी है । अतः इन विशेषाधिकारों को शीघ्र हटा देना चाहिये ।

श्री नारयणन् कुट्टि मेनन (मुकन्दपुरम्) : यदि हम संविधान में दिये गये इन विशेष परित्राणों को अध्ययन करें तो यह ज्ञात होगा कि यह किसी धर्म विशेष को नहीं दिये गये । उस समय सभा

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नारायण् कुट्टि मेनन]

में हुई चर्चासे यह स्पष्ट है कि राजनैतिक, शिक्षा तथा रोजगार के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों को जो भी विशेषाधिकार दिये गये उसका कारण उनका सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक रूप से पिछड़ा होना था। इस सिद्धान्त पर कि एक स्वतन्त्र राष्ट्र में पिछड़े वर्ग को कुछ विशेष अधिकार मिलने चाहियें जिससे कि वे आर्थिक तथा शिक्षा के क्षेत्र में अन्य लोगों की प्रतिस्पर्द्धा कर सकें। अतः यह कहना गलत है कि उनको ये विशेषाधिकार केवल इस कारण दिये गये कि वे हिन्दू हैं गलत है। अतः धर्म परिवर्तन के कारण उनके अधिकार छीन लेना भी उचित नहीं है।

मेरा सुझाव है कि उन सभी व्यक्तियों को जो पिछड़े वर्गों के हों या अनुसूचित जातियों के हैं। उन्हें य विशेष सुविधायें अवश्य दी जानी चाहियें। भले ही वे व्यक्ति किसी में धर्म के मानने वाले क्यों न हों।

इसी आधार पर उन अनुसूचित लोगों को जिन्होंने केरल में ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया इन रियायतों से वंचित करना अनुचित है। उन्हें वस्तुतः वे विशेषाधिकार मिलने चाहियें जो कि अनुसूचित जातियों को प्राप्त हैं।

†**श्री नौशीर भरूचा** : (पूर्व खानदेश) : इस संकल्प के सम्बन्ध में आपका ध्यान उच्चतम न्यायालय के एक मुकद्दमे के निर्णय की ओर दिलाना चाहता हूं जो कि आल इण्डिया रिपोर्ट १९५४ में प्रकाशित हुआ है। इसके अनुसार महर समुदाय के एक व्यक्ति ने महानुभाव पंथ स्वीकार कर लिया और रक्षित स्थान के लिये खड़ा हो गया तथापि जांच अधिकारी ने उसके नाम-निर्देशन पत्र अस्वीकार कर दिया। इस पर उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि जाति या पंथ बदलने से उसकी जाति सम्मत प्रतिष्ठा में कोई परिवर्तन नहीं होता है।

संविधान के निर्माताओं ने जब ये विशेष अधिकार दिये थे तो उनका यह तात्पर्य कदापि नहीं था कि ये अधिकार केवल हिन्दू धर्मावलम्बियों को ही दिये जायें।

श्री कुट्टी का यह कथन है कि हमें ये अधिकार उस समय प्राप्त थे जब हम हिन्दू थे तथापि अपनी अस्पृश्यता के कलंक को दूर करने के लिये हमने हिन्दू धर्म का परित्याग कर दिया तथापि इसका यह अर्थ नहीं होना चाहिये कि हमसे ये विशेषाधिकार भी छीन लिये जायें।

मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वे इस संकल्प पर व्यापक दृष्टि से विचार करें। वस्तुतः यदि हम अनुसूचित जातियों की आर्थिक अवस्था में सुधार करना चाहते हैं और उन्हें अस्पृश्यता के कलंक से मुक्त करना चाहते हैं तो केवल इस कारण कि उन्होंने हिन्दू धर्म का परित्याग कर दिया है हमें उन्हें उन विशेषाधिकारों से वंचित नहीं कर देना चाहिये।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इस संकल्प पर उदारता-पूर्वक विचार करें।

†**श्री डी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : इस संकल्प को स्वीकार करने के मार्ग में तीन कठिनाइयों हैं। हमने अस्पृश्यता को स्वीकार किया है और उसे एक दण्डनीय अपराध घोषित कर दिया है। तथापि इस्लाम, बौद्ध तथा ईसाई धर्म में अस्पृश्यता उस रूप में नहीं मानी जाती है जिस रूप में हिन्दू धर्म में है। अतः धर्म परिवर्तन होने पर हिन्दू धर्म की बुराई इन धर्मों में नहीं घुस सकती है।

वस्तुतः आर्थिक दृष्टि से हमने देश की जनता के तीन वर्ग किये हैं। वे इस प्रकार हैं अस्पृश्य, पिछड़े वर्ग के लोग तथा अन्य जातियों के लोग। देश की जनता की न्यायोचित मांग इस प्रकार का

---

†मल अंग्रेजी में

वर्गीकरण करके पूरी हो जाती है क्योंकि हमने पिछड़े वर्गों को भी कुछ रियायतें दी हैं जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया है वे उन रियायतों का लाभ उठा सकते हैं जो कि पिछड़े वर्गों को दी गयी हैं ।

श्री कुट्टी एक ओर यह कहते हैं कि अनुसूचित जातियों को राजनैतिक संरक्षण नहीं दिये जाने चाहियें और दूसरी ओर इस बात की मांग करते हैं कि उन सभी अनुसूचित जातियों के लोगों को जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया है उन्हें अन्य सभी परित्राण दिये जायं जो कि अनुसूचित जाति के लोगों को प्राप्त हैं । वस्तुतः यह संकल्प विरोधाभास से परिपूर्ण है अतः मेरा अनुरोध है कि जब उन्होंने चुनौती के तौर पर हिन्दू धर्म का परित्याग कर दिया है तब उन्हें उन विशेषाधिकारों की मांग नहीं करनी चाहिये जो कि अनुसूचित जातियों को प्राप्त हैं ।

श्री गणपति राम (जौनपुर-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं हरिजनों के किसी अन्य धर्म में धर्म परिवर्तन में विश्वास नहीं रखता हूं । लेकिन फिर भी यह जो प्रस्ताव उपस्थित किया गया है और जिसमें यह चाहा गया है कि जिन हरिजनों ने बौद्ध धर्म में धर्म परिवर्तन कर लिया है, उनको भी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक इत्यादि जितनी भी सुविधायें हरिजनों को मिली हुई हैं मिलनी चाहिये, इसका मैं समर्थन करता हूं । इसका कारण यह है कि उनकी हालत आज भी ज्यों की त्यों है । हमने ये जो सुविधायें हरिजनों को दी हैं, वे इस आधार पर दी हैं, कि वे पिछड़े हुए हैं, आर्थिक दृष्टि से वे कमजोर हैं, और उनको आगे लाने की आवश्यकता है । इसी चीज़ को आधार मान करके संविधान में उनको शिक्षा, नौकरियों आदि के क्षेत्रों में सुविधायें प्रदान की गई हैं । इस आधार पर कि बौद्ध धर्म में आ जाने के बाद भी वे आज अछूत समझे जाते हैं, हरिजन समझे जाते हैं, अस्पृश्य समझे जाते हैं, उनको ये सुविधायें मिलनी चाहियें, बड़ी मुनासिब सी चीज़ है और मैं इसका समर्थन करता हूं ।

हमारे बहुत से साथी आज यह दलील देते हैं कि संविधान के अन्दर अस्पृश्यता को कोई स्थान नहीं दिया गया है और किसी को भी अस्पृश्य नहीं माना गया है । मैं इस चीज़ को मानता हूं । १९४७ और १९५० तक तो वे अस्पृश्य रहे लेकिन जब से इसके बारे में कानून बना क्या उस दिन से अस्पृश्यता इस देश से खत्म हो गई, यह सोचने और समझने की बात है । हरिजनों को तथा दूसरी जातियों को ऊपर उठाने की बातें तो करना लेकिन उसको अमली रूप न देना, एक गलत बात है । जो स्थिति आज है, उस पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं की जानी चाहिये । आज हमारे कम्युनिस्ट भाई तथा दूसरे और साथी बड़े ज़ोर शोर से कहते हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि इस देश में जातीयता पनपे और उनकी पार्टी ने कभी भी जातीयता में विश्वास नहीं किया है । क्या मैं उन से पूछ सकता हूं कि कभी ब्राह्मण कम्युनिस्ट ने किसी हरिजन कम्युनिस्ट से शादी की है, किसी ब्राह्मण या क्षत्रिय कम्युनिस्ट ने गैर-ब्राह्मण या और. . . . .

श्री नारायणन कुट्टि मेनन : की है ।

श्री गणपति राम: अछूत लड़की से शादी करने की हिमाकत की है ? आज प्रजा सोशलिस्ट और सोशलिस्ट कहे जाने वाले भाइयों से क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या उन्होंने कभी हिम्मत की है ; ब्राह्मण कहे जाने वाले किसी व्यक्ति ने उस जाति से बाहर जा कर शादी की है, खान पान किया है---

श्री ब्रजराज सिंह : (फ़िरोज़ाबाद) : आप देखते क्यों नहीं है ?

श्री गणपति राम : आज हिन्दुस्तान में . . .

उपाध्यक्ष महोदय : अब तो ऐसा मालूम हो रहा है कि सब करते हैं ।

श्री गणपति राम : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे क्षमा कीजिये अगर मैं यह कहूं कि हिन्दुस्तान में ऐसा प्रचलन रहा है कि जो ब्राह्मण है वह क्षत्रिय का छुआ हुआ नहीं खायगा, क्षत्रिय वैश्य का छुआ हुआ नहीं खायगा, वैश्य हरिजन का छुआ हुआ नहीं खायेगा, वहां पर यह कहा जाए कि एक हरिजन से कोई उच्च जाति का शादी कर सकता है, कहां तक ठीक प्रतीत होता है । जहां पर यह प्रचलित हो कि एक ब्राह्मण किसी दूसरी औरत का छुआ हुआ तब तक नहीं खाता जब तक कि उसके साथ उसकी शादी न हो जाए, वहां पर इस तरह की उम्मीद करना कि वह एक हरिजन लड़की के साथ शादी कर सकता है, हास्यस्पद ही प्रतीत होता है । आज भी हिन्दुस्तान में एक जाति दूसरी जाति को अस्पृश्य समझती है । ऐसी हालत में मैं कैसे मान सकता हूं कि समाज से अस्पृश्यता खत्म हो गई है ।

हिन्दुस्तान में अगर कहीं हरिजनों ने धर्म परिवर्तन करके इसलाम धर्म को अपनाया तो वे मोमिन या अन्सार करार दे दिए गए और प्रदेश सरकारें और हमारी केन्द्रीय सरकार भी उनको मदद दे रही है, नौकरियों की सहूलियतें दे रही हैं । हरिजन जो कि सिख धर्म में आ कर रैदास बन गए हैं, मजहबी सिख बन गए हैं, उनको आज भी वह स्थान नहीं दिया जाता है समाज में जो दिया जाना चाहिये । वहां भी उसका गरीबी के नाम पर अस्पृश्यता के नाम पर जो सहूलियतें मिलती थीं, मिलती हैं ।

आज जैन धर्म की क्या हालत है । इसमें अस्पृश्यता को कहीं स्थान नहीं दिया गया है । अभी थोड़े दिन पहले की बात है कि दिल्ली के लाल मन्दिर में, जैन मंदिर में हरिजनों को मंदिर में प्रवेश नहीं करन दिया जाता था । थोड़े दिन पहले मैं एक पुस्तिका पढ़ रहा था बौद्ध धर्म के बारे में, तो उसमें भी लिखा हुआ था कि उस धर्म में छुआछूत को कोई स्थान प्राप्त नहीं हैं लेकिन वहां पर यह भी लिखा था कि एक हिरजन जिसका नाम सुशील महापाल था, वह धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म में चला गया । वह लंका में कई वर्ष तक रहा और वहां से पढ़ कर जब लौट कर आया तो उसको बौद्ध इंस्टीट्यूट में प्रोफैसरशिप की नौकरी दी गई । लेकिन जब बौद्ध समाज को मालूम हुआ कि वह हरिजन से बुद्ध बना है तो उसके साथ भी वही व्यवहार किया जाने लग गया जो हरिजनों के साथ होता है । मैं जैसे कह चुका हूं कि धर्म परिवर्तन में मैं विश्वास नहीं करता हूं । लेकिन जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं उसके बारे में आपको अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना होगा । छुआछूत आज भी हमारे समाज में एक कलंक के रूप में विद्यमान है । आज भी हमारे समाज में इंसान का महत्व नहीं है, धर्म का महत्व है । चाहे आज हमारी लोकप्रिय सरकार अपने ढंग से यह प्रयत्न कर रही है कि देश से छुआछूत मिट जाए लेकिन क्या कोई मान सकता है कि वह मिट गई है । प्रयत्न करने के बावजूद भी क्या जो सहूलियतें हरिजनों इत्यादि को मिलनी थीं, मिल गई हैं । आज भी हरिजनों की हालत अच्छी नहीं हुई है, आज भी वे पिछड़ हुए हैं । आज भी जब उनको आर्थिक, शैक्षणिक और आर्थिक सुविधायें मिली हुई हैं और उनको नौकरियों में प्राथमिकता दी जाती है और वह केवल इसी आधार पर दी जाती हैं कि वे पिछड़ हुए हैं, तो इसी नि। पर मैं यह अपील करता हूं कि हमारे साथी ने जो यह प्रस्ताव रखा है कि चूंकि वे लोग जिन्होंने बुद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया है, पिछड़े हुए हैं इन सुविधाओं से वंचित न किए जायें, इसको मान लिया जाए । जिन्होंन धर्म परिवर्तन कर लिचा है उनकी सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति वैसी है जैसे पहल थी और आज भी उनको जो मानवीय अधिकार समाज में मिलने चाहियें नहीं मिले हुए हैं । इस नाते मैं चाहता हूं कि ये जो सुविधायें हरिजनों को प्राप्त हैं, उनको भी मिलनी चाहियें ।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

पंडित द्वा० ना० तिवारी (केसरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बहस चल रही है उसको मैंने बड़े गौर से सुना है। जो इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं, वे एक बात भूल जाते हैं। बैक्वर्डनैस के लिए संविधान में एक कंसैशन मिला हुआ है। जितने भी ब्रेक्वर्ड क्लासिस के लोग हैं, उनको कुछ कंसेशन मिले हुए हैं और दूसरे कंसैशन का जहां तक सम्बन्ध हैं, जो कि शैड्यूल्ड कास्ट्स को दिए जाते हैं, वे क्यों दिये जाते हैं, इसको बहुत से भाई भूल जाते हैं। शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों को कंसेशन इसलिए नहीं दिए जाते हैं कि वे बैक्वर्ड हैं। ब्रैक्वर्डनैस के लिए एक अलग से कंसैशन है और उनको स्कालरशिप मिलता है, पढ़ाई का खर्च मिलता है, नौकरियों में भी कंसैशन मिलता है। जो दूसरे कंसैशन हैं जो कि खास तौर पर शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों को दिए गए हैं वे इसलिए दिए गए हैं कि हिन्दू समाज में कुछ लोग ऐसे हैं, जो इतने गिरे हुए हैं, जो बैक्वर्ड क्लासिस के भी नीचे हैं, उनको एक स्पेशल मौका मिलना चाहिये कि वे अपने को ऊपर उठा सकें। वह चीज़ किसी दूसरी जाति में नहीं है। आप देखें तो पता चलेगा कि किसी दूसरे धर्म में वह चीज़ नहीं है, शैड्यूल्ड कास्ट वाली। इसलिए शैड्यूल्ड कास्टस का जो लिस्ट बनाया गया है, संविधान के अनुसार, और उनको जो सुविधायें मिली हुई हैं, वे उन्हीं को मिलनी चाहिये। यदि बैक्वर्डनैस पर कोई चीज़ मिलनी होती तो जनरली जो कंसैशन बैक्वर्ड क्लासिस को दिए जाते हैं, वही उनको भी मिलने चाहिये। लेकिन वैसा न करके खास सहूलियतें दी गई हैं इस आधार पर कि हिन्दू समाज में कुछ वर्ग ऐसे हैं जो इस कद्र गिरे हुए हैं, कि उनको ऊपर उठाने के लिए स्पेशल एफर्ट करनी होगी............

श्री प्र० ना० सिंह (चन्दौली) : जो बुद्ध हो गए हैं, उनकी हालत, आर्थिक हालत तो वैसी ही है।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : चंकि वे बुद्धिस्ट हो गए हैं, या क्रिस्चियन हो गए हैं, इस वास्ते उनके साथ वह स्टिगमा नहीं है, उनके साथ वह बात नहीं है। चूंकि उनके धर्म में कोई छूआ छूत नहीं है, इसलिये यह चीज उन पर लागू नहीं होगी।

श्री प्र० ना० सिंह : क्या बुद्धिस्ट हो जाने से उनकी बैकवर्डनैस खत्म हो जाती है ?

उपाध्यक्ष महोदय: बैठे बैठे कोई तकरीर नहीं होनी चाहिये।

पंडित द्वा० ना० तिवारी : अगर हम यह क्लेम करें कि बैकवर्ड होने की बिना पर अछूतों के स्कालरशिप दिये जायें, अछूतों को सुविधा दी जाय, तो यह, मैं समझता हूं, जायज नहीं है। असल में होना तो यह चाहिये कि यह कंसेशन उन सब को मिलना चाहिये जो अपने को ऊंचा उठाने में समर्थ नहीं हैं। किसी जाति के हों, चाहे क्षत्री हों, ब्राह्मण हों, या वैश्य हों, अगर उन की दशा इतनी गिरी हुई है कि वे अपने को स्वयं ऊंचा नहीं उठा सकते, उन को इस तरह की सुविधायें नहीं हैं, तो उन सब को मदद मिलनी चाहिये। सिद्धान्त तो यह होना चाहिये। लेकिन आज ऐसा होता नहीं है। मैं ने देखा है और इस हाउस के मेम्बर भी इस बात की तस्दीक करेंगे कि जिन की स्थिति अच्छी है, जो अपने पास से पैसा खर्च कर सकते हैं, वे लोग भी बैकवर्ड लोगों के स्कालरशिप्स ले लेते हैं, इस तरह के हरिजन भी ले लेते हैं वे स्कालरशिप्स। ऐसी हालत में क्राइटेरिया यह होना चाहिये कि जो अपने को ठीक

[पंडित द्वा० ना० तिवारी]

न बना सकें, उनकी मदद की जाय चाहे वे किसी भी जाति के हों। अगर ऐसा हो सकता तो बड़ा अच्छा होता, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे संविधान बनाने वालों ने कैसे सुविधा दी और वह क्यों दी गई, इस की तह में जाने की जरूरत है। अगर बैकवर्डनैस की ही बात रहती तो वह कंसेशन सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट्स या शीड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को नहीं मिलता, सब को ही यह सुविधा मिलती। बात तो यह है कि एक खास समाज के लिये, जो अपने को शेड्यूल्ड कास्ट्स का कहते हैं, जो अपने को अछूत कहते हैं, उन के लिये यह कंसैशन दिया गया। इस कंसेशन को उठा कर धर्म परिवर्तन के बाद दूसरी जगह ले जायें, यह कहां तक ठीक होगा? वे लोग अगर बैकवर्ड लोगों में आ जायें तो उनको जरूर वह मिलें, इसमें किसी को उज्र नहीं होगा, लेकिन इस सुविधा को वे हरिजन बन कर अपने लिये लें, यह ठीक नहीं मालूम पड़ता। इसलिये मैं चाहता हूं कि हम इस चीज को इस दृष्टि कोण से देखें तब अपनी मत दें, नहीं तो मैं समझता हूं कि हन्दू समाज में जो हरिजन हैं उनके साथ यह अन्याय होगा जो कदापि ठीक नहीं होगा।

इस बहस में जाति-पांति की बात बहुत चली। मैं मानता हूं कि हिन्दू समाज में जाति की व्यवस्था है। गीता और शास्त्रों में भी जाति की व्यवस्था बताई गई है, लेकिन यह व्यवस्था केवल रूढ़िबाद के लिये नहीं थी, वह व्यवस्था कर्म के अनुसार थी। कोई भी क कोई खास काम करे, उस की जाति उस के अनुसार बन जाती थी। जैसे आज वकीलों की एक जाति है।

उपाध्यक्ष महोदय: वे भी क्या हरिजनों में शामिल हैं?

पंडित द्वा० ना० तिवारी: उन में भी हरिजन हैं। यह नहीं है कि उन में हरिजन नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं ने समझा कि वकीलों की कास्ट को भी शेड्यूल्ड कास्टस में शामिल करने की बात हो रही है।

पंडित द्वा० ना० तिवारी: मेरे कहने का मतलब यह है कि जो कभी कभी दोष दिया जाता है हिन्दू समाज को कि उस में जाति व्यवस्था भरी हुई है, तो जाति व्यवस्था से वह चीज नहीं थी, वह चीज कर्म व्यवस्था के द्वारा होती थी। जो भी जो कर्म करता था, उस के अनुसार, उस की जाति होती, थी, जैसे कि आजकल वकीलों की जाति है, बरिस्टरों की जाति है।

श्री जांगड़े (विलासपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने गन्तव्य को पढ़ा, बड़े ध्यान से पढ़ा परन्तु जो सिद्धान्त प्रस्तावक महोदय चाहते हैं वह सिद्धान्त उस में ठीक जमता नहीं। जो हिन्दू समाज है, वह, हम माने या न मानें, जाति प्रथा को लेकर बना है, और शैड्यूल्ड कास्ट का मतलब होता है अनुसूचित जाति, एक फहरिस्त बनाना जिस में हिन्दू जाति के कुछ लोगों को रखना। उस जाति में से या फहरिस्त में से निकलने के लिये हमारे कुछ हरिजन भाइयों ने अपने को दूसरे धर्म में सम्मिलित करना उचित समझा।

जब उस फहरिस्त में से अलग होने की बात हो गई और जब जाति के पीछे सारी सुविधायें, वे राजनीतिक हों या आर्थिक हों, बंधी होती हैं, उन बंधी हुई चीजों से बचने के लिये लोग बौद्ध हुए, तो पछता पछता कर फिर उन सुविधाओं की मांग करना, मैं उचित नहीं समझता ।

दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं व्यवहारिकता के सम्बन्ध में। व्यवहारिक बात तो यह है कि जाति प्रथा होने के कारण केवल हिन्दू समाज से अलग करने के लिये उन की गणना नहीं की गई है । आज जनगणना में अनुसूचित जाति वाले हैं, अनुसूचित आदिम जाति वाले हैं, लेकिन बौद्धों की कोई जाति नहीं है । सेन्सस में हम देखेंगे तो कैसे पहचानेगें कि यह हरिजन बौद्ध है और यह जनरल बौद्ध है । हम किसी को इस तरह से पहचान नहीं सकेंगे । अगर हम इस चीज को पहचान नहीं सकते हैं कि कौन बौद्ध जनरल बौद्ध है और कौन हरिजन बौद्ध है और सब को हम बौद्ध लिख दें तो जो हरिजन बौद्ध हैं उनके लिये हम एक स्टिग्मा या कलन्क लगाते हैं।

दूसरी बात यह कि इतने लोगों को केवल रिजवशन को छोड़ कर दूसरी सारी सुविधायें दी जाय। यह भी इसमें फिट इन नहीं होता, इसलिये कि आजकल जो जमाना है उसमें हम उन को अदर बैकबर्ड कलासेज में भले ही शामिल कर सकें और एकानमिक क्राइटेरिया को लेकर यदि कोई बौद्ध पीछे पड़ जाता है तो उसे सुविधा देने में आपत्ति न करें, लेकिन चूंकि वह पहले अनुसूचित जाति में था इस लिये सुविधा दी जाय, यह कहा जाय, तो मैं समझता हूं कि जिस कलंक से बचने के लिये उन्होंने अपने को हिन्दू धर्म से अलग रक्खा, उनसे संबंधित मांग करना या एक तरह से उन पर अधिकार दिखलाना, मैं उचित नहीं समझता ।

आज नौ बौद्धों की बात कही जाती है, वे हरिजनों में से ही गये हुये हैं । इस देश के अन्दर एक ही मूल धर्म से विभिन्न धर्मों में हरिजन लोग गये हैं, यदि उन सब को सुविधा देने की बात कही जाय तो मुझे उनके साथ हमदर्दी तो हो सकती है लेकिन उसको व्यवहार रूप में लाने में कठिनाइयां इतनी होंगी कि उन को देना और न देना दोनों बराबर है। इसलिये इस तरह की सुविधायें मांगना मैं समझता हूं ठीक नहीं है । किसी योग्यता के आधार पर उनको सुविधायें मिल जायें यह दूसरी बात है । लेकिन जो हमारा कांस्टिट्यूशन है, संविधान है वह किसी को डिमार्केट करके, रेखाबद्ध करके सुविधायें देता है, तो क्या जनरल बौद्धों और हरिजन बौद्धों को हम रेखाबद्ध करके अलग कर सकेंगे ? मैं नहीं समझता कि हम ऐसा कर सकेंगे । इसलिये इस प्रकार का जो मन्तव्य आया है, अगर उसको सदन में पास भी कर दिया जाय तो भी व्यवहार में वह लाया नहीं जा सकता । इस लिये मैं इस मन्तव्य से हमदर्दी रखते हुये भी अव्यावहारिक होने के कारण विरोध करता हूं ।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता–पूर्व) : मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं और मेरे विचार से यह संकल्प पूरी तरह न्यायोचित और उपयुक्त है । वस्तुतः हमने कभी भी यहां तक कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी इस बात का प्रयत्न नहीं किया कि केवल हिन्दू समाज को ही कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हों । यह नीति बहुत उचित थी हमें चाहिये कि हम इस पर दृढ़ रहें ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को यह विशेषाधिकार इस कारण दिये गये कि उनकी अवस्था बहुत पिछड़ी है और जब तक देश में एक वर्ग विशेष की हालत इतनी पिछड़ी रह सकती है तब तक हम तरक्की नहीं कर सकते हैं। इसी कारण इन विशेषाधिकारों

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सावन गुप्त]

को अस्थायी रखा गया । अतः केवल इस आधार पर कि कुछ व्यक्तियों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है हम इन रियायतों को वापस नहीं ले सकते हैं ।

श्री मा० कृ० गायकवाड़ ने कहा है कि इन रियायतों का कारण यह था कि वे अस्पृश्य समझे जाते थे । मैं इससे सहमत नहीं हूं । सच्चाई यह है कि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग का पिछड़ापन केवल धर्म बदलने से ही दूर नहीं हो जाता है ।

मैं श्री नारायण कुट्टि मेनन का समर्थन करता हूं । केरल के धर्मपरिवर्तित अनुसूचित जाति के लोगों को भी ये रियायतें जारी रहनी चाहिये । इस संकल्प में जो छूट रखी गयी है वह मेरे विचार से उचित नहीं है मेरा सुझाव है कि विधान सभाओं में भी उन्हें वही संरक्षण जारी चाहिये जो कि उन्हें प्राप्त है ।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्रीमती आल्वा)**: आपने इस संकल्प पर चर्चा का समय बढ़ाने की कृपा की थी तथापि इससे कोई नयी बात सामने नहीं आयी । माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने के पश्चात भी अनुसूचित जाति के लोगों को वे सुविधायें जारी रहें जो कि उन्हें पहिले प्राप्त थीं । इस संबंध में हम संविधान के शब्दों और भावना का पालन करने का प्रयत्न कर रहे हैं । हम चाहते हैं कि जाति प्रथा का मूलोच्छेद हो जाये । तथापि यह अभी भी विद्यमान है । इस संकल्प के द्वारा यह प्रयत्न किया जा रहा है कि धर्मपरिवर्तन कर लेने के पश्चात भी उन बौद्धों में जाति प्रथा बनी रहे ।

संविधान में दो प्रकार की सुविधायें दी गयी हैं । पहिली विशेष प्रकार की सुविधायें हैं जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद ३३५, ३३० और ३३२ में है । श्री कुट्टी इन सुविधाओं को नहीं चाहते हैं । इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद ४६ में परित्राण दिये गये हैं यह अनुच्छेद आर्थिक और शिक्षा संबंधी पिछड़ेपन से संबंध रखता है । अनुसूचित जातियों के लोगों को सामाजिक आर्थिक दशा के सुधारने के लिये अधिकार व रियायतों का इस उपबन्ध में उल्लेख है । माननीय सदस्य चाहते हैं कि इन नव बौद्धों पर भी ये रियायतें लागू हों । इस दृष्टि से यह संकल्प सीमित है क्योंकि यह अन्य धर्मावलम्बियों को छोड़ देता है । इसमें इस प्रकार एक वैध बुराई है अतः इसे सभा में भी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है ।

अच्छा यह होता कि इस संकल्प के अधीन अन्य धर्मावलम्बी लोग भी शामिल होते । विश्व में कुछही धर्म ऐसे हैं, जो कि मानव के विश्व बंधुत्व पर विश्वास करते हैं । इसमें बौद्ध धर्म के अलावा इसाई और मुसलमान धर्म भी आते हैं । हम नहीं चाहते हैं कि हिन्दू धर्म का कलंक उक्त धर्मों में भी चल जाय । श्री मा० कृ० गायकवाड़ का यह कथन है कि समाज की संकीर्ण दृष्टि के कारण यह कलंक वहां भी चलता रहेगा । अतः आपको वे रियायतें मिलनी चाहिये जो अस्पृश्य लोगों को मिलती हैं ।

[**श्री जगन्नाथ राव** पीठासीन हुये]

श्री नारायणन कुट्टि मेनन ने कहा कि कलंक व्यक्ति पर धर्मपरिवर्तन के बाद भी लगा रहता है । यह बात सत्य है तथापि यह कलंक इस कारण नहीं है कि वह धर्म उसकी स्वीकृति देता है । यह समाज की दर्बलता के कारण है । हम नहीं चाहते हैं कि समाज की यह दुर्बलता कायम रहे ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

जैसा कि श्री श्री नारायण दास ने कहा है यह विषय राष्ट्रपति के आदेश में स्पष्ट है। मैं स्वयं चाहती हूं कि अनुसूचित जातियों की संख्या निरंतर घटती चली जाये। उक्त आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो हिन्दू या सिख धर्म का नहीं है। वह अनुसूचित जाति का नहीं माना जायेगा।

वस्तुतः प्रस्तावक महोदय का उद्देश्य अपने समुदाय के लिये सामाजिक आर्थिक उन्नति के उद्देश्य से सुविधायें प्राप्त करना है। मैं आपको बताना चाहती हूं अनुसूचित जातियों में भी बौद्ध धर्मावलम्बी होते हैं। तथापि वे धनी व्यक्ति हैं। उनके कल्याण के लिये समाज को चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है।

अनुच्छेद ४६ में शिक्षा तथा आर्थिक उत्थान की ओर जोर डाला गया है।

अनुच्छेद ४६ में निदेश है कि विशेष प्रकार का ध्यान रखा जाय। ज्यादा जोर शिक्षा और आर्थिक विकास पर है। जिन लोगों ने पुरानी वर्ण व्यवस्था को छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है उन्हें अनुसूचित जातियों में नहीं गिना जा सकता बल्कि उन्हें पिछड़े वर्गों में माना जायगा। पिछड़ वर्गों का ध्यान भी सामान्य रूप से रखा जा रहा है।

इस कारण महाराष्ट्र के नव बौद्ध पिछड़े वर्गों के अन्तर्गत आने चाहिएं। किन्तु महाराष्ट्र ने उन्हें अनुसूचितों के लाभ भी प्रदान किये हैं। वस्तुतः हमने इस मामले को राज्यों पर ही छोड़ दिया है। इस मामले में हम दखल नहीं देंगे।

दूसरी योजना में शिक्षा तथा अन्य योजनाओं के लिए ८.३० करोड़ रुपये की व्यवस्था थी। तीसरी में ९ करोड़ रुपये की व्यवस्था होगी। हम तो यही चाहते हैं कि सभी दलित लोग ऊपर उठें। अनुसूचित जातियों के अलावा अन्य बहुत से लोग की बड़े गरीब हैं। हम सबके लिए प्रयत्न करा रहे हैं परन्तु इसका यह मतलब नहीं कि हम जातिवाद या वर्ण व्यवस्था की जड़ें मजबूत करना चाहते हैं। श्री घोष ने आर्य समाजियों का उदाहरण दिया और कहा कि वे किसी प्रकार के जातिवाद को नहीं मानते और कोई विशेषाधिकार भी नहीं मानते। इसी प्रकार यदि आपको नये धर्म में जाना हो तो पूरी तरह से जाना चाहिए था यदि विशेषाधिकार चाहिएं तो वहां ही रहिए जहां आप हों। दोनों चीजें ठीक नहीं हैं। अब दोनों तरफ से फायदा उठाने के दिन नहीं है। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि लोग पूरी श्रद्धा के साथ बौद्ध धर्म में जा रहे हैं। जहां तक रियायतें देने का प्रश्न है सम्बन्धित राज्य स्वयमेव कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री मेनन ने केरल की बात कही। उन्होंने जो कुछ कहा ठीक कहा श्री गायकवाड़ ने भी सभी कुछ ठीक कहा है। अनुसूचित जातियों में रहते हुए आपको फायदा हो सकता है।

जहां तक संशोधनों का प्रश्न है मैं श्री मेनन का संशोधन स्वीकार नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि अन्य धर्मों में भी वर्ण व्यवस्था को स्थान दिया जाय। अन्य धर्म भी इसकी अनुमति नहीं देंगे। अब तो वर्ण व्यवस्था के उत्सादन का युग है। इसके अलावा अनुसूचित जातियों की परिभाषा की जा चुकी है। और हम उसी को मानते हैं। हमें आशा है कि धीरे-धीरे यह स्थिति सुधर जायगी। समृद्धि ही एक ऐसी चीज है जो समता लाती है। आर्थिक उन्नति से ही समाज ऊंचा उठ सकता है।

इसके बाद श्री श्रीनारायण दास का संशोधन है। उन्होंने एक समिति की नियुक्ति की मांग की है। उससे कोई लाभ न होगा। राज्य इस मामले में यदि नये बौद्धों के बारे में

[श्रीमती आल्वा]

कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं उन्हें पूरी स्वतंत्रता है। महाराष्ट्र में जो सुविधाएं नये बौद्धों को दी गयी हैं वह और ऐसे लोगों को नहीं दी गयीं जो दूसरे धर्मों में जांय। एक बार आगे बढ़कर फिर पीछे हटने वाली बात जंचती नहीं है।

श्री मनुभाई शाह ने उच्चतम न्यायालय के एक मामले का भी हवाला दिया है शायद वह १९५४ का महानुभावस पंथ का मामला था। न्यायालय ने इस बात को कहा है कि आजकल के महानुभाव पंथ के अनुयायी उन्हीं लोगों को अपने पंथ में लेते हैं जो पुरानी वर्ण व्यवस्था को मानें। वह निर्णय बौद्धों पर लागू नहीं होता। तब भी हम विधि मंत्रालय से परामर्श करेंगे। महानुभाव वर्ण व्यवस्था को मानते हैं।

मेरी यही इच्छा है कि लोगों की हालत सुधरे और अनुसूचितों की संख्या घटे। राज्यों में इनकी प्रगति के लिए अनेक योजनाएं चालू हैं। संरक्षणों सम्बन्धी स्थिति भी स्पष्टतर होती जा रही है।

योजनाओं के दौरान अनेक सुधार सम्बन्धी योजनाएं चालू की गयी थी और अब भी हर संभव सेवा की जा रही है। किन्तु बौद्ध धर्म स्वीकार करके भी यह कहना कि फिर भी हम अस्पृश्य हैं ठीक बात नहीं है। जो अस्पृश्य है वह बौद्ध नहीं हो सकता। इन बातों को देखकर मैं श्री कट्टी से प्रार्थना करती हूं कि वे अपने संकल्प को वासप ले लें।

नये बौद्धों की संख्या बम्बई में काफी है। उनको सुविधाएं देने का मामला राज्यों के हाथ में है। किन्तु बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था नहीं होनी चाहिए।

पिछड़े वर्गों की सूची का काम सरकार ने राज्यों पर ही छोड़ दिया है। हम कोई व्यक्तिगत मतभेद पैदा नहीं करना चाहते। अतः हम इस संकल्प को स्वीकार नहीं कर सकते।

कौन-कौन सी जातियां पिछड़ी हुई हैं इस मामले को हमने राज्यों पर ही छोड़ दिया है। नये बौद्धों को रियायत देने का मामला भी राज्यों पर ही छोड़ दिया गया है। अतः इन सब कारणों से मैं संकल्प का विरोध करती हूं।

†**श्री सोनावने** (शोलापुर-रक्षित अनुसूचित जातियां) : मुझे यह बताया जाय कि नये बौद्धों को अनुसूचित जातियों में पुनः जाकर अधिकार मांगने से कैसे रोका जा सकता है।

†**श्रीमती आल्वा** : माननीय प्रस्तावक ने कहा है कि महाराष्ट्र में नये बौद्धों की संख्या काफी है। कौन कैसे बौद्ध बनता है इसकी व्याख्या माननीय प्रस्तावक ही कर सकते हैं।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : जनगणना के आंकड़ों के बाद नये बौद्धों की संख्या ज्ञात हो जायगी।

†**श्री द० अ० कट्टी** (चिकोड़ी) : मुझे आशा थी कि माननीय उपमंत्री मेरी बातों का उत्तर देंगी किन्तु उन्होंने सारी बात ही को गलत समझा है। मैं तो यह मानता हूं कि अनुसूचित जातियों के लोग जाति विहीन हैं यदि वे किसी धर्म को मान लें तो यह धर्म परिवर्तन न होगा। ऐसी स्थिति में उनसे रियायतें न छीननी चाहिएं।

ऐसी चीज आदिम जातियों पर लागू नहीं हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

तीसरी बात यह है कि इन रियायतों के पाने के लिए यह शर्त नहीं रखी गयी है कि कि व्यक्ति का हिन्दू होना आवश्यक है। यह सुविधाएं इस कारण दी जा रही हैं कि आप दलित लोगों को ऊपर उठायें।

वस्तुतः धर्म के परिवर्तन मात्र से किसी अनुसूचित व्यक्ति की दशा नहीं सुधर जाती। बौद्ध धर्म को इसी कारण स्वीकार किया जाता है कि हम वर्ण व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। इस कारण हम पर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि हम इसकी जड़ें मजबूत करना चाहते हैं।

माननीय मंत्री ने कहा है कि सरकार यह नहीं चाहती कि वर्ण व्यवस्था का दूषण अन्य धर्मों में भी जाय। यह विचित्र तर्क है। आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सहायता मांगने का यह अर्थ कदापि न लगना चाहिए।

सरकार कह रही है कि वह संविधान के उद्देश्य का पालन करनी है। क्या दलितों को इस प्रकार सहायता देने से इन्कार करना ही संविधान का उद्देश्य है। क्या समाजवादी समाज का उद्देश्य भी यही है।

श्री साधन गुप्त ने यह पूछा कि मैंने इस संकल्प को शिक्षा आदि तक ही क्यों सीमित कर डाला है। वस्तुतः मैं इसमें राजनीति का समावेश नहीं करना चाहता। चमार कहकर यदि कोई मुझे मंत्री पद दे तो भी मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा।

†**श्री श्री नारायण दास** : मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

†**श्री द० अ० कट्टी** : मैं संकल्प वापस नहीं लेता।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"इस सभा की यह राय है कि विधानमण्डलों में स्थानों के सुरक्षण को छोड़ कर, अनुसूचित जातियों को दिये गये तथा जिनका संविधान में उपबन्ध है, समस्त परित्राण अनुसूचित जातियों में से धर्म परिवर्तन करके बने हुये बौद्धों को प्रदान किये जायें।"

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ। पक्ष में २३; विपक्ष में ७४।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

व्यक्तिगत आय के बारे में संकल्प

†**श्री कालिका सिंह** (आजमगढ़) : श्रीमान्, मैं (श्री दलजीत सिंह की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि:

"इस सभा की यह राय है कि समाजवादी समाज के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तियों की आय को इस तरह पर विनियमित किया जाय कि अधिकतम

---

†मूल अंग्रेजी में

[कालिका सिंह]

और न्यूनतम आय के अन्तर में कमी होकर १० और १ का अनुपात रह जाये।"

संविधान के अनुसार राज्य का यह कर्तव्य है कि वह सामाजिक व्यवस्था के परिरक्षण के लिए समानता लाने का प्रयास करे।

दिसम्बर, १९५४ में संसद ने भी समाजवादी समाज की स्थापना का उद्देश्य घोषित किया। इसलिए हम समझते हैं कि भारत जैसे देश में अधिकतम आय के निर्धारण की अपेक्षा न्यूनतम आय का निर्धारण अत्यावश्यक है।

हमारे व्याप्त देश का वास्तविक कल्याण समाजवाद से ही संभव है जहां कि उत्पादन के सभी साधनों पर सारी जाति ही का कब्जा हो। इसी आधार पर योजना आयोग ने भी समाजवादी समाज की स्थापना का सिद्धांत स्वीकार कर लिया है। परन्तु यदि आयोग असमानताएं कम करना चाहे तो उसके रास्ते में किसी भी प्रकार की रुकावट पैदा नहीं हो सकती।

आज सरकारी क्षेत्र काफी प्रगति कर चुका है। समाजवाद की व्याख्या करते हुए श्री शाह ने १० अप्रैल को बताया था कि समाजवादी प्रवृत्ति का इससे बढ़ कर और क्या सबूत हो सकता है। हर योजना में पहले की अपेक्षा सरकारी क्षेत्र में ज्यादा रकम का निवेश हुआ है। इस तरह से सरकारी क्षेत्र और भी दृढ़ हुआ है।

राष्ट्रीय आय के समान वितरण के सिद्धान्त के अनुसार तो आय की असमानताएं दूर की जानी चाहिये। लेकिन असमानतायें दूर नहीं की जा सकती। कम्युनिस्ट देशों में भी असमानतायें मौजूद हैं।

संकल्प का प्रयोजन असमानताओं को कम करना है। उसे १०:१ के अनुपात तक लाना है।

हमारे देश की ७० प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर करती है, १० प्रतिशत उद्योगों पर, ६ प्रतिशत वाणिज्य पर और १२ प्रतिशत नौकरियों तथा विविध पशों पर। देश की कुल जनशक्ति, १९५१ की जनगणना के अनुसार १४.३२ करोड़, है, जिसमें से १०.३६ करोड़ कृषि में लगी हुई है। प्रति व्यक्ति कृषीय आय इतनी कम है कि शायद १९७७ तक ही वह आज से दोगुनी हो पायगी।

संयुक्त राष्ट्र की रहन-सहन के स्तर से सम्बन्धित समिति ने १९५३ में रहन-सहन की स्तर निर्धारित करने के लिये बारह तत्व आवश्यक माने थे। स्वास्थ्य, खाद्य, शिक्षा, काम की दशा, रोजगार, उपभोग तथा बचत, आने-जाने के साधन, आवास, वस्त्र, मनोरंजन, सामाजिक सुरक्षा और मानवीय स्वतंत्रता।

कानपुर और बम्बई के रहन-सहन सम्बन्धी देशनांकों में इन बारह तत्वों को आधार नहीं माना गया है।

यदि सरकार भारत में आय सम्बन्धी असमानताओं को कम करना चाहती है, तो उसे इन तत्वों को आधार मान कर चलना चाहिये। उसकी कोशिश यही होनी चाहिय ये बारहों चीजें सर्व साधारण के लिये, सुलभ बनाई जा सकें।

संयुक्त राष्ट्र संघ की उस समिति के अनुसार प्रति व्यक्ति ३००० कैलोरी वाला भोजन अपेक्षित है, जबकि हमारे यहां १७०० कैलोरी से अधिक सुलभ नहीं होता।

भारत में रहन-सहन का स्तर इतना नीचा है कि यहां औसत व्यक्ति की ६४ प्रतिशत आय खाद्य में ही चुक जाती है।

सरकार को रहन-सहन के स्तर के इन बारहों तत्वों को सुलभ बनाने के लिये उनकी प्राथमिकतायें निर्धारित कर देनी चाहिये। सरकार को सबसे ज्यादा जोर आय सम्बन्धी असमानता दूर करने पर ही देना चाहिये।

देश की सबसे बड़ी सम्पदा उसके स्वस्थ्य और प्रसन्नचित्त व्यवित ही होते हैं। आशा है कि सभा इस संकल्प को स्वीकार करेगी।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संकल्प प्रस्तुत हुआ।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, १ मई, १९६१/११ वैशाख, १८८३ शक के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।

†मूल अंग्रेजी में

शुक्रवार, २८ अप्रैल, १९६१
८ वैशाख, १८८३ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		६४५३—७४
तारांकित प्रश्न संख्या		
१७७७	भारत-अमरीका विमान वार्ता	६४५३-५४
१७७८	दिल्ली में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन	६४५४-५५
१७८३	पशुओं का जीवन-बीमा	६४५५—५७
१७८४	इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के लिये सुपर कान्स्टलेशन विमान	६४५७—५९
१७८५	तीसरी योजना में नई रेलवे लाइनें	६४५९-६०
१७८६	वेतवा नदी पर नाटघाट में पुल	६४६१
१७८७	पोषण विभाग	६४६१—६३
१७८९	हिन्दी में वार्षिक रिपोर्टें	६४६३-६४
१७९०	स्नातकोत्तर चिकित्सा-शिक्षा सम्बन्धी रिपोर्ट	६४६४—६६
१७९१	भाखड़ा नहर की दीवार में दरार	६४६६-६७
१७९३	गंडक सिंचाई और विद्युत् परियोजना	६४६७-६८
१७९४	शहादरा में कोढ़ियों की बस्ती	६४६८—७१
१७९६	भागलपुर नगरपालिका द्वारा रेलवे इंजन की कथित कुर्की	६४७१
१७९७	नागा विद्रोहियों द्वारा गश्ती इंजन पर गोली चलाया जाना	६४७१—७३
१७९८	रेलवे द्वारा घर पर सामान पहुंचाना	६४७३-७४
प्रश्नों के लिखित उत्तर		६४७५—६५१५
तारांकित प्रश्न संख्या		
१७७९	राजस्थान नहर	६४७५
१७८०	स्वास्थ्य योजनायें	६४७५
१७८१	नर्मदा नदी सम्बन्धी बोर्ड	६४७५-७६

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

१७८२ संयुक्त राष्ट्र अमरीका में पर्यटन प्रचार ६४७६
१७८८ हल्दी को रंगना . ६४७६—७७
१७९२ ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टर . ६४७७
१७९५ दामोदर घाटी निगम से बिजली का सम्भरण ६४७७—७८

अतारांकित
प्रश्न संख्या

४०४८ पंजाब में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ६४७८
४०४९ वन संसाधन ६४७९
४०५० नारनौल (पंजाब) में टेलीफोन के कनेक्शन . ६४७९
४०५१ महाराष्ट्र में डाक तथा तार सुविधायें . ६४७९
४०५२ औरंगाबाद और जालना में टेलीफोन के कनेक्शन . ६४८०
४०५३ इंगलैंड से पर्यटक . . . ६४८०
४०५४ रेलवे लाइन का पुनः बिछाया जाना ६४८०
४०५५ उड़ीसा में दूध के पावडर का वितरण . . ६४८१
४०५६ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा अपलिखित धनराशि ६४८१—८२
४०५७ इलायची . . . ६४८२
४०५८ जिरेनियम के पौधे लगाना . . . ६४८३
४०५९ उत्तर प्रदेश में डाक तथा तार-घर . . . ६४८३
४०६० तेल और घी को श्रेणीबद्ध करने के लिये प्रयोगशालायें . ६४८३—८४
४०६१ नंगल बान्ध में क्वार्टर . . ६४८४
४०६२ कांगडा जिला (पंजाब) में परिवार नियोजन केन्द्र ६४८४
४०६३ उत्तर रेलवे पर चाय के स्टालों आदि के लिये लाइसेंस ६४८५
४०६४ पंजाब में पीने के पानी का संभरण . . ६४८५
४०६५ योगिक अभ्यास . . . . . ६४८५—८६
४०६६ उत्तराखण्ड में विश्राम गृह ६४८६
४०६७ उत्तर प्रदेश में कुष्ठ रोग . . . ६४८६—८७
४०६८ हिमाचल प्रदेश का वन विभाग . . ६४८७
४०६९ हिमाचल प्रदेश के महासु जिले में नई नहर . . . ६४८७
४०७० खाद्यान्नों का आयात . ६४८८

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
अतारांकित		
प्रश्न संख्या		
४०७१	कुष्ठ रोगी	६४८८–८९
४०७२	सड़कों और इमारतों के लिये प्रयोगशालायें	६४८९–९०
४०७३	दिल्ली में बस्तियों का विकास .	६४९०
४०७४	उर्वरक तथा अधिक अच्छे बीज	६४९१
४०७५	पंचायत राज का एकीकरण	६४९१
४०७६	डाक तार कर्मचारी	६४९१–९२
४०७७	'पुनर्रवा'	६४९२
४०७८	वरिष्ठ लेखापाल (सीनियर अकाउन्टेण्ट) के पदों पर पदोन्नति	६४९२–९३
४०७९	डाक तार वर्दियों की सिलाई	६४९३
४०८०	डीलक्स गाड़ी में भोजन डिब्बे के कर्मचारी	६४९३–९४
४०८१	मद्रास राज्य में छोटे डाकघर . .	६४९४
४०८२	मद्रास राज्य में छोटी सिंचाई परियोजनायें	६४९४
४०८३	मद्रास राज्य में कुष्ठ नियंत्रण .	६४९५
४०८४	गंगाराम अस्पताल, नयी दिल्ली	६४९५–९६
४०८५	भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम	६४९६
४०८६	शीर्ष विपणन सहकारी समिति, मनीपुर .	६४९६–९७
४०८७	मनीपुर में कृषि संस्थाओं के लिये गोदाम	६४९७
४०८८	मनीपुर में उर्वरकों की मांग .	६४९७–९८
४०८९	बंगाल की खाड़ी में समुद्र में मछली पकड़ना	६४९८
४०९०	मद्रास राज्य में वन विकास .	६४९८
४०९१	त्रिपुरा में रक्षित वन .	६४९८–९९
४०९२	त्रिपुरा में चाय बागानों का सीमांकन	६४९९
४०९३	त्रिपुरा में बाढ़ें . .	६४९९
४०९४	त्रिपुरा में मत्स्यपालन के लिये ऋण	६४९९–६५००
४०९५	त्रिपुरा में सुकसागर का कृष्यकरण .	६५००
४०९६	आसनसोल-वरिया सेक्शन का विद्युतीकरण	६५००
४०९७	उड़ीसा में विद्युतीकरण .	६५००–०१
४०९८	हिमाचल प्रदेश में जन सहयोगी संघ . .	६५०१
४०९९	महासु जिले (हिमाचल प्रदेश) में कैलाश सहकारी सोसाइटी	६५०२

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या

४१००	देहाती क्षेत्रों में अंशदायी स्वास्थ्य सेवा	६५०२-०३
४१०१	मद्रास और कलकत्ता के बीच जनता गाड़ी	६५०३
४१०२	पश्चिम रेलवे पर माल गाड़ी का पटरी से उतरना	६५०३
४१०३	भरतगढ़ स्टेशन के पास एक दम्पत्ति की मृत्यु	६५०३-०४
४१०४	दिल्ली और नई दिल्ली में टेलीफोन	६५०४
४१०५	डाक बचत बैंकों में चेक प्रणाली	६५०५
४१०६	सिंचाई के पानी का शुल्क	६५०५
४१०७	रेलगाड़ियों में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के लिये स्थान का आरक्षण	६५०५-०६
४१०८	परिवार नियोजन के लिये फोर्ड प्रतिष्ठान की सहायता	६५०६
४१०९	राजघाट के पास नर्मदा पर पुल	६५०६
४११०	पम्पावती बान्ध परियोजना	६५०७
४१११	पम्पावती बान्ध	६५०७
४११२	माता टीला बान्ध से बिजली	६५०७-०८
४११३	बन्देल में बिजली घर	६५०८
४११४	अंकरा में भू-संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन	६५०८
४११५	सामुदायिक कल्याण परिषद्	६५०८
४११६	भारत में अपंजीबद्ध चिकित्सक	६५०८-०९
४११७	उत्तर प्रदेश में फल का उत्पादन	६५०९-१०
४११८	दिल्ली में त्रुटिपूर्ण थर्मामीटरों की बिक्री	६५१०
४११९	मनीपुर में बिजली का डिवीजन	६५१०
४१२०	स्मृति टिकट	६५१०-११
४१२१	किचनर रोड पर प्रसूति तथा बाल कल्याण केन्द्र	६५११
४१२२	विनयनगर, नई दिल्ली में प्रसूति और बाल कल्याण केन्द्र	६५११
४१२३	विनय नगर, नई दिल्ली में खुला सिनेमा	६५११
४१२४	एन्ड्रूजगंज, नई दिल्ली में डाक घर और सार्वजनिक टेलीफोन	६५१२
४१२५	अध्यापकों की क्रमोन्नति	६५१२
४१२६	मंत्रालय के प्रकाशन	६५१३
४१२७	खजूरियाघाट-माल्दा रेलवे लाइन	६६१३
४१२८	उत्तर रेलवे में क्लेम ट्रेसर	६५१३-१४

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

४१२६ पूर्वोत्तर रेलवे के गार्डों को यात्रा भत्ते ६५१४
४१३१ तारघरों में संदेशवाहक और चपरासी ६५१४
४१३२ उद्योगों के लिये बिजली की दरें ६५१५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . ६५१५–१६

श्री बड़ा कुमार प्रताप गंग देव बामरा ने गत वैशाखी के दिन यमुना नदी के स्नान-घाटों पर दिल्ली प्रशासन द्वारा किये गये अपर्याप्त प्रबन्ध की ओर, जिसके फलस्वरूप पांच व्यक्ति नदी में डूब कर मर गये, गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाया ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) ने उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

प्राक्कलन समिति के कार्यवाही-सारांश--सभा पटल पर रखे गये . ६५१६

निम्नलिखित प्रतिवेदनों के बारे में प्राक्कलन समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांशों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखी गई :—

(एक) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) के बारे में १२६वें, १२७वें और १२८वें प्रतिवेदन ।

(दो) खाद्य तथा कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) के बारे में १२९वें, १३०वें और १३१वें प्रतिवेदन ।

(तीन) सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय (सहकारिता विभाग) के बारे में १३३वें प्रतिवेदन ।

राज्य-सभा से सन्देश ६५१६

सचिव ने राज्य-सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना दी कि राज्य-सभा की विनियोग (संख्या २) विधेयक १९६१, जो लोक-सभा द्वारा २० अप्रैल, १९६१ को पारित किया गया था, के बारे में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित . ६५१७

विशेषाधिकार समिति का बारहवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

विधेयक पुरःस्थापित . . ६५१८

कोयला खान (संरक्षण और सुरक्षा) संशोधन विधेयक, १९६१ ।

विषय **पृष्ठ**

विधेयक पारित ६५१८-१९

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि उड़ीसा विनियोग (संख्या २) विधेयक, १९६१ पर विचार किया जाये। खण्ड वार विचार के बाद विधेयक पारित हुआ।

विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—विचाराधीन . ६५१९—३१

आय-कर विधेयक, १९६१ को प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा जारी रही। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों समिति का प्रतिवेदन स्वीकृत ६५३१

चौरासीवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ।

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प—अस्वीकृत . ६५३१—४३

श्री द० अ० कट्टि ने १४ अप्रैल, १९६१ को, जो संकल्प बौद्ध धर्म स्वीकार करने वालों के संरक्षणों के बारे में प्रस्तुत किया था उस पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हो गयी। सभा में मत विभाजन हुआ और पक्ष में २३ तथा विपक्ष में ७४ मत पड़े। संकल्प अस्वीकृत हुआ।

गैर-सरकारी सदस्यों का संकल्प—विचाराधीन . . ६५४३—४५

श्री कालिका सिंह ने व्यक्तिगत आयों के विनियमन के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

सोमवार, १ मई, १९६१/११ वैशाख, १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि—

आयकर विधेयक, १९६१ के प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा। दिल्ली (नगरीय क्षेत्र) कृषक सहायता विधेयक पर विचार तथा उसे पारित करना।

GMGIPND—LSIII—565 (Ai)LSD—30-6-61—125

	पृष्ठ
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
चौरासीवां प्रतिवेदन	६५३१
धर्म परिवर्तन कर के बौद्ध धर्म स्वीकार करने वालों के बारे में संकल्प--अस्वीकृत	६५३१-४३
श्री श्रीनारायण दास	६५३१-३२
श्री भा० कृ० गायकवाड़	६५३२
श्री प्र० सिं० दौलता	६५३३
पंडित कृ० चं० शर्मा	६५३३
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन	६५३३-३४
श्री नौशीर भरूचा	६५३४
श्री दी० चं० शर्मा	६४३४-३५
श्री गणपति राम	६५३५-३६
पंडित द्वा० ना० तिवारी	६५३७-३८
श्री जांगड़े	६५३८-३९
श्री साधन गुप्त	६५३९-४०
श्रीमती आल्वा	६५४०-४२
श्री द० अ० कुट्टि	६५४२-४३
व्यक्तिगत आय के बारे में संकल्प	६५४३-४५
श्री कालिका सिंह	६५४३-४५
दैनिक संक्षेपिका	६५४६-५१

PLS. 41. LV. 56. 61.
125

© १९६१ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।